वर्ष : 13 अंक : 9 सितम्बर 2015 ₹ 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

विश्व फलक पर हिन्दी

भारत का संविधान

हम **भारत के लोग,** भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 13 ★ अंक : 09 ★सितम्बर 2015 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
चन्द्रवली
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 **जनपथ, नई दिल्ली-**110001
सम्पादकीय सम्पर्क **011-23320588**
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-**23357625**
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com

वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

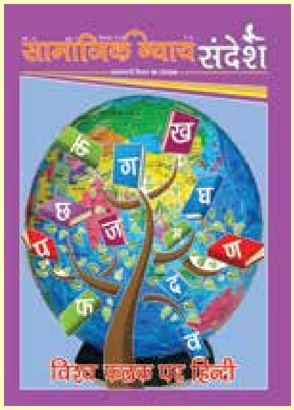

इस अंक में

❖	सम्पादकीय/विश्व फलक पर हिन्दी	सुधीर हिलसायन	2
❖	पुस्तक अंश/अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	4
❖	भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश		14
❖	15 अगस्त 2015 : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन		17
❖	विश्व फलक पर हिन्दीः सामर्थ्य और संभावनाएं	प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा	28
❖	हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुअवसर है	डॉ. प्रभु चौधरी	34
❖	इंटरनेट की दुनिया में हिंदी	धर्मेंद्र प्रताप सिंह	36
❖	हिन्दी की प्रतिष्ठा में हमारा योगदान	डॉ. ममता तिवारी	38
❖	हिन्दी पखवाड़ा : सांस्कृतिक यात्रा, पड़ाव, दशा, दिशा और चेतना	बलराम प्रसाद	40
❖	पुस्तक अंश/डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित	धनंजय कीर	44
❖	महापुरुषों के सद्विचार - राष्ट्रभाषा हिन्दी	भेरु सिंह राव 'क्रान्ति'	53
❖	कहानी/ भौजी	बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'	55
❖	कविता/हिन्दी राष्ट्रभाषा	अनुभूति गुप्ता	58

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250

*डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर **डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन**, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।*

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

सम्पादकीय

विविधता में एकता की विशिष्टता वाले इस विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं में एक हिन्दी की कश्मीर से कन्याकुमारी व कच्छ से कोलकाता तक सम्पर्क भाषा के रूप में भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है व हिन्दी को सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक प्रयोग करने का संकल्प लिया जाता है।

मई 2014 में जब से केन्द्र में राजग सरकार का गठन हुआ है तब से सरकार के स्तर पर भी हिन्दी में कामकाज का चलन पहले से बढ़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, केन्द्र सरकार के मंत्रियों सर्वश्री गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री थावरचन्द गेहलोत, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री रामविलास पासवान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह आदि ने अपने मंत्रालयों में हिन्दी के काम-काज पर काफी जोर दिया है। जिसके परिणाम उत्साहवर्धक प्रतीत हो रहे हैं। हिन्दी का रूतबा बढ़ा है।

वैश्वीकृत और उदारीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में हिन्दी का महत्त्व और भी बहुत बढ़ गया है, दरअसल 'भारत' को समझने और जानने के लिए हिन्दी बहुत जरूरी है क्योंकि भारत की 'सम्पर्क भाषा' हिन्दी है। वैश्वीकरण के दौर में बाजार की आवश्यकता के कारण व्यापार और वाणिज्य से जुड़े अंग्रेजीदा लोग भी हिन्दी सीखने, पढ़ने, लिखने व सुनने को मजबूर हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी को बढ़ावा देने और महत्त्वपूर्ण बनाने में हिन्दी के समाचार चैनलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हिन्दी को प्रचारित-प्रसारित करने में वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र प्रताप सिंह की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। जिस काबिलियत से उन्होंने साप्ताहिक 'रविवार', दैनिक 'नवभारत टाइम्स' से लेकर 'टी.वी. टुडे' की 20 मिनट की 'हिन्दी समाचार मैगजीन' 'आजतक' के माध्यम से अपने अंदाज में 'हिन्दी' में 'खबरों' को प्रस्तुत किया करते थे, उससे सत्ता के गलियारों में हिन्दी का दबदबा बढ़ा। आम-अवाम और संवेदनशील मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाने की उनके अनूठे अंदाज के कारण अंग्रेजी पढ़ने- सुनने वाले लोग भी 'समाचार मैगजीन' देखने को मजबूर हुए। दरअसल यह कमाल उनकी अपनी तो थी ही इसमें 'हिन्दी' भाषा की अपनी ताकत भी थी। यहां यह कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि 'स्टार न्यूज' जैसे अंग्रेजी चैनल को भी उस समय हिन्दी के सामने समर्पण करना पड़ा था।

इस देश में 'हिन्दी' के ज्ञान के बिना आप तथाकथित बुद्धिजीवियों में शुमार हो सकते हैं, अपने लेखन-सोच के माध्यम से समाज के एक खास वर्ग में अपनी पैठ पहचान बना सकते हैं, परन्तु यदि आप 'सम्पूर्ण देश' का 'नेता' बनने की आकांक्षा रखते हैं तो आपको 'अच्छी हिन्दी' आनी चाहिए इसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं।

राजभाषा, सरकार और जनता के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है, लिहाजा इसे बनाए रखने के लिए उसका प्रचार-प्रसार अनिवार्य होता है। किसी भी देश-समाज की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति केवल मातृ भाषा में ही संभव है। मातृ भाषा में ही उसका मान-सम्मान और उत्थान संभव है।

पर हिन्दी

भारत की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित करने में 'हिन्दी' सिनेमा व अन्य जनसंचार माध्यम यथा-चौबीसों घंटे जुगाली करने वाले समाचार चैनलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान है, हिन्दी के मुकाबले अन्य भारतीय भाषाएं क्षेत्रीय संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः हिन्दी को उनकी तुलना में ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। 'भाषा' के प्रति प्रेम 'राष्ट्र प्रेम' को भी मजबूत करता है। साहित्य किसी भी भाषा का महत्त्वपूर्ण उपागम है। व्यक्ति का मानसिक विकास साहित्य से होता है, उसके सांस्कृतिक विकास की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से प्रकट होती है। 'ज्ञान' कभी भाषा के पीछे नहीं चलता, बल्कि भाषा ज्ञान के पीछे चलती है। मौलिक लेखन में जो सरल, सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। वह स्वाभाविकता कभी भी अनूदित भाषा में नहीं आ सकती।

राष्ट्र निर्माता बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने भाषा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा था "एक भाषा जनता को एक सूत्र में बांध सकती है। दो भाषाएं निश्चय ही जनता में फूट डाल देंगी। यह एक अटल नियम है। भाषा, संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक हैं, इसलिए सभी भारतीयों का यह कर्त्तव्य है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं।"

भोपाल में 10-12 सितम्बर 2015 को संपन्न दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन 'हिन्दी जगत के विस्तार और उसकी संभावनाओं' को समर्पित था। सम्मेलन में मुख्य रूप से विदेश नीति, प्रशासन, विज्ञान, सूचना तकनीक, विधि, बाल साहित्य, हिन्दीतर राज्य, पत्रकारिता, विदेश में हिन्दी अध्यापन, भारत में हिन्दी अध्ययन की सुविधा तथा सम्पादन-प्रकाशन से जुड़े मसलों पर कई सत्रों में उस पर विचार विमर्श हुआ।

हिन्दी को लेकर हमारा सरोकार महज एक भाषा को संरक्षण देने मात्र तक सीमित नहीं है। हमारी औपनिवेशिक प्रवृत्ति ने अंग्रेजी और अंग्रेजियत को राज्य, समाज, सरकार और शिक्षा में स्थापित कर हमारे आत्मबोध और संस्कृति को लेकर संशय भी उत्पन्न किया है और सृजनात्मकता को भी कुंद किया है।

भारत की अघोषित 'राष्ट्रभाषा' हिन्दी एवं घोषित 'राजभाषा' हिन्दी का विकास विश्व स्तर पर तीव्र गति से हो रहा है। विश्व स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के योगदान का उल्लेख समीचीन होगा। पिछले डेढ़ वर्षों के विदेश दौरों-संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में जिस अंदाज में उन्होंने हिन्दी में अपनी बात रखी है, उससे विश्व फलक पर हिन्दी का 'मान' और 'सम्मान' दोनों बढ़ा है।

आइए आज जब इस महीने में हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा व हिन्दी दिवस समारोहों की धूम है, हिन्दी को सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारित करने का संकल्प लें।

(सुधीर हिलसायन)

> "राष्ट्र निर्माता बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने भाषा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा था "एक भाषा जनता को एक सूत्र में बांध सकती है। दो भाषाएं निश्चय ही जनता में फूट डाल देंगी। यह एक अटल नियम है। भाषा, संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक हैं, इसलिए सभी भारतीयों का यह कर्त्तव्य है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं।""

अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

23
डॉक्टर अम्बेडकर का श्री एटली को पत्र

एल/पी एण्ड जे/10/50 : एफ 55
दादर, बम्बई 14
12 अगस्त, 1946

प्रिय श्री एटली,

आपके 1 अगस्त 1946 के पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे यह आशा नहीं थी कि आप समय निकाल कर मेरे 1 जुलाई 1946 के पत्र का उत्तर देंगे। अत: मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने समय निकाला ताकि मैं इन मुद्दों पर आपके विचारों से अवगत हो सकूं जो मैंने अपने पत्र में उठाए थे।

2. मुझे आशंका है कि मैं आपके उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता कि 1945 में शिमला सम्मेलन के बाद महामहिम की सरकार द्वारा अपनाई गई नीति में संशोधन किया जाना उचित है और न मैं मिशन के उस तरीके का समर्थन करता हूं जो अनुसूचित जातियों के लिए अपनाया गया है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हाऊस ऑफ कॉमन्स में श्री एलेक्जेंडर का यह वक्तव्य बहुत बेदर्द वक्तव्य है कि अधिकांश अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि इस वक्तव्य में कोई सत्यता नहीं है। यह केवल मेरा ही मत नहीं है अपितु यदि आप केवल सर एडवर्ड बेनथाल से परामर्श करें, जो इस समय इंग्लैंड में हैं, मेरी धारणा है कि वे मेरा समर्थन करेंगे।

3. जहां तक आपके विश्लेषण का संबंध है, आपने प्राथमिक चुनाव में फेडरेशन की उपलब्धियों का परिणाम दिया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपने इसको गलत समझा है और मुझे यह कहना पड़ता है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जो तथ्यों के महत्व को न जानता हो अथवा चुनाव के तरीके को न समझता हो, वह भी स्पष्टीकरण के बिना ही यह समझ सकता है कि ये तथ्य क्या कह रहे हैं। मिशन के विरुद्ध मेरे आरोप का मुख्य आधार यह है कि जब कांग्रेस ने तस्वीर का दूसरा पहलू प्रस्तुत किया तब उसका कर्तव्य था कि मुझे बुला लेते और मुझसे व्याख्या करा लेते। मिशन ने ऐसा नहीं किया जब कि उसे न्याय के अनुरूप ऐसा करना चाहिए था। यदि मैं संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करने में असफल हो जाता तो मिशन उस निष्कर्ष पर आ सकता था जो उसने निकाला है। मिशन को पूर्णतया गलतफहमी हुई है और यह बात मेरे चुनाव से सिद्ध होती है कि मुझे बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया है। केबिनेट मिशन ने हाऊस ऑफ कॉमन्स में बताया कि मेरा प्रभाव बम्बई और सी.पी. तक ही सीमित है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे बंगाल से चुना गया? मेरे अपने चुनाव के संबंध में तीन तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक बात यह है कि मैं केवल चुनाव ही नहीं जीता, अपितु मैं चुनाव में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सका जबकि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च बंगाली नेता श्री शरत चन्द्र बोस भी हार गये। दूसरे, मैं किसी भी प्रकार से बंगाल की अनुसूचित जातियों के समुदाय के साथ साम्प्रदायिक बंधनों से संबंधित नहीं हूं। वे अलग जाति के हैं, जिस जाति का मैं नहीं हूं। वास्तव में मेरी जाति के लोग बंगाल में नहीं रहते, फिर भी बंगाल की अनुसूचित जातियों के लोगों ने मेरा समर्थन किया और यह समर्थन इतना अधिक था कि मैं सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सका। तीसरे, बंगाल की अनुसूचित जातियां कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुई, परन्तु उन्होंने अपनी पार्टी के वे नियम तोड़ दिए जिनके अनुसार उन्हें कांग्रेस के लोगों को ही अपने मत देने थे जबकि उन्होंने मुझे मत दिए। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि बंगाल में मेरे अनुयायी नहीं थे? मुझे विश्वास है कि यदि केबिनेट मिशन अपने निष्कर्ष में ईमानदार है तो उसे अपने उस गलत मत का संशोधन करना चाहिए जो हाऊस ऑफ कॉमन्स में व्यक्त किया गया तथा अपना विचार बदल कर फेडरेशन को समुचित मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

4. जहां तक अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों की स्थिति

का संबंध है, मुझे यह आश्वासन पाकर प्रसन्नता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल अनुसूचित जातियों को महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग मानता है। परन्तु फिर भी मैं यह बात दुहराना चाहता हूं कि जब तक केबिनेट मिशन सार्वजनिक घोषणा नहीं करता तब तक इस विचार से अनुसूचित जातियों को सहायता नहीं मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि आप देखेंगे, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से वाससराय को विचार-विमर्श के समाप्त होने से पूर्व अपने अंतिम पत्र में लिखा था और जोरदार शब्दों में इस विचार को चुनौती दी थी कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग की हैं। अनुसूचित जातियों को इस बात का भय है कि यदि यह विचार समय रहते ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ठीक नहीं किया जाता है तो अनुसूचित जातियों के मामले पर उस सलाहकार समिति में विचार नहीं किया जाएगा जो कांग्रेस के सदस्यों से भरी होगी। यह खतरा है कि अनुसूचित जातियों को हिन्दुओं के सामाजिक ग्रुप के रूप में माना जाएगा और उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग नहीं समझा जाएगा। यह स्थिति निश्चय ही बनेगी क्योंकि श्री गांधी ने भी ऐसा ही कहा है। श्री गांधी स्पष्ट रूप से यह सोचते हैं कि वे अनुसूचित जातियों के साथ वहीं सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि यह तथ्य है कि ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है।

5. इन परिस्थितियों में मैं आपसे कहूंगा कि आप इस मामले के बारे में विचार करें और यह साबित करें कि अनुसूचित जातियां एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग हैं ताकि वे नए संविधान में अपनी भावी स्थिति के खतरे से बच सकें।

6. मैं यह पढ़कर दु:खी हूं कि आप अनुसूचित जातियों के लिए कोई आशा नहीं दिलाते कि उन्हें अंतरिम सरकार में दो सीटें मिल जाएंगी। मैं इस नकारात्मक स्थिति के लिए कोई औचित्य नहीं देखता। उनकी संख्या तथा 1945 में गत शिमला सम्मेलन के समय दिए गए आश्वासन दोनों ही आधार पर वे अच्छे व्यवहार के अधिकारी हैं जैसा कि सिखों और अन्य छोटे अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है। मेरा विचार है कि मैंने जो दावा किया है, वह न्यायसंगत है।

मैं यह पढ़कर दु:खी हूं कि आप अनुसूचित जातियों के लिए कोई आशा नहीं दिलाते कि उन्हें अंतरिम सरकार में दो सीटें मिल जाएंगी। मैं इस नकारात्मक स्थिति के लिए कोई औचित्य नहीं देखता। उनकी संख्या तथा 1945 में गत शिमला सम्मेलन के समय दिए गए आश्वासन दोनों ही आधार पर वे अच्छे व्यवहार के अधिकारी हैं जैसा कि सिखों और अन्य छोटे अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है। मेरा विचार है कि मैंने जो दावा किया है, वह न्यायसंगत है।

सद्भावना सहित,

भवदीय

बी.आर. अम्बेडकर

सद्भावना सहित,

भवदीय

बी.आर. अम्बेडकर

24
लॉर्ड पेथिक लॉरेंस का श्री एटली को पत्र

एल/पी एण्ड जे/10/50 :
एफ.एफ. 38-40
इंडिया ऑफिस, 3 सितम्बर, 1946
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मिनट :
क्रम सं. 48/46

प्रधान मंत्री,

आपने मुझे अम्बेडकर के उस पत्र पर विचार व्यक्त करने के लिए कहा है जो उन्होंने 12 अगस्त को आपको लिखा था।

2. जहां तक उनके दूसरे पैरा का संबंध है, आप उस ज्ञापन में दलित वर्गों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण देखेंगे जिसे मेरे निजी सचिव ने अम्बेडकर के पत्र के उत्तर में मसौदे के साथ 26 जुलाई को भेजा है। सारांश में, तथ्य इस प्रकार है कि प्राथमिक चुनाव लड़े गए और उन चुनावों में कांग्रेस ने अम्बेडकर के संगठन से कहीं अधिक मत प्राप्त किए जबकि उन स्वतंत्र उम्मीदवारों को अनुपात में और भी अधिक मत मिले जो अम्बेडकर के समर्थक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किन्तु इसके अलावा, दो-तिहाई सीटें कांग्रेस ने निर्विरोध जीत ली। अलबत्ता ये आंकड़े अन्तिम नहीं हैं, परन्तु यह कहना संगत नहीं है कि कॉमन्स में प्रथम लॉर्ड के वक्तव्य में ''सत्य का आधार नहीं है'' यद्यपि मेरा विचार है कि यह कुछ ज्यादा ही निश्चयात्मक था।

3. अम्बेडकर के पत्र के पैरा 3 के संबंध में यह बात हाऊस ऑफ कॉमन्स में नहीं कही गई थी कि उनका प्रभाव बम्बई और मध्य प्रांत तक ही सीमित है। वह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के भाषण का संदर्भ दे रहे हैं जिसमें वास्तविक शब्द इस प्रकार थे: ''डाक्टर अम्बेडकर का संगठन कुछ स्थानीय प्रकृति का है

(कांग्रेस संगठन की अपेक्षा) और यह संगठन मुख्यतया बम्बई और मध्य प्रांत तक सीमित है।'' मैंने इस बात की जांच की है कि बंगाल में संविधान सभा के चुनाव में क्या हुआ जो अलबत्ता सानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। अम्बेडकर को पांच प्रथम वरीयता मत प्राप्त हुए। शरत चन्द्र बोस को भी पांच प्रथम वरीयता मत प्राप्त हुए। बंगाल में चुनाव का कोटा चार मतों तक सीमित था। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस अपने मतदाताओं को इस प्रकार संगठित करेगी कि अपने उम्मीदवारों में से प्रत्येक उम्मीदवार को यथासंभव चार प्रथम वरीयता मत मिल सकें। ''मतदान में सर्वोच्च'' जैसे शब्दों को महत्व सानुपातिक चुनाव में नहीं होता है। इसे कोई भी नहीं नकारता कि अम्बेडकर को भी बंगाल के दलित वर्गों में प्रभाव प्राप्त था। बंगाल विधान सभा में अनुसूचित जातियों के पच्चीस सदस्य हैं, इनमें से चार सदस्य स्वतंत्र सदस्यों के रूप में चुन लिए गए और एक अम्बेडकर को उम्मीदवार चुना गया। मैं यह नहीं जानता कि क्या सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों ने संविधान सभा के चुनाव में अम्बेडकर को मत दिए थे अथवा क्या उन्हें कुछ एंग्लो-इंडियन मत प्राप्त हुए थे।

4. अम्बेडकर के पैरा 4 के संबंध में, मुझे विश्वास है कि हम सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते कि हम अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक वर्ग मानते हैं और इस अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह सही है कि कांग्रेस उन्हें अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अल्पसंख्यक वर्ग नहीं मानती जबकि हमने सदैव उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग समझा है। परन्तु हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि यह सुनिश्चित कर सकें कि अम्बेडकर के संगठन का अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व हो।

5. मैं यह नहीं समझता कि वास्तव में अम्बेडकर के पत्र का उत्तर भेजना चाहिए, परन्तु यदि आप इसे सद्भावनापूर्ण मानें तो आप उत्तर भेज सकते हैं, जिसके लिए मैं एक छोटा मसौदा भेज रहा हूं। मैं प्रथम लॉर्ड और बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के भाषण के उद्धरण भेज रहा हूं जो कॉमन्स की बहस में उन्होंने दिए थे। मेरे अपने भाषण का एक अंश उसी प्रकार का था, परन्तु वह संक्षिप्त था।

पेथिक लारेंस

25
लॉर्ड पेथिक लॉरेंस का श्री एटली को पत्र

एल/पी एण्ड जे/10/50 : एफएफ 28-32

इंडिया ऑफिस, 9 सितम्बर, 1946

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कार्यवाही-वृत्तांत : क्रम सं. 51/46

प्रधान मंत्री,

संविधान सभा की सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आपके व्यक्तिगत मिनट संख्या एम 296/46 दिनांक 4 सितम्बर का संदर्भ।

2. निश्चय ही मिशन का इरादा था कि सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मैंने अम्बेडकर को पत्र द्वारा सूचित किया था। यह पत्र मैंने भारत में ही उन्हें लिखा था। आपने 1 अगस्त के अपने उत्तर के तीसरे पैरा में डॉक्टर अम्बेडकर को बताया था कि महामहिम की सरकार स्वयं अनुसूचित जातियों को महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मानती है और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में होना चाहिए, परन्तु इस बारे में सार्वजनिक घोषणा करने की उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार की घोषणा का तात्पर्य यह होगा –

(क) ऐसे सभी अन्य तत्वों का भी विशेष रूप से उल्लेख करना पड़ेगा जिन्हें महामहिम की सरकार समझती है कि सलाहकार समिति में अल्पसंख्यकों के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए; और

(ख) इसे संविधान सभा के कार्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी समझा जाएगा।

3. परन्तु स्थिति यह है कि हमने सलाहकार समिति के गठन को संविधान सभा के हाथ में छोड़ दिया है और अब हम स्वयं यह उपबंध नहीं कर सकते। मैं नहीं सोचता कि हमें हाऊस को गुमराह करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के 18 जुलाई के भाषण में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था और इसके संगत पैरा को 3 सितम्बर के मेरे मिनट के साथ संलग्न कर दिया गया था।

4. क्या अनुसूचित जातियां अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का गठन करती हैं अथवा वे हिन्दुओं के साथ वर्गीकृत होती हैं, इसका एक दीर्घ इतिहास है और इस बारे में विवादास्पद स्थिति है। गांधी ने अपने जीवन में काफी समय तक दूसरे विचार का प्रचार किया है। परन्तु जब मैंने अपने तीन सितम्बर के कार्यवाही-वृत्तांत के पैरा 4 में बताया था कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग नहीं मानती, तो मेरे मस्तिष्क में 25 जून को वायसराय को लिखे आजाद के पत्र का पैरा घूम रहा था। (16 मई के हमारे वक्तव्य के कुछ सप्ताह बाद) जिसका डॉक्टर अम्बेडकर ने आपसे अपने दोनों पत्रों में उल्लेख किया था। इस पत्र में आजाद ने लिखा था कि कांग्रेस 'इस विचार का खंडन करती है कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग की हैं और उन्हें हिन्दू समाज का अभिन्न अंग समझती है।' (सीएमडी 6861 के पृष्ठ 23 का दूसरा पैरा) इस वक्तव्य में श्री जिन्ना को वायसराय के आश्वासन का संदर्भ दिया गया है कि वे अल्पसंख्यक वर्गों के

प्रतिनिधियों को आवंटित अंतरिम सरकार में रिक्त स्थानों को भरने से पूर्व मुख्य पार्टियों से परामर्श करेंगे। यह बात पूर्णतया अस्वाभाविक नहीं थी कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों को अपना ही उत्तरदायित्व माने तथा इस बात पर आपत्ति उठाए कि मुस्लिम लीग को अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति में कुछ कहने का अधिकार है।

5. यह धारणा बनाने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है कि कांग्रेस सलाहकार समिति में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की इच्छा नहीं रखती। वह भारत और विदेश में आलोचना से बचना चाहेगी, और उसकी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि यथासंभव अधिक अनुपात में अनुसूचित जातियों को अपनी ओर मिलाए, या उनसे समझौता करें, यदि किसी और प्रयोजन के लिए नहीं तो इसलिए कि वे मुस्लिम लीग के साथ न मिल जाएं। समिति को नागरिकों तथा अल्पसंख्यक वर्गों, दोनों के ही अधिकारों को देखना है ताकि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के सम्मिलित किए जाने का प्रश्न पूर्वाग्रही न बने कि क्या वे अल्पसंख्यक हैं या नहीं। दूसरी ओर, इस बात की गारंटी नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर अथवा कांग्रेस विरोधी अनुसूचित जातियों का कोई अन्य सदस्य समिति में स्थान पा सकेगा।

6. मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर की सार्वजनिक घोषणा की मांग के उत्तर में इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार न हों कि 16 मई के मिशन के वक्तव्य के पैरा 20 के अर्थ के अनुसार अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चय ही वह गांधी के साथ विवाद पैदा करना होगा जिसका परिणाम यह हो सकता है कि अनुसूचित जातियों को प्रदर्शन के रूप में सम्मिलित किए जाने पर कांग्रेस में विरोध होगा। यदि हमने यह नहीं भी कहा कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक हैं और यही कहा कि उन्हें समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो हमारे वक्तव्य से एंग्लो-इंडियन और अन्य वर्गों के प्रश्न में इसी प्रकार का वक्तव्य देने की मांगें उठेंगी तथा उसे संविधान सभा के काम में हस्तक्षेप समझा जाएगा, और ऐसी स्थिति को न आने देने के लिए हम चिन्तित हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस प्रकार के वक्तव्य से कांग्रेस सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों से बेहतर बर्ताव करने के प्रयोजन से उन्हें अधिक स्थान देगी जो वह अन्यथा न देती। न ही इससे डॉक्टर अम्बेडकर को सहायता मिलेगी क्योंकि इसमें केवल अनुसूचित जातियों का उल्लेख होगा और उनमें कोई भेद नहीं होगा जो कांग्रेस का समर्थन करती है और जो कांग्रेस का समर्थन नहीं करती।

पेथिक लॉरेन्स

भारत की अनुसूचित जातियों को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उनको हिन्दुओं के साथ मिला दिया गया है। महामहिम की सरकार द्वारा कई बार यह घोषणा की गई है कि महामहिम की सरकार यह मानती है कि अनुसूचित जातियां भारत के राष्ट्रीय जीवन में पृथक घटक हैं और यह कि महामहिम की सरकार ऐसा कोई संविधान नहीं लायेगी/थोपेगी जिसमें अनुसूचित जातियां एक इच्छुक पक्ष नहीं होंगी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (कैबिनेट मिशन) ने मुस्लिमों तथा सिखों को पृथक घटक क्यों माना है।

भाग 3

वक्तव्य

*अनुसूचित जातियों (अछूतों) पर प्रभाव डालने वाले भारत के संवैधानिक परिवर्तनों के विषय में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) के प्रस्तावों की **डा. बी.आर. अम्बेडकर** द्वारा समीक्षा।*

क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की अनुसूचित जातियों (अछूतों) का प्रतिनिधित्व करती है?

इस वर्ष के प्रारंभ में श्रमिक सरकार (लेबर गवर्नमेंट) ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो मंत्रिमंडलीय शिष्ट-मंडल (केबिनेट मिशन) भेजा, उसने एक संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। इस संविधान सभा में ऐसे प्रतिनिधि होंगे जिनका चुनाव प्रान्तीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल की योजना ने प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया है: 1. मुस्लिम, 2. सिख और 3. सामान्य। इनमें से प्रत्येक के लिए सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वर्ग का एक अलग निर्वाचन-मंडल होगा जिससे संविधान सभा के मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधायिका के मुस्लिम सदस्यों द्वारा किया जाएगा, सिख प्रतिनिधियों को सिख सदस्यों द्वारा और सामान्य वर्ग के सदस्यों को शेष सभी सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। 'सामान्य वर्ग' में 1. हिन्दू, 2. अनुसूचित जातियां, 3. भारतीय ईसाई तथा 4. एंग्लो-इंडियन शामिल हैं।

2. भारत की अनुसूचित जातियों को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उनको हिन्दुओं के साथ मिला दिया गया है। महामहिम की सरकार द्वारा कई बार यह घोषणा की गई है कि महामहिम की सरकार यह मानती है कि अनुसूचित जातियां भारत के राष्ट्रीय जीवन में पृथक घटक हैं और यह कि महामहिम की सरकार ऐसा कोई संविधान नहीं लायेगी/थोपेगी जिसमें अनुसूचित जातियां एक इच्छुक पक्ष नहीं होंगी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (कैबिनेट मिशन) ने मुस्लिमों तथा सिखों को पृथक घटक क्यों माना है और उसने अनुसूचित जातियों को वही हैसियत देने से इंकार क्यों किया है?

मंत्री-मंडलीय शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) के प्रस्तावों पर संसद में 18 जुलाई को जो वाद-विवाद हुआ, उसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, श्री अलेग्जेंडर तथा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने इस आलोचना से स्वयं को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने दो तर्क दिए-

(1) कि प्रान्तीय विधायिका के चुनावों में जो पिछली फरवरी में हुए थे, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया था, जिससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ हैं और वे अपने भाग्य को कांग्रेस के अर्थात् हिन्दुओं के साथ जुड़ा मानती हैं और इसलिए उनको पृथक व अलग रखने का कोई आधार नहीं है।

(2) कि अल्पसंख्यकों के विषय में एक सलाहकार समिति होगी। जिसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होगा और वे उसमें अपने लिए आवश्यक बचाव के उपाय करने के लिए आवाज उठा सकेंगे।

दूसरा तर्क बहुत ही बेकार है। इसके कारण स्पष्ट हैं। सलाहकार समिति की स्थिति तथा शक्तियों को निर्धारित नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं है। सलाहकार-समिति के निर्णयों को केवल मात्र बहुलमत द्वारा ही लिया जाना है। अंत में, सलाहकार-समिति संविधान-सभा, की ही मात्र प्रतिछाया होगी, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकती। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के समस्त प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और वे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अतएव वे कांग्रेस पार्टी के आदेश के अधीन हैं, वे उसी के आदेश का पालन करेंगे। उनमें से जिन व्यक्तियों को सलाहकार समिति में रखा जाएगा, वे उसी पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। वे संविधान सभा में या सलाहकार-समिति में अनुसूचित जातियों के वास्तविक दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं कर सकते।

मंत्री मंडलीय आयोग के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों को पृथक तथा स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देने में अपनी असफलता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अपने बचाव में जो मुख्य बात कही गई वह यह है कि विगत चुनावों में अनुसूचित जातियों की सीटों को कांग्रेस ने जीता था। उनके बचाव का यह तर्क भी ठीक नहीं उतरता। यह सच है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों की सीटों को जीता था। परन्तु इसका उत्तर यह है कि इस चुनाव के परिणामों को विभिन्न बातों के कारण आधार नहीं माना जाना चाहिए।

प्रथम, अनुसूचित जातियों जैसे दलों पर, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया था, उसी कारण से लोगों का विश्वास नहीं था। दूसरे, आजाद हिन्द फौज के लोगों के अभियोग का, जो चुनाव के समक्ष ही चला था, कांग्रेस को लाभ पहुंचा और दूसरे दलों को हानि हुई। यदि आजाद हिन्द फौज पर अभियोग चुनाव के समय न चला होता तो कांग्रेस की पूर्णतया हार होती, क्योंकि उसकी साख बहुत निम्न थी।

इन दो कारणों क अलावा चुनाव के परिणाम परीक्षण के रूप में क्यों नहीं लिए जाने चाहिए थे इसका एक विशेष कारण यह है कि उसे इस बात का आधार नहीं माना जाना चाहिए कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं। वह कारण यह है कि अनुसूचित जातियों की सीटों के लिए अंतिम निर्णय संयुक्त निर्णायक प्रणाली द्वारा होता है जिसमें हिन्दू भी वोट (मत) देते हैं। चूंकि हिन्दुओं के वोट की प्रधानता होती है, अतः कांग्रेस के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित अपने उन उम्मीदवारों का पूर्णतया हिन्दू वोटों द्वारा चुनाव कर लेना आसान होता है जो अनुसूचित जाति की सीटों के लिए खड़े हैं। यह बात कि विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि जो कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे, वे मात्र हिन्दू वोटों द्वारा चुने गए, अनुसूचित जातियों के वोटों द्वारा नहीं। यह एक तथ्य है जिसे मंत्रीमंडलीय आयोग भी नकार नहीं सकेगा। कांग्रेस अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं इस बात का निर्णय करने की वास्तविक जांच प्राथमिक चुनावों के परिणामों को देखकर की जा सकती है जो अंतिम चुनावों से पहले हुए थे, क्योंकि प्राथमिक चुनावों में अनुसूचित जातियों का पृथक निर्वाचन-मंडल है जिसमें हिन्दुओं को मत देने का कोई अधिकार नहीं है। अतएव प्राथमिक चुनाव अनुसूचित जातियों की वास्तविक भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। प्राथमिक चुनाव के परिणाम क्या दर्शाते हैं? क्या वे यह दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ हैं?

अनुसूचित जातियों को प्रांतीय विधानमंडलों की 151 सीटें आवंटित की गई हैं। वे, सिंध तथा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर, विभिन्न प्रांतों में वितरित हैं।

प्राथमिक चुनाव अनिवार्य नहीं होता है। यह केवल तभी अनिवार्य होता है, जब एक सीट के लिए यदि चार से अधिक उम्मीदवार लड़ रहे हों।

विगत प्राथमिक चुनावों में, जो अंतिम चुनाव से पहले हुए, प्राथमिक चुनाव 151 में से 40 निर्वाचन क्षेत्रों में अनिवार्य हो गया था। सीटें निम्न प्रकार से वितरित थीं-

मद्रास	10
बम्बई	3
बंगाल	12
संयुक्त प्रांत	3
मध्य प्रांत	5
पंजाब	7

बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों में कोई प्राथमिक चुनाव नहीं हुए।

40 निर्वाचन मंडलों में प्राथमिक चुनावों के परिणामों को परिशिष्ट में तालिका-बद्ध किया गया है जो इस नोट के साथ संबद्ध है। परिणाम यह सिद्ध करते हैं-

(1) कि 283 उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने अपने टिकट पर (तालिका 1 देखें) केवल 46 उम्मीदवार खड़े किए और 168 सफल उम्मीदवारों में से उसके पक्ष वाले केवल 38 उम्मीदवार सफल हुए (देखें तालिका V)

(2) प्राथमिक चुनाव में किसी पार्टी के प्रवेश करने का उद्देश्य अपनी पार्टी के टिकट पर कम से कम चार उम्मीदवारों को खड़ा करके अंतिम चुनाव से सभी प्रतिद्वन्द्वी दलों को बाहर करना होता है। एक दल अपने टिकट पर चार उम्मीदवार खड़े कर सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपने मतदाताओं पर अपनी पार्टी के टिकट के पक्ष में मत देने के संबंध में उसका कितना विश्वास है। कांग्रेस ने प्रत्येक-निर्वाचन- क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार खड़ा करने का साहस नहीं किया। हमें इससे पता चलता है कि कांग्रेस को यह विश्वास नहीं था कि अनुसूचित जातियों के मतदाता उसके उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। यदि ऐसा कोई दल है जिसने उस प्रत्येक सीट के लिए जिस पर उसने चुनाव लड़ा है चार उम्मीदवार खड़े किए हैं तो वह दल ''अनुसूचित जाति संघ' (शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन) है। (देखें तालिका II, भाग I और V, कॉलम 3 तथा 4)

आयोग के आत्मसमर्पण से कांग्रेस को इतना अधिक प्रोत्साहन मिला है कि आयोग को सम्बोधित एक पत्र में कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि अनुसूचित जाति एक अल्पसंख्यक वर्ग है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों को वही सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है जो अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को वह देगी। आयोग ने कांग्रेस के इस सुझाव का खंडन नहीं किया है, पर इसमें एक बड़ा खतरा छिपा है और यह आवश्यक है कि वाद-विवाद के दौरान आयोग को यह बात बताई जाए और उन्हें यह स्पष्ट घोषित करने के लिए बाध्य किया कि वे अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानते हैं या नहीं।

(3) कांग्रेस के पक्ष में जो मत पड़े हैं, यदि उनको मापा जाए तो यह बात निर्विवाद रूप में सिद्ध होती है कि कांग्रेस ने प्राथमिक चुनावों में डाले गए मतों के केवल 28 प्रतिशत मत प्राप्त किए। (देखें, तालिका IV)।

(4) यदि किसी व्यक्ति को हिन्दू मतों की सहायता से अंतिम चुनाव में निर्वाचित होने का प्रलोभन न हो, तो समस्त स्वतंत्र उम्मीदवार अनुसूचित जाति संघ के हो जाएंगे। उस मान्यता के आधार पर अनुसूचित जाति संघ ही केवल एकमात्र ऐसा दल है जो अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करता है और गैर-कांग्रेस दलों के पक्ष में पड़े 72 प्रतिशत मतों को उसके पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। (देखें तालिका IV)।

मंत्रिमंडलीय आयोग के सदस्यों ने यह तर्क दिया कि डा. अम्बेडकर के अनुयायी केवल बम्बई प्रेसिडेंसी तथा मध्य प्रान्त (सेन्ट्रल प्रोविसेंज़) में अनुसूचित जातियों तक ही सीमित था।

इस बयान का कोई आधार नहीं है। अनुसूचित जाति संघ अन्य प्रान्तों में भी काम कर रहा है और इसने वहां भी चुनाव में बम्बई तथा मध्य प्रान्त की भांति ही बड़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह बयान देते समय आयोग डॉ. अम्बेडकर की संविधान सभा में प्राप्त जीत को ध्यान में रखने में असफल रहा है। वह एक उम्मीदवार के रूप में बंगाल प्रांत की विधान सभा से खड़े हुए थे। उन्होंने प्रथम वरीयता के 7 मत प्राप्त किए, और जहां तक सामान्य सीटों का संबंध है, चुनाव में शीर्ष पर रहे, और कांग्रेस पार्टी के नेता, श्री शरत चन्द्र बोस को भी पराजित किया। यदि डॉ. अम्बेडकर का बम्बई तथा मध्य प्रान्तों के बाहर कोई प्रभाव नहीं है तो वह बंगाल से किस प्रकार चुने गए? इसके अलावा यह बात भी याद रखनी चाहिए कि बंगाल की प्रांतीय विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 30 सीटें हैं। इन 30 में से 28 पर

कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार चुने गए, शेष दो में से जो उसकी पार्टी से संबंधित हैं, एक उम्मीदवार चुनाव के दिन बीमार हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि कांग्रेस के टिकट पर चुने गए, अनुसूचित जाति के 6 सदस्यों ने कांग्रेस के आदेश को तोड़ा और डॉ. अम्बेडकर के पक्ष में मतदान किया। इससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के वे सदस्य भी जो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं और कांग्रेस से संबंधित हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में मानते हैं। यह बात आयोग द्वारा दिए गए बयान का पूर्ण खण्डन है।

आयोग के आत्मसमर्पण से कांग्रेस को इतना अधिक प्रोत्साहन मिला है कि आयोग को सम्बोधित एक पत्र में कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि अनुसूचित जाति एक अल्पसंख्यक वर्ग है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों को वही सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है जो अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को वह देगी। आयोग ने कांग्रेस के इस सुझाव का खंडन नहीं किया है, पर इसमें एक बड़ा खतरा छिपा है और यह आवश्यक है कि वाद-विवाद के दौरान आयोग को यह बात बताई जाए और उन्हें यह स्पष्ट घोषित करने के लिए बाध्य किया कि वे अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानते हैं या नहीं।

मंत्री-मंडलीय आयोग ने अपने प्रस्तावों में कहा है कि प्रभुसत्ता को स्थानांतरित किए जाने से पहले, संसद को स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सुरक्षा के उपाय पर्याप्त हैं। आयोग ने कहीं भी सुरक्षा के उपायों की जांच करने वाले तंत्र को निर्धारित नहीं किया है। अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा के उपायों की जांच करने के लिए संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति होगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। आयोग ने यह भी नहीं कहा है कि सुरक्षा पर्याप्त है या नहीं, इस विषय में निष्कर्ष निकालने के लिए महामहिम की सरकार अपना स्वतंत्र नियम करेगी। इन मामलों को निर्धारित करना आवश्यक है क्योंकि यह व्यवस्था आयोग के साथ बाद में विचार करके दी गई थी और यह उनके मूल प्रस्तावों में नहीं थी। यह इस बात का संकेत देती है कि इसका उद्देश्य केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक घूस के रूप में कार्य करना था।

प्रस्तावों की समीक्षा...

प्राथमिक चुनावों के परिणामों का विश्लेषण

ये निर्वाचन, दिसम्बर, 1945 में भारत के प्रांतीय विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए अनुसूचित जातियों (अछूतों) में से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए (फरवरी, 1946 में भारत में हुए सामान्य निर्वाचनों से पहले) हुए थे।

नोट : इस विश्लेषण में तालिकाएं सरकारी आंकड़ों से तैयार की गई हैं।

तालिका ।

जिन दलों ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्राथमिक चुनाव लड़ा, उनको प्रान्तवार दर्शाया गया है-

दल का नाम जिसने प्राथमिक चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़े किए	प्रत्येक दल द्वारा निम्न प्रांतों में खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या						समस्त प्रांतों में दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या
	मद्रास	बम्बई	बंगाल	संयुक्त प्रान्त	मध्य प्रान्त	पंजाब	
कांग्रेस	10	3	13	11	5	4	46
अनुसूचित जाति संघ	35	6	8	9	12	कोई नहीं	70
हरिजन लीग	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1	3	कोई नहीं	4
निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)	5	9	76	3	8	52	153
हिन्दू महासभा	कोई नहीं	कोई नहीं	1	1	कोई नहीं	कोई नहीं	2
साम्यवादी (कम्युनिस्ट)	6	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	7
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी	कोई नहीं	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
जोड़	56	18	100	25	28	56	283

तालिका ॥

जिन दलों ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्राथमिक चुनाव लड़ा, उनको निर्वाचन-क्षेत्रवार दर्शाया गया है–

भाग । – मद्रास

	निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव हुआ	चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	वे दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या			
			कांग्रेस	अनुसूचित जाति संघ	साम्यवादी	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)
1.	अमलापुरम	7	1	4	2	कोई नहीं
2.	कोको नाडा	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	बन्दर	5	1	1	3	कोई नहीं
4.	कुडप्पा	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	पेनुकोंडा	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	तिरमवन्नमलाई	6	1	5	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	टिंडिवेणम	6	1	5	कोई नहीं	कोई नहीं
8.	मन्नरगुडि	5	1	कोई नहीं	1	3
9	पोल्लाची	7	1	4	कोई नहीं	2
10.	नम्मकल	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
	जोड़	56	10	35	6	5

भाग ॥ – बम्बई

	निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव हुआ	चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	वे दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या		
			कांग्रेस	अनुसूचित जाति संघ	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)
1.	बम्बई नगर (उत्तर)	7	1	1	5
2.	बम्बई नगर (बाईकुला परेल)	6	1	1	4
3.	बम्बई नगर (पूर्व)	5	1	4	कोई नहीं
	जोड़	18	3	6	9

तालिका ॥

भाग ॥। – बंगाल

	निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिनमें प्राथमिक चुनाव हुआ	कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया	वे दल जिन्होंने चुनाव लड़ा तथा प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या					
			कांग्रेस	अनुसूचित जाति संघ	हिन्दू महासभा	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)	साम्यवादी	रेडिकल डेमोक्रेटिव पार्टी
1.	हुगली	5	1	कोई नहीं	कोई नहीं	3	–	1
2.	हावड़ा	7	3	कोई नहीं	कोई नहीं	4	–	–
3.	नादिया	12	1	कोई नहीं	कोई नहीं	11	–	–
4.	जेसोर	7	1	2	कोई नहीं	4	–	–
5.	खुलना	11	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	11	–	–
6.	दिनाजपुर	16	2	कोई नहीं	कोई नहीं	13	1	–
7.	बोगरा	6	1	कोई नहीं	कोई नहीं	5	–	–
8.	मेमनसिंग	7	1	कोई नहीं	कोई नहीं	6	–	–
9.	फरीदपुर	18	2	3	कोई नहीं	13	–	–
10.	बाकरगंज	6	कोई नहीं	3	1	2	–	–
11.	टिप्परा	5	1	कोई नहीं	कोई नहीं	4	–	–
	कुल जोड़	100	13	8	1	76	1	1

तालिका ।।

भाग IV संयुक्त प्रांत

निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव लड़ा गया	कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया	दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या				
		कांग्रेस	अनुसूचित जाति संघ	हरिजन लीग	हिन्दू महासभा	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)
आगरा नगर	11	1	5	1	1	3
इलाहाबाद नगर	6	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं	3
अलमोड़ा	8	3	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	3
जोड़	25	5	9	1	1	9

भाग V मध्य प्रांत

निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव लड़ा गया	कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया	दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या			
		कांग्रेस	अनुसूचित जाति संघ	हरिजन लीग	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)
नागपुर व सकोली	5	1	2	1	1
हिंगनघाट	6	1	2	1	2
भंडारा	5	1	3	1	कोई नहीं
यवतमाल	6	1	2	कोई नहीं	3
चिखाली	6	1	3	कोई नहीं	2
कुल जोड़	28	5	12	3	8

भाग VI पंजाब

निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव लड़ा गया	कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया	दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या		
		कांग्रेस	यूनियनिस्ट	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)
गुड़गांव	10	–	1	9
करनाल	10	1	–	9
अम्बाला	8	–	–	8
होशियारपुर	9	1	1	7
जालंधर	6	1	1	4
लुधियाना	10	1	–	9
लायलपुर	6	–	–	6
कुल जोड़	59	4	3	52

भाग VII

जिन दलों ने प्राथमिक चुनाव लड़ा, उन विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त मतों को प्रांतवार इस तालिका में दर्शाया गया है:

दल का नाम		निम्न प्रांतों में प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त किए गए मत											
		मद्रास		बम्बई		बंगाल		संयुक्त प्रांत		मध्य प्रांत		पंजाब	
		कुल	प्रति.	कुल	प्रति.	कुल	प्रति.	कुल	प्रति.	कुल	प्रति.	कुल	प्रति.
1.	कांग्रेस	27838	33	5333	14	56848	32.7	4101	41.8	1131	10.7	82938	17.6
2.	अनुसूचित जाति संघ	30199	36	28489	74	21129	12.2	3093	30.5	8685	82.8	NIL	.53
3.	स्वतंत्र	4648	4.5	3814	10	83869	47	1773	18.8	551		24618	
4.	हरिजन लीग	NIL		NIL		NIL		370		113		NIL	
5.	हिन्दू महासभा	NIL		NIL		760		452		NIL		NIL	
6.	यूनियनिस्ट	NIL		NIL		NIL		NIL		NIL		13521	
7.	साम्यवादी	20814	25	NIL		10049	5.8	NIL		NIL		NIL	
कुल		83409		37586		172791		9789		10480		46337	

भाग VIII

समस्त भारत में प्राथमिक चुनावों में पड़े कुल मतों का विभाजन तथा कांग्रेस और गैर-कांग्रेस दलों के बीच उनका विभाजन

प्राथमिक चुनाव में भारत भर में पड़े कुल मत	कांग्रेस दल के पक्ष में				गैर-कांग्रेस दलों के पक्ष में							
	कांग्रेस	हरिजन लीग	कुल	प्रति.	अनुसूचित जाति संघ	स्वतंत्र	हिन्दू महासभा	साम्यवादी	यूनियनिस्ट	रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी	कुल	प्रति.
359532	103449	483	103932	28	91595	119273	1212	30863	13521	136	255600	72

भाग IX

उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने प्राथमिक चुनावों में, विभिन्न प्रान्तों में सफलता प्राप्त की और उनके दल के अनुसार वर्गीकरण

	दल का नाम	मद्रास	बम्बई	बंगाल	उ.प्र.	म.प्र.	पंजाब	कुल
1.	कांग्रेस	10	3	12	4	5	4	38
2.	अनुसचित जाति संघ	24	5	6	5	11	कोई नहीं	51
3.	स्वतंत्र	3	4	36	2	3	21	69
4.	हिन्दू महासभा	कोई नहीं	कोई नहीं	1	1	1	–	3
5.	हरिजन लीग	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	–	–
6.	साम्यवादी	3	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं	–	4
7.	रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	–	–
8.	यूनियनिस्ट	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	3	3
	कुल	40	12	56	12	20	28	168

(शेष अगले अंक में)

भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2015) की पूर्व संध्या पर

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश

महामहिम राष्ट्रपति – प्रणब मुखर्जी

प्यारे देशवासियों,

हमारी स्वतंत्रता की 68वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, मैं आपका और विश्व भर के सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मैं अपनी सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैनिक बलों तथा आन्तरिक सुरक्षा बलों के सदस्यों का विशेष अभिनन्दन करता हूँ। मैं, अपने उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने भारत तथा दूसरे देशों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते। मैं, 2014 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी को बधाई देता हूं, जिन्होंने देश का नाम रौशन किया।

मित्रों, 15 अगस्त, 1947 को, हमने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की। आधुनिक भारत का उदय एक ऐतिहासिक हर्षोल्लास का क्षण था; परन्तु यह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अकल्पनीय पीड़ा के रक्त से भी रंजित था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महान् संघर्ष के इस पूरे दौर में जो आदर्श तथा विश्वास कायम रहे वे अब दबाव में थे।

महानायकों की एक महान पीढ़ी ने इस विकट चुनौती का सामना किया। उस पीढ़ी की दूरदर्शिता तथा परिपक्वता ने हमारे इन आदर्शों को, रोष और भावनाओं के दबाव के अधीन विचलित होने अथवा अवनत होने से बचाया। इन असाधारण पुरुषों एवं महिलाओं ने हमारे संविधान के सिद्धांतों में, सभ्यतागत् दूरदर्शिता से उत्पन्न भारत के गर्व, स्वाभिमान तथा आत्म-सम्मान का समावेश किया, जिसने पुनर्जागरण की प्रेरणा दी और हमें स्वतंत्रता प्रदान की। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा संविधान प्राप्त हुआ है जिसने महानता की ओर भारत की यात्रा का शुभारंभ किया।

इस दस्तावेज का सबसे मूल्यवान उपहार लोकतंत्र था, जिसने हमारे प्राचीन मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में नया स्वरूप दिया तथा विविध स्वतंत्रताओं को संस्थागत रूप प्रदान किया। इसने स्वाधीनता को शोषितों और वंचितों के लिए एक सजीव अवसर में बदल दिया तथा उन लाखों लोगों को समानता तथा सकारात्मक पक्षपात का उपहार दिया जो सामाजिक अन्याय से पीड़ित थे। इसने एक ऐसी लैंगिक क्रान्ति की शुरुआत की जिसने हमारे देश को प्रगति का उदाहरण बना दिया। हमने अप्रचलित परंपराओं और कानूनों को समाप्त किया तथा शिक्षा और रोजगार के माध्यम से महिलाओं के लिए बदलाव सुनिश्चित किया। हमारी संस्थाएं इस आदर्शवाद का बुनियादी ढांचा है।

प्यारे देशवासियों, अच्छी से अच्छी

विरासत के संरक्षण के लिए लगातार देखभाल जरूरी होती है। लोकतंत्र की हमारी संस्थाएं दबाव में हैं। संसद परिचर्चा के बजाय टकराव के अखाड़े में बदल चुकी है। इस समय, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के उस वक्तव्य का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो उन्होंने नवंबर, 1949 में संविधान सभा में अपने समापन व्याख्यान में दिया था: ''किसी संविधान का संचालन पूरी तरह संविधान की प्रकृति पर ही निर्भर नहीं होता। संविधान केवल राज्य के विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसे अंगों को ही प्रदान कर सकता है। इन अंगों का संचालन जिन कारकों पर निर्भर करता है, वह है जनता तथा उसकी इच्छाओं और उसकी राजनीति को साकार रूप देने के लिए उसके द्वारा गठित किए जाने वाले राजनीतिक दल। यह कौन बता सकता है कि भारत की जनता तथा उनके दल किस तरह आचरण करेंगे''? यदि लोकतंत्र की संस्थाएं दबाव में हैं तो समय आ गया है कि जनता तथा उसके दल गंभीर चिंतन करें। सुधारात्मक उपाय अंदर से आने चाहिए।

प्यारे देशवासियों, हमारे देश की उन्नति का आकलन हमारे मूल्यों की ताकत से होगा, परन्तु साथ ही यह आर्थिक प्रगति तथा देश के संसाधनों के समतापूर्ण वितरण से भी तय होगी। हमारी अर्थव्यवस्था भविष्य के लिए बहुत आशा बंधाती है। 'भारत गाथा' के नए अध्याय अभी लिखे जाने हैं। 'आर्थिक सुधार' पर कार्य चल रहा है। पिछले दशक के दौरान् हमारी उपलब्धि सराहनीय रही है; और यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि कुछ गिरावट के बाद हमने 2014-15 में 7.3 प्रतिशत् की विकास दर वापस प्राप्त कर ली है, परन्तु इससे पहले कि इस विकास का लाभ सबसे धनी लोगों के बैंक खातों में पहुंचे, उसे निर्धनतम् व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम एक समावेशी लोकतंत्र तथा एक समावेशी अर्थव्यवस्था हैं; धन-दौलत की इस व्यवस्था में सभी के लिए जगह है। परन्तु सबसे पहले उनको मिलना चाहिए जो अभावों के कगार पर कष्ट उठा रहे हैं। हमारी नीतियों को निकट भविष्य में 'भूख से मुक्ति' की चुनौती का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।

मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों को सुरक्षित रखना होगा। उदारमना प्रकृति अपवित्र किए जाने पर आपदा बरपाने वाली विध्वंसक शक्ति में बदल सकती है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि होती है। इस समय, जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं देश के बहुत से हिस्से बड़ी कठिनाई से बाढ़ की विभीषिका से उबर पा रहे हैं। हमें पीड़ितों के लिए तात्कालिक राहत के साथ ही पानी की कमी और अधिकता दोनों के प्रबंधन का दीर्घकालीन समाधान ढूंढ़ना होगा।

प्यारे देशवासियों, मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों को सुरक्षित रखना होगा। उदारमना प्रकृति अपवित्र किए जाने पर आपदा बरपाने वाली विध्वंसक शक्ति में बदल सकती है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि होती है। इस समय, जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं देश के बहुत से हिस्से बड़ी कठिनाई से बाढ़ की विभीषिका से उबर पा रहे हैं। हमें पीड़ितों के लिए तात्कालिक राहत के साथ ही पानी की कमी और अधिकता दोनों के प्रबंधन का दीर्घकालीन समाधान ढूंढ़ना होगा।

प्यारे देशवासियों, जो देश अपने अतीत के आदर्शवाद को भुला देता है वह अपने भविष्य से कुछ महत्त्वपूर्ण खो बैठता है। विभिन्न पीढ़ियों की आकांक्षाएं आपूर्ति से कहीं अधिक बढ़ने के कारण हमारे शिक्षण संस्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है, परन्तु नीचे से ऊपर तक गुणवत्ता का क्या हाल है? हम गुरु शिष्य परम्परा को तर्कसंगत गर्व के साथ याद करते हैं; तो फिर हमने इन संबंधों के मूल में निहित स्नेह, समर्पण तथा प्रतिबद्धता का परित्याग क्यों कर दिया? गुरु किसी कुम्हार के मुलायम तथा दक्ष हाथों के ही समान शिष्य के भविष्य का निर्माण करता है। विद्यार्थी, श्रद्धा तथा विनम्रता के साथ शिक्षक के ऋण को स्वीकार करता है। समाज, शिक्षक के गुणों तथा उसकी विद्वता को सम्मान तथा मान्यता देता है। क्या आज हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा हो रहा है? विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों को रुककर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

प्यारे देशवासियों, हमारा लोकतंत्र रचनात्मक है क्योंकि यह बहुलवादी है, परन्तु इस विविधता का पोषण सहिष्णुता और धैर्य के साथ किया जाना चाहिए। स्वार्थी तत्त्व सदियों पुरानी इस पंथनिरपेक्षता को नष्ट करने के प्रयास में सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाते हैं। लगातार बेहतर होती जा रही प्रौद्योगिकी के द्वारा त्वरित सम्प्रेषण के इस युग में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क

रहना चाहिए कि कुछ इने-गिने लोगों की कुटिल चालें हमारी जनता की बुनियादी एकता पर कभी भी हावी न होने पाएं। सरकार और जनता, दोनों के लिए कानून का शासन परम पावन है परन्तु समाज की रक्षा एक कानून से बड़ी शक्ति द्वारा भी होती है, और वह है मानवता। महात्मा गांधी ने कहा था, ''आपको मानवता पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। मानवता एक समुद्र है, यदि समुद्र की कुछ बूंदें मैली हो जाएं, तो समुद्र मैला नहीं हो जाता''।

मित्रों, शांति, मैत्री तथा सहयोग विभिन्न देशों और लोगों को आपस में जोड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप के साझा भविष्य को पहचानते हुए, हमें संयोजकता को मजबूत करना होगा, संस्थागत क्षमता बढ़ानी होगी तथा क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार के लिए आपसी भरोसे को बढ़ाना होगा। जहां हम विश्व भर में अपने हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, वहीं भारत अपने निकटस्थ पड़ोस में सद्भावना तथा समृद्धि बढ़ाने के लिए भी बढ़-चढ़कर कार्य कर रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि बांग्लादेश के साथ लम्बे समय से लंबित सीमा विवाद का अंततः निपटारा कर दिया गया है।

प्यारे देशवासियों, यद्यपि हम मित्रता में अपना हाथ स्वेच्छा से आगे बढ़ाते हैं परन्तु हम जानबूझकर की जा रही उकसावे की हरकतों और बिगड़ते सुरक्षा परिवेश के प्रति आंखें नहीं मूंद सकते। भारत, सीमा पार से संचालित होने वाले शातिर आतंकवादी समूहों का निशाना बना हुआ है। हिंसा की भाषा तथा बुराई की राह के अलावा इन आतंकवादियों का न तो कोई धर्म है और न ही वे किसी विचारधारा को मानते हैं। हमारे पड़ोसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके भू-भाग का उपयोग भारत के प्रति शत्रुता रखने वाली ताकतें न कर पाएं। हमारी नीति आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन न करने की बनी रहेगी। राज्य की नीति के एक उपकरण के रूप में आतंकवाद का प्रयोग करने के किसी भी प्रयास को हम खारिज करते हैं। हमारी सीमा में घुसपैठ तथा अशांति फैलाने के प्रयासों से कड़ाई से निबटा जाएगा।

मित्रों, शांति, मैत्री तथा सहयोग विभिन्न देशों और लोगों को आपस में जोड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप के साझा भविष्य को पहचानते हुए, हमें संयोजकता को मजबूत करना होगा, संस्थागत क्षमता बढ़ानी होगी तथा क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार के लिए आपसी भरोसे को बढ़ाना होगा। जहां हम विश्व भर में अपने हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, वहीं भारत अपने निकटस्थ पड़ोस में सद्भावना तथा समृद्धि बढ़ाने के लिए भी बढ़-चढ़कर कार्य कर रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि बांग्लादेश के साथ लम्बे समय से लंबित सीमा विवाद का अंततः निपटारा कर दिया गया है।

मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने भारत की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं अपने सुरक्षा बलों के साहस और वीरता को नमन करता हूं जो हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा तथा हमारी जनता की हिफाजत के लिए निरन्तर चौकसी बनाए रखते हैं। मैं, विशेषकर उन बहादुर नागरिकों की भी सराहना करता हूं जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम की परवाह न करते हुए बहादुरी के साथ एक दुर्दांत आतंकवादी को पकड़ लिया।

प्यारे देशवासियों, भारत 130 करोड़ नागरिकों, 122 भाषाओं, 1600 बोलियों तथा 7 धर्मों का एक जटिल देश है। इसकी शक्ति, प्रत्यक्ष विरोधाभासों को रचनात्मक सहमतियों के साथ मिलाने की अपनी अनोखी क्षमता में निहित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में यह एक ऐसा देश है जो 'मजबूत परन्तु अदृश्य धागों' से एक सूत्र में बंधा हुआ है तथा ''उसके इर्द-गिर्द एक प्राचीन गाथा की मायावी विशेषता व्याप्त है; मानो कोई सम्मोहन उसके मस्तिष्क को वशीभूत किए हुए हो। वह एक मिथक है और एक विचार है, एक सपना है और एक परिकल्पना है, परन्तु साथ ही वह एकदम वास्तविक, साकार तथा सर्वव्यापी है।''

हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त उर्वर भूमि पर, भारत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ है। इसकी जड़ें गहरी हैं परन्तु पत्तियां मुरझाने लगी हैं। अब नवीकरण का समय है।

यदि हमने अभी कदम नहीं उठाए तो क्या सात दशक बाद हमारे उत्तराधिकारी हमें उतने ही सम्मान तथा प्रशंसा के साथ याद कर पाएंगे जैसा हम 1947 में भारतवासियों के स्वप्न को साकार करने वालों को करते हैं। भले ही उत्तर सहज न हो, परन्तु प्रश्न तो पूछना ही होगा। ■

धन्यवाद,

जय हिंद!

15 अगस्त 2015 : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन

भारत के सवा सौ करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों,

आजादी के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त का यह सवेरा मामूली सवेरा नहीं है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र्य पर्व का सवेरा है। यह सवेरा, सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। यह सवेरा सवा सौ करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है, और ऐसे पावन पर्व पर जिन महापुरूषों के बलिदान के कारण, त्याग और तपस्या के कारण सदियों तक भारत की अस्मिता के लिए जूझते रहे, अपने सर कटवाते रहे, जवानी जेल में खपाते रहे, यातनाएं झेलते रहे, लेकिन सपने नहीं छोड़े, संकल्प नहीं छोड़े। ऐसे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों को मैं आज कोटि-कोटि वंदन करता हूं। पिछले दिनों हमारे देश के अनेक गणमान्य नागरिकों ने, अनेक युवकों ने, साहित्यकारों ने, समाजसेवियों ने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, विश्वभर में भारत का माथा ऊंचा करने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अनगिनत वो लोग हैं, जिनको मैं आज लाल किले की प्राचीर से भारत का माथा ऊंचा करने के लिए हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व के सामने भारत की विशालता, भारत की विविधता इसके गुणगान होते रहते हैं। लेकिन जैसे भारत की अनेक विशेषताएं हैं, भारत में अनेक विविधताएं हैं, भारत की विशालता है, वैसे ही भारत के जन-जन में सरलता भी है और भारत के कोने-कोने में एकता भी है। यही हमारी पूंजी है, यह हमारे राष्ट्र की शक्ति है। हमारे देश की शक्ति को सदियों से संजोया गया है। हर युग में उसे नया निखार देने का प्रयास हुआ है। समय की आवश्यकता के अनुसार, भविष्य के सपनों को साकार करने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ढाला गया है, उन्हें पनपाया गया है, और उससे चिर-पुरातन परम्पराओं के बीच नित्य नूतन संकल्पों के साथ यह देश आज यहां पहुंचा है। हमारी एकता, हमारी सरलता, हमारा भाईचारा, हमारा सद्भाव यह हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को कभी दाग नहीं लगना चाहिए, कभी उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर देश की एकता बिखर जाए, तो सपने भी चूर-चूर हो जाते हैं। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, सम्प्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी, पनपने नहीं देना है। जातिवाद का जहर हो, सम्प्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास की अमृतधारा पहुंचानी है, और विकास की अमृतधारा से एक नई चेतना प्रकट करने का प्रयास करना है।

भाईयों-बहनों, यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है। और ये टीम इंडिया, सवा सौ करोड़ देशवासियों की बृहत टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि सवा सौ करोड़ देशवासियों की ये टीम, जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वे राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं, और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह ये सवा सौ करोड़ की टीम इंडिया के कारण है, और टीम इंडिया के आभारी हैं। लोकतंत्र में जनभागीदारी, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है, अगर सवा सौ करोड़ देशवासियों की भागीदारी से हम देश को चलाएंगे तो देश हर पल सवा सौ करोड़ कदम आगे चलता चला जाएगा

और इसलिए, टीम इंडिया के इस रूप में जनभागीदारी को बल दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से mygov.पर हो, चाहे नागरिकों से लगातार आते रहे लाखों पत्र हो, चाहे मन की बात हो, चाहे नागरिकों के साथ संवाद हो। इसी मार्ग से दिनों-दिन जनभागीदारी बढ़ती चली जा रही है। बहुत बड़ी मात्रा में हर काम में, दूर-सुदूर गांवों में बैठे हुए लोगों के भी सुझाव हमें मिलते रहे हैं, और यही टीम इण्डिया की ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात निश्चित है इस टीम इण्डिया का एक ही जनादेश है और वो जनादेश है हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी योजनाएं इस देश के गरीब के काम आनी चाहिए। अगर हम गरीब को गरीबी की मुक्ति की लड़ाई में बल प्रदान करते हैं, उसे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो देश का कोई गरीब, गरीबी में गुजारा करना नहीं चाहता है, वह भी गरीबी से जंग लड़ना चाहता है और इसलिए शासन व्यवस्था की सार्थकता इस बात में है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे संसाधन, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोग आते हैं।

भाईयों-बहनों, गत् 15 अगस्त को मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे थे, तब मैं नया था। अब मैंने जो शुरू-शुरू में देखा था, उसको मैंने, कोई लाग-लपेट के बिना खुले मन से सवा सौ करोड़ देशवासियों के सामने रख दिया था लेकिन आज, एक वर्ष के बाद, उसी लाल किले की प्राचीर से पवित्र तिरंगे झंडे की साक्षी से, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि एक साल में टीम इंडिया, सवा सौ करोड़ देशवासी, एक नए विश्वास के साथ, नए सामर्थ्य के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए समय-सीमा में सपनों को साकार करने में जुट गए हैं। एक नया विश्वास का माहौल पैदा हुआ। मैंने गत् 15 अगस्त को प्रधानमंत्री 'जन-धन' योजना, इसकी घोषणा की। देश में साठ साल बीते, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया लेकिन इसके बावजूद भी 60 साल से भी अधिक समय के बाद गत् 15 अगस्त को देश के चालीस प्रतिशत् लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे। हमने संकल्प किया कि इस कलंक को मिटाना है और विश्व में फाइनेन्सियल इन्क्लूजन (financial inclusion) की बातें होती हैं, उस फाइनेन्सियल इन्क्लूजन को एक मजबूत धरातल पर लाना है तो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक गतिविधि की मुख्यधारा में जोड़ना पड़ेगा और बैंक एकाउन्ट, ये उसका एक प्रारम्भ बिंदु है। हमने तय किया था, ''करेंगे, करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं'' ऐसा नहीं, हमने कहा था- 26 जनवरी को जब देश फिर एक बार तिरंगे झंडे के सामने खड़ा होगा तब तक समय सीमा में काम पूरा करेंगे।

मेरे देशवासियों मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा पर काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री 'जन-धन' योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए। हमने तो कहा था, गरीबों को अवसर देना था इसलिए कहा था- एक भी रुपया नहीं होगा, एक नया पैसा भी नहीं होगा, तो भी बैंक का एकाउन्ट्स खोलेंगे। बैंकों को खोलने की कागज पट्टी का खर्चा होगा तो होने देंगे। आखिर बैंक किसके लिए हैं! गरीब के लिए होना चाहिए, और इसलिए जीरो बैलेंस से हमने एकाउंट खोलने का संकल्प किया था। लेकिन, मेरे देश के अमीरों को हमने देखा है, और इस बार देश ने गरीबों को भी देखा है और गरीबों की अमीरी को देखा है। मैं इन गरीबों की अमीरी को आज लाल किले की प्राचीर से शत्-शत् नमन् करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं क्योंकि जीरो बैलेंस से एकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी इन गरीबों ने बीस हजार करोड़ रुपया बैंक के खातों में जमा करवाया। अगर ये गरीबों की अमीरी न होती तो कैसे संभव होता और इसलिये गरीबों की अमीरी के बलबूते ये टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास आज प्रकट हो रहा है। भाईयों-बहनों हमारे देश में कहीं पर एक बैंक की ब्रांच खुल जाए या बैंक का नया मकान बन जाए तो इतनी बड़ी चर्चा होती है कि वाह! बहुत बड़ा काम हो गया, बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी प्रगति हो रही है क्योंकि 60 साल तक हमने इन्हीं मानदंडों से देश के विकास को नापा है। वो नापने की पट्टी यही रही है कि एक बैंक की ब्रांच खुल जाए, बहुत बड़ी वाह-वाही हो जाती है, बहुत बड़ा जय-जयकार हो जाता है। सरकार की बल्ले-बल्ले बात हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, बैंक की ब्रांच खोलना मुश्किल काम नहीं है। सरकारी तिजोरी से वो काम हो जाता है। लेकिन 17 करोड़ देशवासियों को बैंक के दरवाजे तक लाना ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है, बहुत बड़ा परिश्रम लगता है। जी-जान से जुटना पड़ता है, पल-पल हिसाब मांगना पड़ता है। और मैं टीम इंडिया के मेरे महत्वपूर्ण साथी, टीम इंडिया के इस महत्वपूर्ण साथी बैंक के कर्मचारियों का, बैंकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बैंक को गरीबों के सामने ला करके रख दिया और ये चीज आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है।

दुनिया में आर्थिक चिंतनधाराओं में एक चिन्तनधारा ये भी है कि फाइनेन्सियल इन्क्लूजन (financial inclusion) यह हमेशा अच्छा नहीं होता है और उसके कारण गरीबी का बोझ व्यवस्थाओं पर पड़ता है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। भारत जैसे देश में अगर विकास का पिरामिड (Pyramid) हम देखें, तो पिरामिड के जो सबसे नीचे की सतह होती है, वो सबसे चौड़ी होती

है। अगर वो मजबूत हो तो विकास का सारा पिरामिड मजबूत होता है। आज विकास के पिरामिड में हमारे देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, वो वहां पर बैठा हुआ है। हमें विकास की पिरामिड की इस नींव को मजबूत करना है, ताकि फाइनेन्सियल इन्क्लूजन के द्वारा अगर वो ताकतवर होगा तो विकास का पिरामिड कभी हिलेगा नहीं। कितने ही झोंके क्यों न आएं, उसे कोई संकट नहीं आएगा और विकास का ये पिरामिड आर्थिक मजबूती पर खड़ा होगा तो उनकी खरीद शक्ति बहुत बढ़ेगी और जब समाज के आखिरी इंसान की खरीद शक्ति बढ़ती है तो इस इकोनॉमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो बहुत तेज गति से देश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाता है और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम उस पर बल दें।

हमने सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया है। गरीबों की भलाई पर बल दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जीवन-ज्योति योजना। हमारे देश में करोड़ों-करोड़ों लोग हैं जिनको सुरक्षा का कवच नहीं है। इंश्योरेन्स का लाभ हमारे देश में निम्न मध्यम वर्ग को भी नहीं पहुंचा है गरीब की बात तो छोड़ो। हमने योजना बनाई एक महीने का एक रुपया, ज्यादा नहीं एक महीने का एक रुपया। 12 महीने का 12 रुपया और आप प्रधानमंत्री सुरक्षा-बीमा के हकदार बन जाइए। अगर आपके परिवार में कोई आपत्ति आई तो दो लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाएगा। अर्थतंत्र को कैसे चलाया जाता है। हम प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा लाये। एक दिन के 90 पैसे, एक रुपए से भी कम, सालभर का 330 रुपया। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपयों का बीमा सिर्फ 90 पैसे दो रोज के, हमने किया।

भाईयो-बहनों, भूतकाल में योजनाएं तो बनती रहीं, कौन सरकार होगी जो योजना नहीं बनाती होगी। हर कोई बनाता है, कौन सरकार होगी जो घोषणाएं नहीं करती होगी, हर कोई करती है। कौन सरकार होती है जो उद्घाटन दीये न जलाती हो, फीता न काटती हो, सब कोई करते हैं, लेकिन कसौटी इस बात की होती है कि हम जिन बातों को कहते हैं, उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने एक नये वर्क कल्चर (work culture) पर दबाव डाला है, हमने एक नई कार्य-संस्कृति पर दबाव डाला है। और भाईयो-बहनों हमारे देश की कई योजनाएं जो 40 साल पुरानी हैं, 50 साल पुरानी हैं, 5 करोड़, 7 करोड़ लोगों से आगे नहीं पहुंच पाती हैं। इस योजना को अभी तो 100 दिन पूरे हुए है, 100 दिन। 100 दिन में 10 करोड़ नागरिकों ने इसका लाभ लिया है, 10 करोड़ नागरिकों ने। हमारे देश में ये 10 करोड़ नागरिक, मतलब कि 10 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो 30-35 करोड़ परिवार हैं उसमें से 100 दिन के भीतर-भीतर 10 करोड़ परिवार इस योजना में शरीक हो गए हैं।

भाईयों-बहनों, हमारी सरकार की टीम इंडिया की पिछले एक साल की जो विशेषता है, टीम इंडिया का जो पराक्रम है, टीम इंडिया सवा सौ करोड़ देशवासी टीम इंडिया हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है समय-सीमा में निर्धारित कामों को पूरा करना। मैंने पिछली बार लाल किले पर से शौचालय की बात की थी, स्वच्छता की बात की थी। देश के लिए पहले घंटे-दो घंटे अजूबा लगा कि कैसे प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर शौचालय बनाने में किसलिए समय खपा रहा है। लेकिन आज पूरे देश में जितने भी सर्वे होते हैं, हर सर्वे में एक बात उजागर आती है कि इस टीम इंडियां की सबसे महत्वपूर्ण जन-जन को छूने वाली कोई बात है तो वो स्वच्छता का अभियान है।

भाइयो-बहनों, हमने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों का आह्वान करते रहते थे, 9-9 लोगों का नाम अंकित करते थे, एक दौर चल पड़ा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को मुझे बधाई देनी है चाहे सेलेब्रिटी (celebrity) हो, चाहे राजनयिक हो, चाहे समाज सेवक हो, शिक्षाविद् हो, सम्प्रदायी जीवन से जुड़े हुए, आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए महानुभाव हो, चाहे हमारे मीडियां के मित्र हो, सबने किसी की आलोचना किए बिना, बुराइयों को खोजने के बिना, जन-सामान्य को प्रशिक्षित करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं, जिन्होंने इस काम को किया है उन सबका आज ह्रदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा एक बात मुझे कहनी है ये स्वच्छ-भारत के अभियान को ये सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है। उसके सबसे बड़े ब्रान्ड एम्बेस्डर (brand ambassador) कौन है। आपका ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन आप अपने परिवार में याद कीजिए क्या हुआ था। हिन्दुस्तान में ऐसे कोटि-कोटि परिवार है जिन परिवारों में 5 साल के 10 साल के 15 साल के बालक इस स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े एम्बेस्डर बने है। ये बालक, घर में कोई कूड़ा-कचरा करता है तो बच्चे मां-बाप को रोकते है कि नहीं, गंदगी मत करो, कूड़ा-कचरा मत फेंको, किसी पिता को गुटखा खाने की आदत है और कार का शीशा खोलता है तो बच्चा रोक देता है कि दादा बाहर थूकना नहीं, भारत स्वच्छ रहना चाहिए, ये कार्यक्रम की सफलता उन छोटे-छोटे बालकों के कारण है। मैं, मेरे देश के भविष्य के प्रति, उन बालकों के प्रति अपना सर झुकाना चाहता हूं। सर झुका करके नमन् करना चाहता हूं। जो बात बड़े-बड़े लोगों को समझने में देर लगती है वो भोले-भाले निर्मल मन के

बालकों ने तुरंत पकड़ लिया है। और मुझे विश्वास है जिस देश का बालक इतना सजग हो, स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हो वह देश स्वच्छ होकर रहेगा। गंदगी के प्रति नफरत पैदा होकर रहेगी।

2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं, और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और इसलिए अभी तो काम शुरू हुआ है लेकिन मुझे इसको आगे बढ़ाना है। इसको रोकना नहीं है, संतोष मानना नहीं है। मैंने ट्रायल (trial) के लिए, क्या ये काम टीम इंडिया कर पाती है कि नहीं कर पाती? इसके ट्रायल के लिए, एक जिसको नाप सकूं, ऐसे कार्यक्रम को मैंने यहां से घोषित किया था। किसी से सलाह-मशविरा करके घोषित नहीं किया था। जिलों से, गांवों से, जानकारियां प्राप्त कर-करके घोषित नहीं किया था। बस मेरे दिल में आया था और मैंने कह दिया था कि अगली 15 अगस्त तक हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बना देंगे और बाद में जब हमने काम शुरू किया, टीम इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, ध्यान में आया कि इस देश में 2 लाख 62 हजार विद्यालय ऐसे थे, जिसमें सवा चार लाख (4 लाख 25 हजार) से ज्यादा टॉयलेट (toilet) बनवाने थे। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि कोई भी सरकार सोचती- नहीं साहब ! इसके लिए समय बढ़ा दीजिए, लेकिन टीम इंडिया का संकल्प देखिए किसी ने भी समय बढ़ाने की मांग नहीं की और आज 15 अगस्त को, मैं उस टीम इंडिया का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान करते हुए, इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और करीब-करीब सारे टॉयलेट बनाने के काम में टीम इंडिया ने सफलता पाई है। मैं इसके लिए राज्य सरकारों को अभिनंदन देता हूं, जिला इकाई में बैठे हुए सरकारी अफसरों को अभिनंदन करता हूं, शिक्षा संस्था में बैठे हुए नीति निर्धारक हो या संचालक हो, उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये मुद्दा सवा चार लाख टॉयलेट बनने का नहीं है। ये मुद्दा, जो निराशा का माहौल है कुछ हो नहीं सकता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये जो माहौल है, उस माहौल के सामने यह आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। हम भी कुछ कम नहीं हैं, टीम इंडिया पीछे नहीं हट सकती है, टीम इंडिया सफलता लेके रह सकती है, ये इसमें से संकेत मिल रहा है और इसलिए राष्ट्र चलता है आत्मविश्वास के भरोसे। राष्ट्र चलता है नए-नए संकल्पों की पूर्ति कर-करके, राष्ट्र चलता है, नए-नए सपनों को संजो करके। हम कहीं बंद नहीं हो सकते, हमें निरंतर आगे बढ़ना होता है।

और इसलिए भाईयों-बहनों, हमारे देश का मजदूर, हमने योजना बनाई 'श्रमेव जयते'। भारत में गरीब मजदूर के प्रति देखने का रवैया हमें शोभा नहीं देता है। हम कोई कोट, पैंट, टाई पहना हुआ महापुरूष मिल जाए, लम्बा कुर्ता जैकेट पहन करके कोई महापुरूष मिल जाए तो खड़े होकर उसका बड़ा अभिवादन करते हैं। लेकिन कोई ऑटो-रिक्शा वाला आ जाए, कोई पैडल रिक्शा वाला आ जाए, कोई अखबार बेचने वाला आ जाए, कोई दूध बेचने वाला आ जाए, इन गरीबों के प्रति हमारा देखने का भाव ठीक नहीं है। राष्ट्र की इस कमी को सवा सौ करोड़ देशवासियों ने अपने मन के संकल्प से मिटाना है। जिनके कारण हम अच्छे दिखते हैं, जिनके कारण हमारा अच्छा काम होता है, उससे बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं होता है। और इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर (dignity of labour), श्रमिकों का सम्मान, श्रमिकों का गौरव, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए, यह हमारा राष्ट्रीय स्वभाव होना चाहिए। यह जन-जन की प्रवृति होनी चाहिए, यह जन-जन की वृत्ति होनी चाहिए। पिछले दिनों कुछ योजनाओं के तहत् जो अनऑर्गनाईज्ड लेबर (unorganised labour) हैं, उनको विशेष पहचान पत्र देने का हमने अभियान प्रारंभ किया। उस पहचान पत्र के द्वारा उसको कई सुरक्षा की योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इन असंगठित मजदूरों की तरफ कभी देखा नहीं जाता था, उसी प्रकार से हमारे देश के मजदूरों ने अपनी मेहनत से सरकार की तिजोरी में अपना हिस्सा जमा करवाया। धीरे-धीरे यह रकम 27 हजार करोड़ रुपये पहुंची। लेकिन वो मजदूर बेचारा 6-8 महीने नौकरी करके कहीं और चला जाता है। फिर साल दो साल के बाद कहीं और चला जाता है। आगे जहां पैसे कटवा करके आया है, उसका कोई हिसाब-किताब रहता नहीं। पूंजी भी इतनी कम होती है कि मन नहीं करता है कि चलो 200 रुपये किराया खर्च करके फिर वापस जाकर पैसा ले आऊं। और इसके कारण 27 हजार करोड़ रुपया मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, उनकी पसीने की कमाई का सरकार की तिजोरी में सड़ रहा है। हमने उपाय खोजा, हमने मजदूरों को, श्रमिकों को एक स्पेशल पहचान कार्ड नम्बर दे दिया। और उनको कहा कि अब आपका तबादला कहीं पर भी होगा, आप एक नौकरी छोड़कर कहीं पर भी चले जाएंगे, एक कारखाना छोड़कर दूसरे कारखाना चले जाएंगे, एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएंगे यह नम्बर आपके साथ-साथ चलेगा और वो रुपये भी आपके साथ-साथ चलते जाएंगे। आपका एक रुपया कोई हजम नहीं कर पाएगा। 27 हजार करोड़ रुपया गरीबों को वापस करने की दिशा में हमने प्रयत्न किया।

हमारे देश में एक फैशन हो गया है। हर चीज में कानून बनाते रहो, हर चीज में कानून बनाते रहो और हमारे न्यायालयों को बिजी (busy) रखते रहो। एक

कानून से दूसरा कानून उल्टी बात बताता हो, लेकिन एक ही विषय का कानून हो। कन्फ्यूजन क्रिएट (confusion create) करना, यही काम हमारे यहां चलता रहा। गुड गवर्नेन्स (Good Governance) के लिए अच्छी निशानी नहीं है। और इसलिए कानून स्पष्ट हो, कानून सटीक हो, कानून कालबाह्य नहीं होना चाहिए। समाज तभी तो गति करता है। हमारे मजदूरों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के 44 कानूनों के ढ़ेर, उसमें से बेचारा मजदूर अपने हित की बात कहां खोजेगा। हमने उसमें बदलाव लाया है। 44 कानूनों को चार आचार संहिताओं में समेट करके.. गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ मजदूर भी अपने हित की बात को पकड़ सकें, इस योजना को हमने बल दिया है।

भाईयों-बहनों, हमारे देश में भ्रष्टाचार को ले करके बहुत बातें होती हैं। आपने देखा होगा बीमार व्यक्ति भी, दूसरे को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, उसकी टिप्स (tips) देने की आदत रखता है। खुद तो अपने आप को संभालता नहीं है, लेकिन हर इंसान का स्वभाव होता है.. तुम ऐसा करो ठीक हो जाओगे, तुम वैसा करो ठीक हो जाओगे। ये करप्शन (corruption) भी ऐसा है, जो इसमें लिप्त है, वो भी सलाह देता है, जो इसके कारण परेशान है, वो भी सलाह देता है और एक प्रकार से एक-दूसरे को सलाह देना, यही चला है।

भाईयों-बहनों, मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है, लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ऊपर से शुरू करना होता है। साथ-साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और दीमक ऐसे फैलती चली जाती है, पहले तो दिखती नहीं है लेकिन जब बेडरूम तक जुड़ जाए, कपड़े जहां लगे हों उस कपवोर्ड (cupboard) तक पहुंच जाए तब पता चलता है। और जब दीमक से मुक्ति लेनी है तो हर स्क्वेयर मीटर जमीन पर इंजेक्शन (injection) लगाने पड़ते हैं दवाइयों के, घर में एक जगह पर इंजेक्शन लगाने से काम नहीं बनता है, दीमक को अगर खत्म करना है तो हर स्क्वेयर मीटर में हर महीने इंजेक्शन लगाते रहना पड़ता है तब जाकर के, सालों प्रयास करने के बाद दीमक से मुक्ति मिलती है। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि-कोटि प्रयासों की आवश्यकता है और उसे किया भी जा सकता है।

कभी-कभी, मैं अगर ये कहता कि मैं एलपीजी गैस सब्सिडी (LPG Gas subsidy) 15 हजार करोड़ रुपया कट (cut) करने वाला हूं तो मैं दावे से कहता हूं हिन्दुस्तान में इस सरकार की वाह-वाही के सैकड़ों लेख लिखे गए होते कि ये मोदी बड़ा दम वाला है कि उसने 15 हजार करोड़ रुपए की गैस की सब्सिडी को बंद कर दिया, ये आदमी है, जो बड़े कठोर निर्णय कर सकता है और अगर वो नहीं किया तो यार कुछ होता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। कभी-कभी कुछ लोगों को निराशा के गर्त में डूबने का शौक होता है, जब तक वो चार लोगों के बीच निराशा की बातें न करें, उनको रात को नींद नहीं आती है, ये उनका एक व्यसन होता है। कुछ बीमार लोग होते हैं, जिनको कोई बीमारी के लिए पूछे तो पसंद नहीं आता है, वो चाहते नहीं है कि बीमारी का पता चले, और कुछ बीमार ऐसे होते हैं वो इंतजार करते हैं, यार वो आया नहीं, वो पूछने नहीं आया और फिर उसको घंटे भर वर्णन करते हैं कि ऐसा हुआ-वैसा हुआ है, मैं देख रहा हूं कुछ लोग होते हैं जो निराशा ढूंढते रहते हैं, निराशा फैलाते रहते हैं और जितनी ज्यादा निराशा फैले, उतनी उनको ज्यादा गहरी नींद आती है। ऐसे लोगों के लिए न योजनाएं होती हैं, न कार्यकलाप होते हैं और न ही सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया इनके लिए भी समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन होता कैसे है। एलपीजी की सब्सिडी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर की स्कीम लाए, जन-धन एकाउन्ट का फायदा लिया, आधार कार्ड का फायदा लिया और ग्राहकों के खाते में सीधी सब्सिडी पहुंचाई और इसके कारण जो दलाल थे, उनकी दुकान बन्द हो गई, जो बिचौलिए थे, उनकी दुकान बन्द हो गई। जो कालाबाजारी थे, उनकी दुकान बन्द हो गई। सही व्यक्ति को सही लाभ, किसी का एक रुपया काटा नहीं है। बड़ी वाह-वाही हो, ऐसी घोषणाएं नहीं की, व्यवस्था में सुधार किया और मैं आज मेरे सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं, इसके कारण करीब-करीब 15 हजार करोड़ रुपया, हर साल का 15 हजार करोड़ रुपया, जो कि गैस सिलेंडर के नाम से चोरी होता था, वो बन्द हो गया, भ्रष्टाचार चला गया मेरे देशवासियों। लगता होगा, काम कैसे होते हैं। मेरे भाईयों-बहनो 15 हजार करोड़ रुपया भारत जैसे देश के लिए सामान्य बात नहीं होती और वो हमने करके दिखाया है, और हमने खुली वेबसाइट (website) बनाई, डीलरों का यहां बोर्ड लगवाया। इसके बावजूद भी किसी की शिकायत है तो आधी रात को उसको गैस सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन देश को लूटने वालों के लिए इजाजत नहीं है, गरीबों के पैसे लूटने वालों के लिए इजाजत नहीं है, क्या ये काम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का काम नहीं, है कि नहीं?

मेरे भाईयों-बहनों देश से एक रिक्वेस्ट की थी मैंने मेरे देशवासियों से, कि अगर आप आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं तो आप एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते

हैं, ये 500-700 रुपया आपके लिए क्या जरूरत है। 500-700 रुपया तो आप चाय-पान में एक दिन में खर्च करने वाले लोग हैं। मैंने अभी बात शुरू की है, अभियान नहीं चलाया है क्योंकि टीम इंडिया पर मेरा भरोसा है। जैसे-जैसे बात पहुंचेगी परिणाम मिलता जाएगा लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी गिव-इट-अप का मूवमेन्ट चलाया। अब तक 20 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी भाईयों। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। हम मन्दिर में भी प्रसाद की कतार में भी खड़े रहते हैं तो कभी मन करता है कि छोटे भाई के लिए भी और एक प्रसाद दे दें, ये हमारी प्रकृति है। लेकिन और ये 20 लाख कोई अमीर घराने के लोग नहीं हैं, सामान्य मध्यम वर्ग, कोई शिक्षक, पेशन पर गुजारा करता है लेकिन जब उसने सुना कि ये सिलेंडर किसी गरीब परिवार को जाने वाला है, उसने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। मेरे भाईयों-बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए जब 20 लाख गैस सिलेंडर उस गरीब परिवार में पहुंचेंगे, जहां का रसोड़ा किचन धुएं से भरा हुआ रहता है, आप मुझे बताइए उस मां को कितना सुख मिलेगा, छोटे-छोटे बच्चे धुएं के कारण रोते रहते हैं, उनको कितना सुख मिलेगा। काम सही दिशा में करने से परिणाम मिलता है।

भाईयों-बहनों, अगर मैं कोयले की चर्चा करूंगा तो कुछ पॉलिटिकल पंडित उसको राजनीति की तराजू से तोलेंगे, ये जगह उस काम के लिए नहीं है और इसलिए मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को प्रार्थना करता हूं कि मैं जिस कोयले की चर्चा करने जा रहा हूं, उसको राजनीति की तराजू से कृपा करके मत तोलिए। ये राष्ट्र की संकल्प शक्ति का तकाजा है। जब सीएजी (CAG) ने कहा कि कोयले पर्ची से कोयला की खदान देने के कारण 1 लाख 76 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। हम भी चुनाव में बोलते थे लेकिन मन में रहता था कि यार इतना तो नहीं हुआ होगा, बोलते तो थे लेकिन मेरे भाईयों-बहनों हमने समय-सीमा के अंदर तय किया कि कोयला हो, स्पैक्ट्रम (spectrum) हो और कोई खनिज हो अब उसकी नीलामी की जाएगी, ऑक्शन (auction) किया जाएगा और मेरे प्यारे देशवासियों ये टीम इंडिया का पराक्रम देखिए, सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प देखिए, समय-सीमा में कोयले का ऑक्शन हुआ और करीब-करीब 3 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आएंगे। भाईयों-बहनों आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्या भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया, दलालों का ठेका गया कि नहीं गया, हिन्दुस्तान की संपत्ति को लूटने वालों के दरवाजे बंद हुए कि नहीं हुए? मैंने कोई भाषण नहीं दिया था, करके दिखाया। स्पैक्ट्रम में वहीं हुआ।

अभी 'एफएम' रेडियो का ऑक्शन (निलामी) चल रहा है, बड़े-बड़े लोग परेशान हैं। मुझ पर बहुत दबाव डाला गया कि मोदी जी, 'एफएम' रेडियो, रेडियो तो सामान्य व्यक्ति को काम आता है, कोई कमाई नहीं होती है। आप 'एफएम' रेडियो का ऑक्शन क्यों करते हैं। बहुत दबाव डाला गया था। हर प्रकार से मेरा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हुआ था। लेकिन हमने कहा, सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया ट्रांसपेरेंसी (transparency) चाहती है, पारदर्शिता चाहती है और अभी 'एफएम' रेडियो के करीब-करीब 80-85 शहरों का ऑक्शन चल रहा है। परसों जब मैंने पूछा ऑक्शन में हजार करोड़ रुपयों से भी ऊपर चला गया था। ये पैसा गरीब के काम आने वाला है। भाईयों-बहनों, देश को ठेकेदारों ने कैसे चलाया, कैसे लूटा, नीतियों पर प्रभाव पैदा किया। हमारे देश में कैसा कारोबार किया गया है। विदेश से जो कोयला आता है, वो कोयला समुद्री तट के बिजली के कारखानों को नहीं दिया जाता है। उसको जहां कोयले की खदानें हैं, उसके अगल-बगल के कारखानों को देने के लिए वहां से ट्रांसपोर्ट (transport) किया जाता है और कोयले की खदानों का कोयला है उसको टांसपोर्ट करके समुद्र तट के कारखानों तक ले जाया जाता है। इस देश के छोटे बालक को भी समझ आ सकता है कि भाई इधर का माल उधर और उधर का माल इधर के बजाए, जिसका जहां है वहां लगाओ। भाईयों-बहनों हमने निर्णय बदल दिया है। कारखाने के नजदीक में जो है उसका लाभ सबसे पहले उसे मिले और मैं कहना चाहूंगा कि एक छोटे से इस निर्णय ने दलालों की दुकानें बंद की और सरकार की तिजोरी में 1100 करोड़ रुपया जमा हो गया मेरे भाइयों-बहनों, और ये हर वर्ष होगा। भ्रष्टाचार एक प्रकार से व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। जब तक व्यवस्था के हिस्सों से उसे उकाटा नहीं जाएगा।

भाईयों और बहनों मैं आज तिरंगे झंडे की साक्षी से बोल रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से बोल रहा हूं। सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों को समझ करके बोल रहा हूं। 15 महीने हो गए, आपने दिल्ली में जो सरकार बैठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और मैं, मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बैठाया है इस काम को पूरा करने के लिए हर जुर्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा। लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा, ये आपको मैं कहने आया हूं। लेकिन मैंने कहा था, ये दीमक है। सिर्फ दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार जाए इससे बात बनने

वाली नहीं है। अभी-भी छोटे-छोटे स्थान पर परेशानियां हो रही हैं। गरीब आदमी इन छोटे लोगों की परेशानी से परेशान है। इसके लिए, हमारी एक राष्ट्रीय चेतना को जगाने की आवश्यकता है। हमने भ्रष्टाचार के इस रूप से भली-भांति उसको समझ करके, जन-जन को उसकी मुक्ति के लिए जोड़ना है और तब जाकर के इस कलंक को हम मिटा सकते हैं।

भाईयों-बहनों, मुझे ये भी कहना है, काला धन। काले धन के लिए इतने कम समय में हमने एक के बाद एक, अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार बनने के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के मार्ग दर्शन में एसआईटी (SIT) बना दी। तीन साल से लटका हुआ काम हमने पहले ही सप्ताह में पूरा कर दिया, वो एसआईटी आज काम कर रही है। मैं जी-20 समिट में गया, दुनिया के वो देश वहां मौजूद थे, जिनकी मदद से काला धन वापस आ सकता है। जी-20 समिट में भारत के आग्रह पर काले धन के खिलाफ प्रस्ताव किया गया और हर देश एक-दूसरे को मदद करेगा, काला धन देशों को वापस पहुंचाने के लिए, इसका संकल्प लिया गया। अमेरिका के साथ एफएटीसीए (FATCA) का कानून, हमने नाता जोड़ दिया। हमने विश्व के उन देशों के साथ उस प्रकार की संधियां की हैं, ताकि वो देश, अपने पास इस प्रकार का कोई भारतीय नागरिक का धन हो तो उसकी जानकारियां हमें रीयल टाईम में देता रहे। एक के बाद एक कदम उठाते रहें। भाईयों-बहनों हमने एक कठोर कानून पारित किया। अब जब कानून पारित हो गया, तो हर हफ्ते कोई न कोई हमारी सरकार का संपर्क करता है और कहता है आपकी सरकार ने बड़ा जुल्म किया है। ऐसा कठोर कानून बना दिया, कोई कहता है कि ऐसा काला कानून बना दिया। इसके कारण अफसरों का जुल्म बढ़ जाएगा। भाईयों-बहनों कभी-कभार जब बीमारी बड़ी भयानक होती है तो ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और जब इंजेक्शन लेते हैं, तो डॉक्टर भी कहता है कि साईड इफेक्ट (side effect) होगा। लेकिन यह बीमारी इतनी भयंकर है कि साईड इफेक्ट झेलने के बाद भी इसी दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं यह काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाईल्यूट (dilute) हो, थोड़ा नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं इन टीम इंडिया सवा सौ करोड़ देशवासी मैं आज कहना चाहता हूं, वो साईड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने के दिशा में हम आगे बढ़े और बढ़ेंगे और इतना हो गया है काला धन वापस लाने की एक लम्बी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। यह तो फायदा हुआ ही हुआ है। कोई माने या न माने। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों में जब यह समय दिया है कि आप अपना घोषित कर सकते हो। मैं आज कह सकता हूं करीब 65 सौ करोड़ रुपया अब अघोषित आय लोगों ने आकर के घोषित सामने से करना शुरू कर दिया। यह पैसा हिंदुस्तान की तिजोरी में आएगा। भारत के गरीब के काम आएगा। और भाईयों-बहनों आपको जो मैंने विश्वास दिया है, उसे पूरा करने के लिए पूरे संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे।

भाईयों-बहनों, सीबीआई के द्वारा हमारी सरकार बनने के पहले एक वर्ष में भ्रष्टाचार के सिर्फ 800 केस हुए थे। 800.. भाईयों-बहनों हमने सत्ता में आने के बाद हम तो नये हैं.. अब तक 1800 केस हम दर्ज करा चुके हैं और अफसरों के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की है। सरकार के मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे आने से पहले एक साल में 800 और हमारे बाद 10 महीने के भीतर-भीतर 1800, यह बताता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का हमारा माद्दा कैसा है। हमारे देश में 2005 में 'पीएमएलए' (PMLA) नाम का एक कानून बनाया गया था। उस कानून के तहत् 10 साल में 10 हजार करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं, इस दस साल में 10 हजार करोड़ रुपए, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि 10 साल में जो 10 हजार करोड़ रुपए रिकवर हुए, उसमें से 4500 करोड़ रुपए पिछले 10 महीने में रिकवर हुए हैं। ये दिखाता है कि हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने नहीं जताई है हमने धरती पर कदम उठा करके जताई है और हमने परिणाम पाया है। हमने व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की है, मनरेगा, सीधा जन-धन एकाउंट में पैसा कैसे जाए, बच्चों की स्कॉलरशिप, सीधा पैसा बैंक के एकाउंट में कैसे जाए, कम से कम दलाली कैसे हो, उस दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि इन कामों के कारण देश, उन बातों को पूर्ण कर पाएगा।

मेरे किसान भाईयों-बहनों, गत् वर्ष वर्षा का संकट हुआ था, जितनी मात्रा में वर्षा चाहिए, नहीं हुई थी। देश के अर्थतंत्र को भी नुकसान हुआ था और किसानों को भी नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी महंगाई को नीचे लाने में हम सफल हुए। ये मानना पड़ेगा कि हमारे आने से पहले महंगाई डबल डिजिट (double digit) थी, दो अंकों में चलती थी। हमारे आने के एक के बाद एक प्रयासों के कारण बारिश कम होने के बावजूद भी, किसान परेशान हुआ, उसके बावजूद भी, महंगाई को दो अंकों से नीचे लाते-लाते,

करीब 3-4 परसेन्ट तक लाने में हम सफल हो गए। उसको और नीचे लाए जाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा क्योंकि गरीब से गरीब की थाली में संतोषजनक खाना मिले, इन सपनों को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कृषि जीवन को एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जमीन कम होती जा रही है, परिवारों में जमीन बंटती चली जा रही है, टुकड़े छोटे हो जा रहे हैं। हमारी जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टीविटी (productivity) बढ़ानी पड़ेगी, किसान को पानी चाहिए, किसान को बिजली चाहिए। उस सपने को पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। पचास हजार करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हमने लगाने का तय किया है और खेत तक पानी कैसे पहुंचे और पानी बचाना भी होगा। सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फर्टिलाइज़र (save water, save energy, save fertilizer) इस मंत्र को लेकर के हमने हमारे कृषि जीवन में आंदोलन खड़ा करना है और इसलिए हम उस काम को आगे बढ़ाने के लिए 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (per drop more crop) एक-एक बूंद से अधिकतम फसल और सफल किसान इस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में, ये धन खर्च करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पिछले दिनों जब ओले गिरे, हमने 50 प्रतिशत् उसको जो क्षति हुई थी, उस क्षति पूर्ति में वृद्धि कर दी। 60 साल में इतना बड़ा जम्प (jump) कभी लगा नहीं, इतना ही नहीं पहले अगर कभी नुकसान होता था तो 50 प्रतिशत् नुकसान हो, तभी वो मुआवजे के दायरे में आता था, हमने इसको कम करके 30 प्रतिशत् कर दिया। इससे बड़ा किसान को मदद का काम, पिछले 60 साल में कभी हुआ नहीं है। किसान को यूरिया (urea) चाहिए, हमने नीम कोटिंग यूरिया, मैं फिर एक बार कहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, नीम कोटिंग, नीम कोटिंग ये कोई मोदी के दिमाग की पैदावार नहीं है, ये वैज्ञानिकों से सुझाया हुआ विचार है, और ये विचार सिर्फ मेरी सरकार के सामने आया ऐसा नहीं, पहले भी सरकारों के सामने आया है। हमारे देश में किसानों के नाम यूरिया जाता है, अरबों-खरबों का यूरिया जाता है, लेकिन वो यूरिया 15%, 20%, 25% केमिकल (chemical) की फैक्ट्रियों में चला जाता है, रॉ मेटेरियल (raw material) के रूप में। नाम किसान का होता है, दलालों के माध्यम से चोरी होती है। नीम कोटिंग (coating) शत्-प्रतिशत् किये बिना यह चोरी रोकी नहीं जा सकती। और इसलिए हमने सरकार की तिजोरी पर बोझ पड़े तो भी, यूरिया का 100% नीम कोटिंग करने का काम पूरा कर दिया। और इसके कारण अब यह यूरिया खेती के सिवा किसी काम नहीं आ सकता। कोई केमिकल फैक्ट्री इसमें से कुछ नहीं निकाल सकती। और इसलिए किसान को जितना यूरिया चाहिए, उतना मिलेगा और नीम कोटिंग होने के कारण उसको जो न्यूट्रीशन वैल्यू (nutrition value) चाहिए जमीन में 10% कम यूरिया उपयोग करते हुए भी उसको इसका लाभ मिलने वाला है, आने वाले सीजन में मेरे देश के किसानों को यूरिया का एक नया लाभ। और मैं तो सभी किसानों को कहता हूं, कोई गलती से भी बिना नीम कोटिंग का यूरिया आपको दिखाता है, तो आप मान लेना कि वो सरकार के द्वारा अधिकृत नहीं है। किसी ने पीले रंग का कोई पाऊडर आपको दे दिया है, आप हाथ मत लगाना।

भाईयों-बहनों, पिछले दिनों मैं कहता हूं कि भारत का अगर विकास करना है तो पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। भारत का पश्चिमी छोर, यही अगर आगे बढ़ेगा, तो हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान तब आगे बढ़ेगा, जब हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश ताकतवर बने, हमारा बिहार ताकतवर बने, हमारा पश्चिम-बंगाल ताकतवर बने, हमारा असम, हमारा ओड़िशा, हमारा नोर्थ ईस्ट (north east), यह भू-भाग हिंदुस्तान का, यह ताकतवर बनना चाहिए। और इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) का मामला हो, रेल कनेक्टिविटी (rail connectivity) का मामला हो, डिजीटल कनेक्टिविटी (digital connectivity) का मामला हो, हमने हर बात में पूर्वी भारत में ध्यान केन्द्रित किया है और पूर्वी भारत में ध्यान करने में, हम गैस की पाइप-लाइन लगा रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि जिन राज्यों में किचन में पीने का पानी अभी टैप (tap) से आना मुश्किल लगता है, वहां गैस का पाइप तक पहुंचाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और चार यूरिया फर्टिलाइजर के कारखाने जो पूर्वी भारत में बंद पड़े थे, वहां के नौजवान बेरोजगार हुए थे, वहां का किसान परेशान हो रहा था। हमने नई यूरिया नीति बनाई, हमने गैस सप्लाई की नई नीति बनाई और उसका परिणाम है कि गोरखपुर हो, बरेली हो, तालचेर हो, सिंदरी हो, यह सारे पूर्व से जुड़े हुए, इनके फर्टिलाइजर के कारखानों को पुनर्जीवित करके नौजवानों को रोजगार देना और किसानों को फर्टिलाइजर देना, उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं।

भाईयों-बहनों, देश में सेना के जवानों के लिए, जवानों के कल्याण के लिए विभाग होता है। लेकिन इस देश में जितना माहात्म्य जवान का है, उतना ही माहात्म्य किसान का है। 60 साल में हमने क्या किया है, हमने कृषि के आर्थिक पहलू पर बल दिया है। हमारी कृषि अच्छी हो, कृषि का विकास हो, और सरकार के मंत्रालय का नाम भी कृषि मंत्रालय रहा। भाईयों-बहनों कृषि

मंत्रालय का जितना महत्व है, उतना ही महत्वपूर्ण समय की मांग है, किसान कल्याण का भी महत्व है। अकेले कृषि विकास यह बात, ग्रामीण जीवन के लिए, कृषि जीवन के लिए अधूरी है, वो पूर्ण तब होगी जब किसान-कल्याण को भी जोड़ा जाए। और इसलिए भाईयों-बहनों अब भारत सरकार का जो मंत्रालय कृषि मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, वो कृषि मंत्रालय एवं किसान-कल्याण मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा और आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी, वैसे ही किसान कल्याण की भी योजना बनेगी, ताकि मेरे किसान को जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, तो सरकार एक स्थायी व्यवस्था के रूप में उसको मदद करने की दिशा में प्रयास करेगी।

भाईयों-बहनों, आने वाले दिनों में एक काम की ओर मैं ध्यान देना चाहता हूं, आजादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन आज भी हमारे देश में करीब साढ़े 18 हजार, 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। आजादी का सूरज, आजादी का प्रकाश, आजादी के विकास की किरणें, 18500 गांव वंचित हैं। अगर पुराने तरीके से चलते रहे तो शायद इन 18,500 गावों में खंभा पहुंचाते-पहुंचाते, बिजली का तार पहुंचाते-पहुंचाते, 10 साल लग जाएंगे। देश, 10 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सरकार के मुलाजिमों की मीटिंग ली, मैंने उनको पूछा, क्या करोगे, तो कोई कहता है साहब 2019 तक कर देंगे, कोई कहता है 2022 तक कर देंगे। बोले घने जंगलों में है। फलानी जगह पर है, पहाड़ों में है, बर्फीली प्रदेश में है, कैसे पहुंचे? सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है, इन 18500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे ये काम पूरा करके दिया जाएगा। और मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम इसको करके दिखाएं और सब राज्यों में ये बाकी नहीं है, कुछ ही राज्यों में ज्यादा बाकी है। अगर मैं उन राज्यों का नाम दूंगा तो फिर मेरी बात को पॉलिटिकल तराजू से तौला जाएगा, राजनीतिक छींटाकशी होगी और इसलिए मैं उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, और इसलिए मैं कहता हूं सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया, लाल किले से ये संकल्प करती है कि राज्यों के सहयोग से, स्थानीय इकाईयों के सहयोग से, आने वाले 1000 दिन में 18500 गांवों में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे देश में जैसे किसान कल्याण एक चिंता का विषय मैंने हाथ लगाया है, उसी प्रकार से जहां से देश को ताकत मिलती है, जहां से खनिज संपदा निकलती है। चाहे कोयला निकलता हो, चाहे बॉक्साइट निकलता हो, चाहे और खनिज संपदा निकलती हो लेकिन वहां का जो क्षेत्र है, उसके विकास के प्रति उदासीनता रहती है। आप वहां के लोगों का जीवन देखो, हमारे देश को तो वो समृद्ध बनाने के लिए पसीना बहाते हैं लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है और इसलिए हमने, जहां से खनिज निकलती है, वहां के मजदूरों के विकास के लिए, वहां के किसानों के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई है और हर वर्ष करीब-करीब 6 हजार करोड़ रुपया उन-उन इलाकों के लिए खर्च किया जाएगा जो ज्यादातर मेरे आदिवासी भाईयों के इलाके

मित्रों बाबासाहेब अम्बेडकर की सवा सौवीं जयंती का वर्ष 125वीं जयंती का वर्ष, सवा लाख बैंक की ब्रांच हैं। क्या हमारे बैंक की ब्रांच.. ये जो मेरा स्टार्ट-अप इंडिया का कार्यक्रम है, उसकी और कोई योजनाएं बनेंगी... लेकिन हर ब्रांच यह संकल्प करे और आने वाले दिनों में इसको पूरा करे कि अपने बैंक के ब्रांच के इलाके में हर ब्रांच जहां, ट्राइबल बस्ती हो, वहां मेरे आदिवासी भाई को जहां, आदिवासी बस्ती नहीं हैं, वहां मेरे दलित भाई को और हर ब्रांच एक दलित को या एक आदिवासी को स्टार्ट-अप के लिये लोन दें, फाईनेंशियल (financial) मदद करें और एक साथ देश में सवा लाख मेरे दलित उद्योगकार पैदा हों। इस देश में ट्राइबल बस्ती में मेरे आदिवासी उद्योगकार पैदा हों। ये काम हम कर सकते है स्टार्ट-अप को एक नया डायमेन्शन (dimension) दे सकते हैं। और दूसरा ये सवा लाख ब्रांच क्या विशेष योजना महिला उद्यमी के लिये बना सकती हैं।

में है, मेरे आदिवासी क्षेत्रों में है। कोयला कहां है, आदिवासियों के बीच में है, वहां का विकास हो उस पर हमने काम शुरू किया है।

भाईयों-बहनों, 21वीं सदी में देश को आगे बढ़ाने में हमारी युवा शक्ति का महत्व है और आज मैं घोषित करना चाहता हूं। पूरे विश्व की तुलना में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे युवकों को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवसर देना होगा। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बनें, हमारे युवक, नए उत्पादक कैसे बनें, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्ट-अप (start-up), का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो? हिंदुस्तान का कोई जिला, हिन्दुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा न हो जहां आने वाले दिनों में नए स्टार्ट-अप (start-up) शुरु न हुए हों। क्या भारत यह सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्ट-अप (start-up) की दुनिया में भारत नंबर एक पर पहुंचेगा, आज हम नहीं हैं। भाईयों और बहनों इस स्टार्ट-अप (start-up) को मुझे बल देना है और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्ट-अप इंडिया (start-up India), और देश के भविष्य के लिये स्टैंड-अप इंडिया! स्टार्ट-अप इंडिया! स्टैंड-अप इंडिया... यह स्टार्ट-अप इंडिया! स्टैंड-अप इंडिया! इस काम को जब मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं तब मेरे भाईयों-बहनों हमारे देश में पिछले एक साल में बैंक के लोगों ने बहुत बड़ा पराक्रम किया.. और जब आप अच्छा करते हो तो मेरी जरा अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे बैंक के मित्रों बाबासाहेब अम्बेडकर की सवा सौवीं जयंती का वर्ष 125वीं जयंती का वर्ष, सवा लाख बैंक की ब्रांच हैं। क्या हमारे बैंक की ब्रांच.. ये जो मेरा स्टार्ट-अप इंडिया का कार्यक्रम है, उसकी और कोई योजनाएं बनेंगी.. लेकिन हर ब्रांच यह संकल्प करे और आने वाले दिनों में इसको पूरा करे कि अपने बैंक के ब्रांच के इलाके में हर ब्रांच जहां, ट्राइबल बस्ती हो वहां मेरे आदिवासी भाई को जहां, आदिवासी बस्ती नहीं हैं वहां मेरे दलित भाई को और हर ब्रांच एक दलित को या एक आदिवासी को स्टार्ट-अप के लिये लोन दें फाईनेंशियल (financial) मदद करें और एक साथ देश में सवा लाख मेरे दलित उद्योगकार पैदा हों। इस देश में ट्राइबल बस्ती में मेरे आदिवासी उद्योगकार पैदा हों। ये काम हम कर सकते है स्टार्ट-अप को एक नया डायमेन्शन (dimension) दे सकते हैं। और दूसरा ये सवा लाख ब्रांच.. क्या विशेष योजना.. महिला उद्यमी के लिये बना सकती हैं। सवा लाख ब्रांच, सवा लाख महिला उद्यमी उनके स्टार्ट-अप को प्रमोट (promote) करें उनको मदद करें। आप देखिए, देखते ही देखते हिन्दुस्तान के कोने कोने मे स्टार्ट-अप का जाल बिछ जाएगा। नये उद्योगकार तैयार होंगे। कोई एक, कोई दो, कोई-कोई चार को नौकरी देगा और देश के आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा।

भाईयों-बहनों, देश में जब पूंजी निवेश होता है तो हम एक बात पर आग्रह रखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग (manufacturing) का काम हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और उसके लिये पूंजी निवेश करने वालों को सरकार का आर्थिक विभाग अनेक नई-नई स्कीम देता है। इसका अपना महत्व है इसको बनाए रखना है। लेकिन आज मैं एक नई बात लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे देश में जो पूंजी निवेश हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूंजी निवेश हो, उसमें सरकार की मदद के जो पैरामीटर है उसमें एक महत्वपूर्ण पैरामीटर यह रहेगा कि आप जिस उद्योग को ला रहे हो उसमें आप अधिकतम से अधिकतम लोगों को अगर रोजगार देंगे तो आपको आर्थिक पैकेज अलग प्रकार का मिलेगा। सरकार की सहायता रोजगार के साथ जोड़कर के नई इकाईयों के लिये सरकार अब योजना बनाएगी। देश में रोजगार के अवसर बढ़ें, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल-इंडिया, डिजीटल-इंडिया (Skill-India, Digital-India) इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं।

भाईयों-बहनों, भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र है नौकरी। गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता है कि बेटे को नौकरी मिले। और हमने देखा है जब नौकरी के लिये इंटर्व्यू (interview) का कॉल आता है तो नौजवान किसी को ढूंढता है कि मेरा रेलवे में इंटर्व्यू आया है, टीचर में इंटर्व्यू आया है, टूल का इंटर्व्यू आया है, ड्राइवर का इंटर्व्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाऊं, विधवा मां भी सिफारिश के लिए जगह सोचती है। क्यों, क्योंकि हमारे यहां मैरिट से भी ज्यादा इंटर्व्यू के कारण व्यक्ति के साथ न्याय और ऐसे मनोवैज्ञानिक नहीं देखते हैं कि दो मिनट का इंटर्व्यू करें और मनुष्य को पूरा जांच लें। भाईयों-बहनों मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है एक गरीब मां का बेटा है। कम शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, जिसे छोटी-छोटी नौकरियों की जरूरत है। क्या उसको इंटर्व्यू देना जरूरी है। क्या बिना इंटर्व्यू के नौकरी नहीं मिल सकती। क्या ऑनलाइन उसकी मार्कशीट के आधार पर, ऑनलाइन उसकी मार्कशीट के आधार पर यह तय हो कि हमें 500 लोगों की जरूरत, पहले 500 लोग कौन हैं। हमें 2000 की जरूरत है, पहले 2000 कौन हैं। हां, जहां पर फिजीकल फिटनेस की टैस्टिंग है, उसके दायरे अलग हों, उसकी पद्धति अलग हो। जहां ऊपर की नौकरियां हैं, जहां पर पर्सनैलिटी का महत्व रहता है, अपीयरैंस (appearance) का महत्व रहता है, लेकिन छोटी-छोटी। मैं तो देख रहा हूं रेलवे की नौकरी के लिए नागालैंड,

मिजोरम से लोग एग्ज़ाम (exam) देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए मुंबई तक बेचारे दौड़ते हैं। ये मुझे बीमारी बंद करनी है। मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी-छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें। मैरिट के आधार पर दें। देश में से भ्रष्टाचार जो गरीब आदमी को परेशान करता है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी और उसको हमें पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है।

मेरा देश चैन से सोता है। सवा सौ करोड़ देशवासी चैन की नींद सोते हैं। उसका कारण हमारे देश के जवान सीमा पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रति पल तैयार रहते हैं। कोई देश, अपनी सेना का मूल्यांकन कम नहीं आंक सकता है। सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया, उनके लिए भी मेरे देश का हर फौजी, हर जवान, हर सैनिक एक राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की ऊर्जा है। कई वर्षों से कई सरकारें आई और चली गई। 'वन रेंक - वन पेंशन' (one rank - one pension), ये विषय हर सरकारों के सामने आया है। हर सरकारों के सामने प्रस्ताव रखे गए हैं। हर सरकारों ने छोटे-मोटे वचन भी दिए हैं, वादे भी किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं और ये बात, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। सवा सौ करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं, तिरंगे की छत्र-छाया में कह रहा हूं। लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं। मेरे सेना के जवानों, सिद्धांतत: 'वन रेंक - वन पेंशन' हमने स्वीकार किया हुआ है। लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं अंतिम दौर में ये जहां तक पहुंची है। संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोजना है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांतत: इस सरकार ने 'वन रेंक - वन पेंशन' की बात को स्वीकार किया है। उसकी निट्टी-ग्रिट्टी (nitty-gritty) को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करके हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं।

भाईयो-बहनों, 2022, भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। भारत की आजादी के 75 साल, 2022, 15 अगस्त को मना करके चुप नहीं होना है। आज ही, आज इसी 15 अगस्त को, 2022, 15 अगस्त के लिए हमें संकल्प लेना है। हिन्दुस्तान के 6 लाख गांव, हर गांव एक सपना तय करे, संकल्प तय करे कि 2022 को हमारे गांव को इस समस्या से हम मुक्त कर देंगे। सवा सौ करोड़ देशवासी अपने जीवन में, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हम भी एक संकल्प करें, हर नागरिक एक संकल्प करे कि मैं देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इस काम को करुंगा। एक बार मेरे सवा सौ करोड़ देशवासी एक संकल्प ले करके आगे बढ़ें तो 2022 का जब सवेरा होगा 15 अगस्त का, हमारे देश के लिए मर-मिटने वाले आजादी के सैनिकों, उनकी आत्मा जब देखेगी तो देश ने सवा सौ करोड़ संकल्पों को पूरा किया होगा। 6 लाख गांव ने 6 लाख सपनों को पूरा किया होगा। शहरों ने, महानगरों ने, सरकार के हर विभाग ने, सरकार की हर इकाई ने एक-एक संकल्प ले करके अभी से जुट जाना है और अब हमारा कोई लिट्रेचर (literature) ऐसा न हो, हमारी कोई बात ऐसी न हो जिसमें 2022, 15 अगस्त को दोहराया न जाए। जिसमें आजादी के 75 साल का संकल्प को दोहराया न जाए। एक मोमेन्ट्म (momentum) खड़ा करना चाहिए।

आजादी का आंदोलन, भाईयो-बहनों, दशकों तक चला, आजादी सामने नहीं दिखती थी तो 1910 में भी कोई आजादी की बात करता था, बीस में करता था, तीस में भी करता था। दशकों तक एक बात को दोहराया गया तब आजादी प्राप्त हुई। स्वाभिमानी, गौरवशाली, समृद्ध राष्ट्र के लिए हमें सक्षम-भारत बनाना है, समृद्ध-भारत बनाना है, स्वस्थ-भारत बनाना है, सुसंस्कृत-भारत का सपना हमें पूरा करना है। स्वाभिमानी भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है। 2022 तक इस देश में कोई गरीब बिना घर के न रहे। 24 घंटे बिजली पहुंचाने की दिशा में हमें सफल होना है। हमारा कृषक सबल हो, हमारा श्रमिक संतुष्ट हो, हमारी महिलाएं सशक्त हों, हमारे युवा स्वाबलंबी हों, हमारे बुजुर्ग सकुशल हों, और हमारे गरीब सम्पन्न हों, समाज में कोई पिछड़ा न रहे। हमारे हर किसी के अधिकार समान हों, और पूरे भारतीय समाज में समरसता का माहौल हो, इसी सपने के साथ मैं फिर एक बार आजादी के पावन-पर्व पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ एक निश्चित रोल में आपके साथ, आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ सवा सौ करोड़ देशवासियों को हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

भारत माता की जय,
भारत माता की जय,
भारत माता की जय।
वंदे मातरम्-वंदे मातरम्-वंदे मातरम्।
जय हिंद-जय हिंद-जय हिंद। ■

विश्व फलक पर हिन्दी: सामर्थ्य और संभावनाएं

■ प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा

हिन्दी वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अपनी विलक्षण पहचान और हैसियत बना चुकी है। हिन्दी भूमंडलीकरण की हमराह और संवाहिका है। इस दौर में जरूरत इस बात की है कि हम हिन्दी की सामर्थ्य को पहचानें, उसकी विविधमुखी प्रगति के लिये प्रयत्न करें और नई संभावनाओं को तलाशें। आज विश्व में वही भाषा टिक सकती है जो स्वयं को विस्तार दे, संकीर्ण न हो, हिन्दी इस प्रतिमान पर खरी उतरती है। यह भाषा अचानक नहीं, सदियों-दर-सदियों से इस देश को एक किए हुए है। राष्ट्रभाषा हिन्दी को हमारे वीर सेनानियों ने आजादी लाने का हथियार बनाया था। आज यह भाषा दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। देश-दुनिया के विविध क्षेत्रों में हिंदी का परचम लहरा रहा है। लोकप्रिय सिनेमा, पटकथा लेखन, सिने गीत, अधुनातन संचार माध्यम से लेकर ब्लोगिंग और माइक्रो ब्लोगिंग आदि के जरिये यह दूर- दूर तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इन सभी क्षेत्रों में विश्व फलक पर हिन्दी के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए व्यापक विमर्श एवं मैदानी प्रयासों की दरकार है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों ने हिन्दी के प्रति निरंतर अपनत्व एवं भारतीयता के प्रति अनुराग का परिचय दिया। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संघर्ष की शुरूआत ही रंगभेद से पीड़ित अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के बीच शुरू की और सत्याग्रह की अवधारणा को नया परिप्रेक्ष्य देते हुए उसे वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज तथा आजाद हिन्द सरकार की स्थापना दक्षिण-पूर्व एशिया में की थी। ऐसे अनेक नायकों की माध्यम भाषा हिन्दी ही थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज विदेशों में बसे भारतवंशी हिन्दी को संपर्क भाषा बनाए हुए हैं। जरूरी नहीं कि उनकी हिन्दी परिनिष्ठित ही हो। कनाडा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या अन्य स्थानों में बसे ऐसे भारतीय, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वे स्थानीय भाषा में परिचय देने के बाद हिन्दी को ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं।

विश्व फलक पर हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की भी अहम भूमिका दिखाई दे रही है। हिंदी के साथ इन भाषाओं की एकता से विश्व में जारी अंग्रेजी जैसी कुछ भाषाओं के वर्चस्व से मुक्ति की राह खुल सकती है। वर्तमान विश्व के भाषाई परिदृश्य में दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चालीस भाषाओं में एक चौथाई भाषाएं भारतीय ही हैं। इनमें हिन्दी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में स्थापित है। भारत में बोले जाने वाले नए बोली रूप यथा मुंबईया, कलकतिया हिंदी की तरह हिंदी के कई बोलियां देश की सीमा से परे विकसित हुई हैं। इनमें प्रमुख हैं- मोरिशसी हिंदी, सरनामी हिंदी, फिजीबात, नैताली हिंदी, सिंगापुरी हिंदी, अरबी हिंदी, लन्दनी हिंदी, नेपाली हिंदी आदि। उजबेकिस्तान और तजाकिस्तान में बोली जाने वाली 'पार्या' भी हिंदी की ही एक भाषिक शैली है। इसके लिए 'ताजुज्बेकी हिंदी' नाम भी सुझाया गया है। हिंदी के ऐसे अनेक बोली रूप दुनिया में विकासमान हैं, जिनमें स्थानीय भाषा और बोलियों का जैविक संयोग हो रहा है। ये नई बोलियां घर-आंगन से लेकर बाज़ार तक अटखेलियां कर रही हैं। अब तक एक दायरे में सिमटी हिन्दी भाषा को पंख लग गए हैं। सात समुंदर पार तक एक चौथाई दुनिया में हिन्दी का परचम लहरा रहा है। वैसे इसे व्यावसायिक जरूरत माना जा रहा है, क्योंकि भारत आकर व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियां हिन्दी जानने वालों को ही नौकरी में तरजीह दे रही हैं। इसीलिए हिन्दी सीखने के लिए नया वातावरण बन रहा है।

उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में हिंदी जानने वालों की संख्या लाखों में है। उत्तरी अमेरिका के चार देशों-संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनेडा, मैक्सिको और क्यूबा में हिंदी अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक है। विशेष तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी भारतवंशियों के सामान्य व्यवहार से लेकर सृजन, मनोरंजन और धार्मिक गतिविधियों का माध्यम बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में 1815 से ही हिन्दी की व्यवस्था है। वहां आज 30 से अधिक विश्वविद्यालयों तथा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अमेरिका में हिंदी का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट लैंग्वेज यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स 2011 के अनुसार अमेरिका में लगभग साढ़े छह लाख लोग हिंदी बोलते हैं। साथ ही आठ लाख से अधिक लोग अन्य भारतीय भाषा का प्रयोग करते हैं। वहां

हिंदी बोलने वालों की संख्या में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अमेरिका में रह रहे भारतीय अब वहाँ का तीसरा सबसे बड़ा आप्रवासी समुदाय बन चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा मेक्सिकन और दूसरे नंबर पर चीनी समुदाय है। अमेरिका में भारतीयों की आबादी 19 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अप्रवासी नीतियों के थिंक टैंक के ऑनलाइन जर्नल 'माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सोर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 तक अमेरिका में 4.4 करोड़ अप्रवासी आबादी थी। इनमें भारतीयों की आबादी 1960 के मुकाबले 150 गुना बढ़ चुकी है। उस समय अमेरिका में केवल 12 हजार भारतीय थे। इसके बाद अमेरिका में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी। रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह के तौर पर भारतीय ज्यादा पढ़े-लिखे होते हैं। वे कामकाज के लिए अमेरिका आते हैं, अमेरिका पर बोझ नहीं बनते हैं।

विदेशों में बसे हिन्दी बोलने वाले परिवारों में एक दौर में बच्चों को यही कहा जाता था कि वे हिन्दी सीख लें। कल को भारत जाना हुआ तो बड़े- बुजुर्गों से बात कैसे होगी। एक दौर में जो लोग अपने बच्चों को यह समझाया करते थे, आज वही बड़े- बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए हैं। उन सबको अंग्रेज़ी आती है। इसलिए उनके लिए आज के बच्चों को बुजुर्गों से बातचीत के लिए हिन्दी सीखने के लिए कहना संभव नहीं रहा। पुरानी पीढ़ी के प्रवासियों के पास न तो कोई माध्यम था और न ही हिन्दी के लिए पर्याप्त समय ही था। उस दौर में न तो कोई हिन्दी का रेडियो स्टेशन था और न ही अंग्रेज़ी के रेडियो अथवा टेलिविज़न केन्द्र से ही कोई हिन्दी के कार्यक्रम प्रसारित होते थे। जीवन इतना संघर्षपूर्ण था कि हिन्दी के लिए समय निकाल पाना बहुत कठिन था। अब स्थिति बदल रही है। हिन्दी इंग्लैण्ड सहित कई देशों के स्कूलों में एक ऐच्छिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे हिन्दी स्कूलों से ग़ायब हो गई। उन स्कूलों में हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थी मिल नहीं पा रहे थे। वर्तमान में इंग्लैण्ड में अनेक ग़ैर-सरकारी संस्थाएं हिन्दी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। देश भर में हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, कार्यशालाएं की जाती हैं। हिन्दी में कम्प्यूटर में कामकाज पर ध्यान दिया जा रहा है। इंग्लैण्ड के प्रवासी संसार पर नजर डालें तो वहां सबसे अधिक संख्या गुजरात एवं पंजाब प्रदेशों से आए लोगों की है। इसके अतिरिक्त तमिल, बंगाली एवं मराठी भाषी भी काफ़ी संख्या में यहां प्रवासी बन कर गए। इन सभी के लिए हिन्दी बोलचाल की भाषा तो है, लेकिन कहीं भी लिखने-पढ़ने की भाषा नहीं है। पहली पीढ़ी के प्रवासियों ने जब यह पाया कि उन्हें विदेश में सबसे अधिक समस्या उन्हें अंग्रेजी न आने से हो रही है तो उन्होंने अपनी नई पीढ़ी से घर में तो अपनी मातृभाषा में बातचीत जारी रखी लेकिन बाहरी दुनिया में उन्हें अंग्रेज़ी सीखने के लिए बढ़ावा दिया। विदेश जाने वाले अधिकतर भारतीय मूल के परिवारों के लिए हिन्दी मात्र एक बोली थी जिस के माध्यम से वे दूसरे राज्य के रहने वालों से बातचीत कर सकते थे यानि कि संपर्क भाषा। इस रूप में दुनिया के कई देशों में हिन्दी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्षरत है।

विदेशों में बसे हिन्दी बोलने वाले परिवारों में एक दौर में बच्चों को यही कहा जाता था कि वे हिन्दी सीख लें। कल को भारत जाना हुआ तो बड़े- बुजुर्गों से बात कैसे होगी। एक दौर में जो लोग अपने बच्चों को यह समझाया करते थे, आज वही बड़े- बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए हैं। उन सबको अंग्रेज़ी आती है। इसलिए उनके लिए आज के बच्चों को बुजुर्गों से बातचीत के लिए हिन्दी सीखने के लिए कहना संभव नहीं रहा।

वर्तमान में विदेशों में चालीस से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। भारत से बाहर जिन देशों में हिन्दी का बोलने तथा अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से प्रयोग होता है, उन्हें हम पांच वर्गों में बांट सकते हैं, पहला जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे - पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव आदि। दूसरा भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जैसे- इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि। तीसरा वर्ग, जहां हिन्दी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय देश। चौथा अरब और अन्य इस्लामी देश, जैसे- संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) अफगानिस्तान, कतर, मिस्त्र, उजबेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि। पांचवां वर्ग उन देशों का है, जहां उपनिवेशकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों को ले जाया गया, जैसे मॉरीशस, फ़िजी, गुयाना, सूरीनाम आदि। इन सभी क्षेत्रों में हिन्दी के दैनंदिन व्यवहार और शिक्षण के अलग-अलग रूप दिखाई दे रहे हैं।

पूर्व में हिन्दी भारत के अलावा

नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार तक ही सीमित थी, लेकिन अगर जर्मनी को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो एशिया से बाहर यूरोप में भी भरपूर सम्मान मिल रहा है। जर्मनी में भी इसकी ललक पहले से ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा नीदरलैंड, बेल्जियम, आस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लाविया सहित 80 देशों के करीब 100 से अधिक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिन्दी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इतने से भी तमाम् लोगों का काम नहीं चल रहा। वे हिन्दी की बारीकियां भी सीखना चाहते हैं। वर्तमान में आगरा स्थित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में 34 देशों के करीब 100 छात्र-छात्राएं हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी खास वजह ये है कि यहां पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को कोर्स के अंत में लघु शोध प्रबंध लिखना पड़ता है। इससे उन्हें विषय विशेषज्ञ का गौरव तो मिलता ही है, अपने देश लौटने पर भी सम्मान के हकदार होते हैं। विदेशों में हिन्दी सीखने की ललक है। यही कारण है कि भारत से हिन्दी की शिक्षा प्राप्त विदेशी छात्र-छात्राओं को वहां हाथों-हाथ लिया जाता है।

रूस में हिन्दी पुस्तकों का जितना अनुवाद हुआ है, उतना शायद ही विश्व में किसी भाषा का हुआ हो। वारान्निकोव ने तुलसी के रामचरितमानस का अनुवाद किया था। त्रिनीदाद एवं टोबेगो में भारतीय मूल की आबादी 45 प्रतिशत् से अधिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टइंडीज में हिन्दी पीठ स्थापित की गई है। यहां से हिन्दी निधि स्वर पत्रिका का प्रकाशन होता है। गुयाना में 51 प्रतिशत् से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। यहां विश्वविद्यालयों में बी.ए. स्तर पर हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है, जो हिन्दी का ही एक रूप है। मात्र लिपि में ही अंतर दिखाई देता है। मालदीव की भाषा दीवेही भारोपीय परिवार की भाषा है। यह हिन्दी से मिलती-जुलती भाषा है। फ्रांस, इटली, स्वीडन, आस्ट्रिया, नार्वे, डेनमार्क तथा स्विटजरलैंड, जर्मन, रोमानिया, बल्गारिया और हंगरी के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था है।

भारत सरकार द्वारा भी विदेशों में हिन्दी अध्यापन के लिए व्यवस्था जुटाई जाती है, किन्तु उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। विदेशों में हिंदी शिक्षण को लेकर लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 647 (अगस्त 07, 2013) के संदर्भ में भारत के विदेश राज्य मंत्री ने बताया था कि विदेशों में हिन्दी के अध्यापन तथा इसके द्वारा उसका विकास संवर्धित करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने विदेश स्थित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिन्दी पीठें स्थापित की हैं। आई.सी.सी.आर. 25 हिन्दी पीठों की देख-रेख कर रहा है। जिन सांस्कृतिक केन्द्रों में हिन्दी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, वे हैं: जकार्ता एवं बाली (इण्डोनेशिया), ताशकन्द (उजबेकिस्तान), अस्ताना (कजाखस्तान), दुशाम्बे (तजाकिस्तान), जार्जटाऊन (गयाना), कुवालालम्पुर (मलेशिया), काहिरा (मिस्र), कोलम्बो (श्रीलंका) बैंकाक (थाईलैंड), बीजिंग (चीन), मैक्सिको नगर, साओ पोलो (ब्राजील), हेग (नीदरलैंड), सिपोल (दक्षिण कोरिया) तथा सुवा (फिजी। विगत दो वर्षों के दौरान आईसीसीआर ने माली (मालदीव), सिओल (दक्षिण कोरिया), रियाद (साऊदी अरब), साओ पोलो (ब्राजील), हेग (नीदरलैंड) एवं तेहरान (ईरान) में छह भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं। इनमें से सिओल, साओ पोलो तथा हेग में वर्तमान में हिन्दी पढ़ाई जा रही है।

हिंदी के वैश्विक प्रसार में संस्थाओं और व्यक्तियों की प्रभावी भूमिका रही है। एक दौर में दूर देशों में स्थापित आर्य समाज, सनातन धर्म सभा जैसी संस्थाओं ने अपने मूल उद्देश्यों के साथ हिंदी प्रचार का लक्ष्य भी रखा था, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी पीढ़ी भारतीय जड़ों से जुडी रही। कालांतर में हिंदी प्रचार की बागडोर साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थाओं, व्यक्तियों और पत्र-पत्रिकाओं ने संभाल ली जिनके प्रयासों से हिंदी कई नए क्षेत्रों और दिशाओं में गतिशील हुई है। आज विश्व के सभी प्रमुख देशों में इस प्रकार की संस्थाएं सक्रिय हैं। ब्रिटेन में गीतांजलि बहुभाषी समाज (गीतांजलि मल्टीलिंग्वल लिटरेरी सर्किल, ट्रेंट), कथा यू.के., यू.के. हिन्दी समिति, हिन्दी भाषा समिति, भारतीय भाषा संगम आदि संस्थाएं हिन्दी के प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। अमेरिका में डा. कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा संस्थापित अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति, हिंदी यूएसए, अखिल विश्व हिन्दी समिति, विश्व हिंदी न्यास समिति कनाडा की कनाडा हिंदी साहित्य सभा, टोरंटो, अलबर्टा हिंदी परिषद, नीदरलैंड्स की हिंदी परिषद, नेपाल में नेपाल हिन्दी साहित्य परिषद, मॉरीशस में महात्मा गांधी संस्थान, हिन्दी प्रचारिणी सभा, मॉरीशस, विश्व हिन्दी सचिवालय, हिन्दी संगठन, हिन्दी लेखक संघ आदि, आस्ट्रेलिया में हिन्दी समाज, सिडनी, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका हिन्दी शिक्षा संघ आदि, सिंगापुर की हिन्दी सोसायटी, श्रीलंका में श्रीलंका हिंदी निकेतन आदि संस्थाएं हिन्दी के प्रसार-संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं।

हिंदी की कई विश्व पत्रिकाएं अनेक दशकों से दूर देशों में बसे अप्रवासी भारतीयों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनी हुई हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विदेशों में हिन्दी पत्रकारिता का जन्म सन् 1883 में हुआ था। इस वर्ष लंदन से 'हिन्दोस्थान' नामक त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। किसी भी विदेश से प्रकाशित होने वाले सर्वप्रथम हिन्दी पत्र के रूप में इसकी मान्यता है। इसके संस्थापक राजा रामपाल सिंह थे। यह त्रिभाषी रूप में प्रकाशित होता था और इसमें हिन्दी के साथ ही उर्दू तथा

अंग्रेजी के अंश भी रहते थे। दो वर्ष तक वहां से प्रकाशित होते रहने के पश्चात् 1885 में यह राजा रामपाल सिंह द्वारा ही कालाकांकर (अवध) से प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके प्रधान सम्पादक थे।

मॉरीशस से हिन्दी में अनेक पत्र-पत्रिकाएं समय-समय पर प्रकाशित हुई। जिसमें 'हिन्दुस्तानी', 'जनता', 'आर्योदय', 'कांग्रेस', 'हिन्दू धर्म', 'दर्पण', 'इण्डियन टाइम्स', 'अनुराग', 'महाशिवरात्रि' एवं 'आभा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मारीशस से प्रकाशित होने वाला हिन्दी का सर्वप्रथम पत्र 'हिन्दुस्तानी' था। इसका प्रकाशन 1909 में प्रारम्भ हुआ प्रथम सम्पादक मणिलाल थे। मारिशस से प्रकाशित अन्य हिन्दी पत्रिकाओं में आत्माराम विश्वनाथ द्वारा संपादित 'जागृति' [1940] भी उल्लेखनीय है। काशीराम किष्टो ने मारीशस से प्रकाशित एक हिन्दी पत्र 'आर्यवीर' का सम्पादन किया था। 'ओरियंट गजट' नामक पत्र मारीशस से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन आरम्भ 1930 से हुआ। 'मारीशस इण्डियन टाइम्स' शीर्षक से एक साप्ताहिक पत्र पोर्ट लुई से प्रकाशित हुआ। यह बहुभाषी पत्र था, जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अंश भी रहते थे। सोमदत्त बरबौरी ने पोर्ट लुई से 1968 में त्रैमासिक 'अनुराग' का सम्पादन करके हिन्दी पत्रकारिता का उन्नयन किया।

सूरीनाम में भी अनेक पत्र हिन्दी में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रूप में प्रकाशित हुए। ये पत्र जहां इस देश में हिन्दी पत्रकारिता के अस्तित्व के द्योतक हैं वहां दूसरी ओर प्रवासी भारतीयों की हिन्दी के प्रति रुचि को भी दर्शाते हैं। इनमें दैनिक कोहिनूर अखबार, साप्ताहिक 'प्रकाश' और 'शांतिदूत' तथा मासिक 'ज्योति' उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी पत्रकारिता के विकास में विदेशों में जो कार्य हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए फीजी से प्रकाशित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां से बहुसंख्यक पत्रों का प्रकाशन हुआ है जो सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक विषयों के साथ-साथ कृषि विज्ञान आदि से भी सम्बन्धित रहे है। 'अखिल फीजी कृषक संघ' शीर्षक से एक ऐसे ही पत्र का प्रकाशन दीनबन्धु के सम्पादन में फीजी से हुआ था। 'किसान' शीर्षक से भी एक पत्रिका का प्रकाशन बी.बी. लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। नन्द किशोर के सम्पादन में कृषि विषयक एक पत्रिका 'किसान मित्र' भी प्रकाशित हुई थी। फीजी द्वीप समूह से जो अन्य पत्र-पत्रिकाएं समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं, उनमें कमला प्रसाद मिश्र द्वारा 'जय फीजी', विवेकानन्द शर्मा द्वारा सम्पादित 'सनातन संदेश' संस्कृति तथा 'फीजी संदेश', जय नारायण शर्मा द्वारा सम्पादित 'शांति दूत', राघवनन्द शर्मा द्वारा 'जागृति', चन्द्रदेव सिंह द्वारा सम्पादित 'फीजी समाचार' आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार 'फीजी सरकार' तथा 'पुस्तकालय' आदि पत्रिकाएं भी उल्लेखनीय हैं। 'इण्डियन सेटेलर्स' नाम से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1917 में हुआ था। इसके संपादक डा. मणिलाल तथा बाबू रामसिंह थे। 1980 में यह पत्रिका बन्द हो गयी। यह सुवा से प्रकाशित होती थी। लिथो में मुद्रित यह बहुभाषी पत्रिका थी जिसमें हिन्दी के अंश भी रहते थे। सन् 1923 में 'फीजी समाचार' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। यह पत्र बाबू राम सिंह के सम्पादन में प्रकाशित होता था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। इसका सम्पादन राम खिलावन शर्मा ने भी किया था। इसका प्रकाशन 1975 में स्थगित हो गया था। यह एक द्विभाषी पत्र था, जिसमें हिन्दी के साथ ही अंग्रेजी का अंश भी रहता था। गुरुदयाल शर्मा ने सन् 1928 में 'वृद्धि', 1930 में 'पैसेफिक' तथा सन 1932-33 में 'वृद्धि वाणी' का सम्पादन एवं प्रकाशन करके फीजी में हिन्दी पत्रकारिता का प्रसार किया। 1935 में सुवा से प्रकाशित 'शान्ति दूत' की स्थापना का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। फीजी द्वीप समूह से ही 'तारा' नामक एक मासिक पत्रिका 1941 में प्रकाशित हुई थी। इसका सम्पादन ज्ञानी दास करते थे। यह कुछ समय तक पाक्षिक रूप में ही प्रकाशित हुई थी। इसका त्रैमासिक संस्करण भी प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन कार्यालय नसीनू (सुवा) में था। इसी प्रकार सिगातोंका (फीजी) से राघवानन्द ने 1976 से 'जागृति' शीर्षक का प्रकाशन करके हिन्दी पत्रकारिता के विकास में योगदान दिया।

हिन्दी पत्रकारिता के विकास में विदेशों में जो कार्य हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए फीजी से प्रकाशित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां से बहुसंख्यक पत्रों का प्रकाशन हुआ है जो सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक विषयों के साथ-साथ कृषि विज्ञान आदि से भी सम्बन्धित रहे है। 'अखिल फीजी कृषक संघ' शीर्षक से एक ऐसे ही पत्र का प्रकाशन दीनबन्धु के सम्पादन में फीजी से हुआ था।

दक्षिण अफ्रीका में भी हिन्दी पत्रकारिता की समृद्ध परंपरा रही है। मासिक पत्र

अमृतसिंधु नेटाल (दक्षिण अफ्रीका) से प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक भवानी दयाल थे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक शहर से 'धर्मवीर' नामक पत्र का प्रकाशन 1916 में आरम्भ हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक रल्लाराम गांधीलामल भल्ला उर्दू भाषा में मूल सामग्री प्रस्तुत करते थे तथा उनके सहायक मेहर चन्द भल्ला उसका अनुवाद हिन्दी में करके उसे छपने को देते थे। 1917 से इसका सम्पादन स्वामी भवानी दयाल संन्यासी ने किया। 1919 तक इस दायित्व को सफलतापूर्वक निर्वाह करने के पश्चात् इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसमें कुछ लेख अंग्रेजी में भी प्रकाशित होते थे। 'हिन्दी' नामक मासिक पत्रिका मई 1922 में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) से प्रकाशित हुई थी। इसका सम्पादन भी स्वामी भवानी दयाल सन्यासी करते थे। यह अपने समय का प्रवासी भारतीयों का लोकप्रिय पत्र था। इस प्रकार 'आर्य संदेश' शीर्षक से एक पाक्षिक त्रिनिदाद से प्रकाशित हुआ था। इसके सम्पादक एल. शिव प्रसाद थे। इसका प्रकाशन 1950 से आरंभ हुआ था। एक अन्य पत्र 'आर्यमित्र' शीर्षक से भी दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था। यह आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र था। 1904 में अफ्रीका के डरबन नामक स्थान से 'इण्डियन ओपिनयन' नामक पत्र प्रकाशित हुआ था। इसका सम्पादन मदन जीत द्वारा आरम्भ किया गया। कुछ समय पश्चात् यह गांधीजी के संरक्षण में फिनिक्स से भी प्रकाशित हुआ था। इस पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। उस पत्र से जो अन्य पत्रकार जुड़े हुए थे उनमें मदनजीत, मनसुख लाल व भवानी दयाल प्रमुख थे। इसका आरम्भ 1904 में तथा स्थगन 1914 में हुआ। यह द्विभाषी पत्र था।

बर्मा से भी समय-समय पर हिन्दी की अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं। इनमें 'प्राची प्रकाश', 'जागृति' तथा 'ब्रह्म भूमि' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'प्राची प्रकाश' दैनिक पत्र रंगून से प्रकाशित होता है। यह बर्मा से हिन्दी में प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र है। हिन्दी पत्रकारिता में नेपाल से प्रकाशित पत्रों का भी उल्लेखनीय स्थान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 'नेपाल' शीर्षक से एक हिन्दी पत्र प्रकाशित होता है। यह पत्र दैनिक रूप में प्रकाशित होने वाला एक विशिष्ट पत्र है। काठमांडू से प्रकाशित अन्य पत्र में 'हीमोवत संस्कृत' पत्र उल्लेखनीय है। इसी प्रकार 'हिमालय' शीर्षक से भी एक पत्र बीरगंज से प्रकाशित हुआ था। इसी क्रम में 'नव नेपाल' शीर्षक से एक साप्ताहिक पत्र काठमांडू (नेपाल) से प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक मणिराज उपाध्यक्ष थे। इसका प्रकाशन 1955 से आरम्भ हुआ था। नेपाल से हिमालिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी होता रहा है।

'सोवियत संघ' शीर्षक से एक पत्र मास्को से प्रकाशित होता रहा है। इसके प्रधान सम्पादक निकोलोई गिबाचोव तथा चित्रकार अलेक्सांद्र जितो मिस्कीं रहे। इसका प्रकाशन 1972 में आरम्भ हुआ था। जापान से प्रकाशित हिन्दी पत्रों में 'सर्वोदय' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका सम्पादन त्रोश्यो तनाका द्वारा किया जाता है। जापान से ही एक अन्य हिन्दी पत्रिका 'ज्वालामुखी' शीर्षक से भी प्रकाशित होती है। यह जापानी नागरिकों द्वारा ही संपादित की जाती है और इसमें उन्हीं के द्वारा हिन्दी में लिखे लेख प्रकाशित होते हैं।

वर्तमान में विदेशों से 50 से अधिक पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। इनमें से अधिकांश के वेब संस्करण भी उपलब्ध हैं। विदेशों से प्रकाशित पत्रिकाओं में प्रमुख हैं- कर्मभूमि, ई विश्वा, अन्यथा, हिन्दी जगत, हिन्दी बालजगत एवं विज्ञानप्रकाश (अमेरिका), भारत दर्शन (न्यूजीलैण्ड), वसुधा (टोरंटो-कनाडा), सरस्वती पत्र, (कनाडा), अभिव्यक्ति, अनुभूति(संयुक्त अरब अमीरात), स्पैल दर्पण (ओस्लो-नोर्वे), पुरवाई (ब्रिटेन), वसंत (मोका-मॉरीशस) आदि। शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में निवास करने वाली रचनाकार पूर्णिमा वर्मन पत्रकारिता के साथ ही हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय विकास के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा संपादित वेब पत्रिकाएं अभिव्यक्ति तथा अनुभूति अंतर्जाल पर प्रतिष्ठित होकर पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी हैं। ये हिन्दी वेब पत्रिकाएं हिन्दी के क्षेत्र में खाड़ी देशों की एक बड़ी उपलब्धि है जो विश्व में प्रतिमाह हजारों लोगों द्वारा लगभग सवा सौ देशों में पढी ज़ाती हैं। अभिव्यक्ति व अनुभूति www.abhivykti&hindi.org तथा www.anubhuti&hindi.org के पते पर इंटरनेट पर नि:शुक्ल उपलब्ध हैं। इन पत्रिकाओं की संरचना सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय है। इनका प्रकाशन और संपादन संयुक्त अरब अमीरात से, टंकण कुवैत से, साहित्य संयोजन इलाहाबाद से और योजना व प्रबंधन कनाडा से होता है।

हिंदी सिनेमा ने दूर देशों में अपना बहुत बड़ा दर्शक वर्ग तैयार कर लिया है। सिने निर्माताओं की आय का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में फ़िल्म के वितरण अधिकार देने से प्राप्त हो रहा है। हाल में सफल हुई हिंदी फिल्मों ने इसके माध्यम से बहुत बड़ी पूंजी जुटाई है। यही वजह है कि हिंदी की बड़े बजट की फिल्में मुंबई, दिल्ली के साथ लन्दन, न्यूयार्क या अन्य शहरों में भी प्रदर्शित की जाती हैं। यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों में हिन्दी और हिन्दीतर भाषी परिवारों के लिए हिन्दी फ़िल्में भारत से जुड़ने के एक सशक्त साधन के रूप में उभर कर आती हैं। वहां भारत से जुड़ाव के लिए हिन्दी फ़िल्मों के अतिरिक्त भारतीय क्रिकेट का भी खासा योगदान रहा। ख़ास तौर पर भारतीय टीम द्वारा 1984 में क्रिकेट के विश्व कप विजेता के रूप में उभर कर आने से भी वहां के बच्चों

का भारत के प्रति अधिक सकारात्मक रुख पैदा हुआ। यही वह समय भी था जब बीबीसी ने रामायण और महाभारत जैसे विशुद्ध भारतीय टेलिविज़न सीरियल अपने चैनल पर दिखाने शुरू किये। वहां बसे भारतीय परिवारों के पास आज भी उन सीरियलों की रिकॉर्ड की गई वीडियो कैसेट मिल जाएंगी। भारतीय मूल के परिवारों में हिन्दी का वातावरण निर्मित करने में इन धारावाहिकों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता।

विदेशों में हिन्दी टी.वी. चैनलों के प्रसारण में व्यापक वृद्धि हुई है। कुछ वर्षों पहले इंग्लैण्ड में ज़ी टी.वी. के आगमन को हिन्दी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना माना गया था। अब उन घरों की दीवारें भी हिन्दी सुनी जा सकती थीं जहां पहली व दूसरी या तीसरी पीढ़ी या तो अपनी मातृभाषा में बातचीत करती थीं या फिर अंग्रेजी में। इसलिए ज़ी टीवी के लिए यह एक महत्वपूर्ण पल था और उनके सामने कोई प्रतियोगी भी नहीं था। भारतीय मूल के ब्रिटिश बच्चे बॉलीवुड की फ़िल्मों में तो रूचि रखते हैं वहीं टेलिविजन सीरियलों से कतराते हैं। विदेशों में स्थापित रेडियो स्टेशन भी हिन्दी के संप्रसार में अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। यूएई के 'हम एफ एम' सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन के बीबीसी, सनराईज़ रेडियो, जर्मनी के डॉयचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रवासी भारतीयों के लिए हिंदी अपनी भाषाई-सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित करने का माध्यम रही है। वर्तमान दौर में कई सक्रिय ब्लोगर, लेखक, पत्रकार आदि इसी रूप में हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाये हुए हैं। आज विदेशों में बसे हिन्दी लेखकों को विशिष्ट पहचान मिलने लगी है। हाल ही में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा के एम.ए. के पाठ्यक्रम में विदेशों में हिन्दी और हिन्दी डायस्पोरा को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम में हिन्दी डायस्पोरा लेखकों में शामिल किए गए हैं - मॉरीशस से अभिमन्यु अनत (कहानी), अमरीका से सुषम बेदी (कविता), सुधा ओम ढींगरा (कहानी), सुदर्शन प्रियदर्शिनी (उपन्यास) ब्रिटेन से मोहन राणा (कविता), ज़किया ज़ुबैरी (कहानी), तेजेन्द्र शर्मा (कहानी), यूरोप से अर्चना पेन्युली (उपन्यास), शारजाह से पूर्णिमा वर्मन (कविता), सिंगापुर से श्रद्धा जैन (ग़ज़ल)। इसे विदेशों में लिखे जा रहे हिन्दी साहित्य के लिये एक और उपलब्धि माना जा सकता है। ऐसे ही अनेक लेखकगण दुनिया के तमाम देशों में सृजनरत रहे हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं- सुरेशचन्द्र शुक्ल शरद आलोक (नॉर्वे), कविता वाचक्नवी (यूके), स्नेह ठाकुर (कनाडा), अनिल जनविजय (रूस), अंजना संधीर (यूएसए), सोमदत्त बखोरी, मुनीश्वरलाल चिंतामणि, पं वासुदेव विष्णुदयाल, पूजानन्द नेमा, रामदेव धुरंदर (मॉरीशस) आदि। विदेशी मूल के अनेक लेखकों, विद्वानों ने भी हिन्दी विविधायामी विकास में योगदान दिया है। जैसे जॉन जोशुआ कैटेलर, डॉ कैलाग, दीमशित्स, वारान्निकोव, डॉ लोथर लुत्से आदि का कार्य आज भी मील का पत्थर बना हुआ है। इन दिनों कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या और शोध की दृष्टि से हिन्दी प्रवासी लेखन को लेकर जारी सक्रियता को शुभ संकेत माना जा सकता है।

आज हिन्दी आधिकारिक रूप से विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अब तक भारत और भारत के बाहर नौ विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पिछले नौ सम्मेलन क्रमशः नागपुर (1975), मॉरीशस (1976), नई दिल्ली (1983), मॉरीशस (1993), त्रिनिदाद एंड टोबेगो (1996), लंदन (1999), सूरीनाम (2003), न्यूयार्क (2007) और जोहान्सबर्ग (2012) में सम्पन्न हुए हैं। वर्ष 2015 में 10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन भोपाल में सम्पन्न हो रहा है। इनके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलन का भी आयोजन करता रहा है। ये सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया और अबूधाबी में फरवरी, 2006 तथा तोक्यो में जुलाई 2006 में किए गए थे। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने प्रति वर्ष विश्व हिन्दी दिवस के रूप मनाये जाने की घोषणा की थी। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिन्दी दिवस मनाया था। विदेशों में अब तक हुए सभी विश्व हिन्दी सम्मेलनों में एकमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाता रहा है कि 'हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाया जाए।' इस तरह के औपचारिक संकल्पों के बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए व्यापक प्रयासों की दरकार है। इसका उद्देश्य विश्वभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा करना है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिन्दी की वैश्विक स्वीकार्यता और राजभाषा के रूप में समुचित प्रयोग-प्रसार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता की राह खुल रही है।

समग्रतः हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में हिन्दी प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसे विश्व भाषा की प्रतिष्ठा दिलाने में विश्वभर में फैले तीन करोड़ से अधिक भारतवंशियों की अविस्मरणीय भूमिका है। हिन्दी अधुनातन संचार माध्यमों के साथ हमकदम होती हुई निरंतर विश्वव्यापी स्थान बना रही है। इस दिशा में हिन्दी सेवियों के अविराम प्रयत्नों की दरकार है। ■

(लेखक सम्पादक मण्डल के सदस्य हैं)

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुअवसर है

■ डॉ. प्रभु चौधरी

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा हिन्दी का प्रचुरता से प्रयोग किए जाने से कुछ लोग निश्चित रूप से सदमे की स्थिति में हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़े वर्ग, जिसकी संख्या इन लोगों की तुलना में दर्जनों गुना बड़ी है, में नई ऊर्जा नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। यह है-देश के कोने-कोने में फैला हुआ विशाल किन्तु शक्तिहीन जन-समुदाय, जो हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाएं बोलता है और इस राष्ट्र की आत्मा, उसकी जीवंतता का प्रतिनिधित्व करता है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले प्रभु-वर्ग के प्रभुत्व को, जिसका आधार और तार्किकता उसकी समझ से बाहर है, वह दशकों से चुपचाप सहन करता आया है। अपनी भाषा जानना, बोलना और लिखना एक संप्रभुता संपन्न, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र में किस तरह शर्म का विषय हो सकता है, इस गूढ़ रहस्य को समझने में अक्षम और विवश करोड़ों जमीनी हिन्दुस्तानियों को केन्द्र सरकार के संकेतों ने आल्हादित किया है। उसके मन में उम्मीद जगी है कि हमारी भाषा का भी विश्व की अन्य गैर-अंग्रेजी भाषाओं फ्रेंच, स्पैनिश, चीनी, रूसी, जापानी, अरबी अर्थव्यवस्था और रोजगार की भाषा बन सकती है। वह थोड़ा सा आश्वस्त हुआ है कि आजादी के आंदोलन के बाद यकायक उपेक्षित कर दिया गया एक अधूरा काम अंततः पूरा हो सकता है और वह है हमारी एक अदद राष्ट्रभाषा की स्थापना का।

एक विशेषाधिकार सम्पन्न वर्ग भारतीय गणराज्य को उसके एक नैसर्गिक अधिकार से वंचित किए हुए हैं। अंग्रेजी का विशेषाधिकार अदृश्य आरक्षण के समान है, जो सत्ता के 95 प्रतिशत् ढांचे में देश के 5 प्रतिशत् लोगों का एकाधिकार सुनिश्चित करता है। यह लोकतंत्र के स्वाभाविक दायित्वों और लक्षणों के प्रतिकूल है, जो धर्म, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव न होने की गारंटी देता है।

हां, मोदी सरकार की भाषायी पहल से एक तबका यकीनन भौंचक्का है। वह तबका, जिसके आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक हित अंग्रेजी के प्रयोग या हिन्दी के विरोध पर आधारित हैं। हालांकि यह सामाजिक व्यवहार में हिन्दी का प्रचार रोकने में सक्षम नहीं है क्योंकि हिन्दी एक शक्तिशाली भाषा है जो धीरे-धीरे स्वयं को देशभर में सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित कर चुकी है। तकनीकी और दूरसंचार माध्यमों के विकास ने उसे और मजबूत, व्यापक और लोकप्रिय बनाया है। हिन्दी के विरोध की प्रबल आवाज तमिलनाडु से उठी है, लेकिन अधिक महत्व की बात यह है कि शेष 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों को कोई आपत्ति नहीं हुई है। शेष भारत की मूक स्वीकृति के गहरे अर्थ हैं और केन्द्र सरकार को इसे अपनी शक्ति बनाना चाहिए। हिन्दी विरोधियों को संभवतः इस बात का अहसास नहीं है कि हिन्दी अपने दम पर आगे बढ़ रही है। किसी भी शक्तिशाली और जीवंत भाषा की तरह उसकी शक्ति है इस देश के आम लोग। उसका विकास किसी सरकारी या सांस्थानिक सहायता का मोहताज नहीं है।

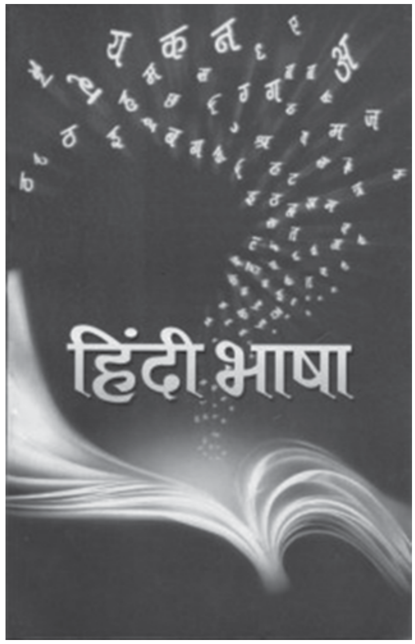

हां, सरकारी सहयोग उसके विकास की रफ्तार को अवश्य बढ़ा सकता है। उसकी समृद्धि में भी योगदान दे सकता है।

ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने देश की भाषा की कीमत पर विदेशी भाषा को सम्मान देना चाहते हैं और उसकी विशिष्ट स्थिति को सुनिश्चित किए रहना चाहते हैं। ये वे लोग हैं, जो अपने अंग्रेजी-ज्ञान से अधिक हिन्दी-अज्ञान पर अधिक गर्व महसूस करते हैं। यही वह वर्ग है, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अधिक समृद्ध और विशेषाधिकार सम्पन्न है, जिसका सरकारों तथा प्रशासन पर पारम्परिक रूप से दबदबा है। वह वर्ग, जिसने अंग्रेजी के अनुकूल माहौल, उसके पक्ष में पूर्वाग्रहपूर्ण परिस्थितियों का अपनी निजी तरक्की के लिए सफलतापूर्वक दोहन किया है। अंग्रेजी का विशेषाधिकार और विशिष्ट दर्जा बना

रहना उसकी सफलता की गारंटी है। यह राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली वर्ग है, जिसने हिन्दी को राजभाषा घोषित किए जाने के दशकों बाद भी उसे वास्तविक अर्थों में राजभाषा बनने नहीं दिया।

किन्तु यह वर्ग भारतीय गणराज्य को उसके एक नैसर्गिक अधिकार से वंचित किए हुए हैं। अंग्रेजी का विशेषाधिकार अदृश्य आरक्षण के समान है, जो सत्ता के 95 प्रतिशत् ढांचे में देश के 5 प्रतिशत् लोगों का एकाधिकार सुनिश्चित करता है। न सिर्फ सरकारी, बल्कि गैर-सरकारी संस्थानों में भी यही स्थिति है। यह लोकतंत्र के स्वाभाविक लक्षणों और दायित्वों के प्रतिकूल है, जो धर्म, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव न होने की गारंटी देता है। उस लिहाज से नरेन्द्र मोदी सरकार अंग्रेजी या किसी भी अन्य भाषा के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं कर रही। वह मात्र इस देश की राजभाषा को उसका यथोचित स्थान प्रदान करने की कोशिश कर रही है। यदि वह ऐसा कर पाती है तो वह हिन्दी का कोई प्रच्छत्र एजेण्डा पूरा करने के समान नहीं होगा बल्कि एक अनिवार्य राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना होगा। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान का हिस्सा है, उसकी तरह, जैसे हमारे दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक है। याद कीजिए विजय लक्ष्मी पंडित के साथ क्या हुआ था? जब वे भारत की राजदूत बनकर रूस भेजी गई तो उन्होंने अपने परिचय-पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किए। रूस सरकार ने इन्हें स्वीकार करने से इंकार कर दिया और कहा कि कृपया अपनी राष्ट्रभाषा में परिचय-पत्र प्रस्तुत करें। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी है और मुद्दा हिन्दी के प्रति पूर्वाग्रह का नहीं है। यदि उसके स्थान पर कोई अन्य भाषा इस देश की राजभाषा होती तो उसे भी वही सम्मान मिलना चाहिए था, जिसकी आकांक्षा आज हिन्दी के संदर्भ में करोड़ों लोग कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ऐसा कोई औपचारिक फैसला नहीं किया है कि हिन्दी को प्रधान भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसने अब तक के आचरण से सिर्फ यही संकेत दिया है कि वह राजभाषा अधिनियम के तहत अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह की प्रतिबद्धता पूर्ववर्ती सरकारों ने दिखाई होती तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। यदि हिन्दी भारत की राजभाषा है और सरकारी कामकाज में उसके प्रयोग की अनिवार्यता का प्रावधान मौजूद है, तो इस प्रावधान को लागू करना गलत कैसे हो सकता है? जिस तरह प्रशासन के अन्य स्तरों पर नियम कायदों की उपेक्षा होती है, उसी तरह राजभाषा के संबंध में भी होती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ऐसा कोई औपचारिक फैसला नहीं किया है कि हिन्दी को प्रधान भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसने अब तक के आचरण से सिर्फ यही संकेत दिया है कि वह राजभाषा अधिनियम के तहत अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की प्रतिबद्धता पूर्ववर्ती सरकारों ने दिखाई होती तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। यदि हिन्दी भारत की राजभाषा है और सरकारी कामकाज में उसके प्रयोग की अनिवार्यता का प्रावधान मौजूद है तो इस प्रावधान को लागू करना गलत कैसे हो सकता है?

जिस तरह प्रशासन के अन्य स्तरों पर नियम कायदों की उपेक्षा होती है, उसी तरह राजभाषा के संबंध में भी होती है। गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू जो कि राजभाषा विभाग का दायित्व देख रहे हैं, शासकीय दिशा-निर्देशों का अमल सुनिश्चित कर रहे हैं तो इस पर आपत्ति किस लिए? मंत्रालयीन आदेशों की हिन्दी प्रतियां जारी करना भी एक संवैधानिक अनिवार्यता है। यदि विदेश मंत्रालय तथा कुछ अन्य मंत्रालयों ने इस प्रावधान का गंभीरता से पालन करना शुरू किया है तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए या आलोचना? नई सरकार और भी बहुत सारे मामलों में सरकारी ढिलाई को दूर करने में जुटी है। सरकारी कर्मचारियों के नौ बजे दफ्तर न पहुंचने का मामला देखिए। अनेक मंत्रालयों ने बायो-मीट्रिक प्रणालियां आदि स्थापित कर सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे। क्या प्रशासनिक कामकाज को चुस्त बनाने पर कोई ऐतराज उठाया जा सकता है? राजभाषा संबंधी सर्कुलर पर गृह मंत्रालय को रक्षात्मक रुख अपनाने की आवश्यकता नहीं है। ■

(लेखक सम्पादक मंडल के सदस्य हैं।

इंटरनेट की दुनिया में हिंदी

■ धर्मेंद्र प्रताप सिंह

तीसरी तकनीकी क्रांति (1980) के बाद इंटरनेट सूचनाओं के आदान-प्रदान का सबसे सुलभ साधन बन चुका है। इसने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। एक अरब सत्ताईस करोड़ आबादी वाले देश में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश की सत्तर प्रतिशत से अधिक आबादी इसी भाषा में अपने को अभिव्यक्त करती है। आज ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, गुयाना, मारीशस, सूरीनाम, फीजी, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैको जैसे देशों में हिंदी बोलने वाले काफी तादाद में रहते हैं जो हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए काफी संतोषजनक बात है।

इसके साथ ही विकसित देशों में भी हिंदी को लेकर ललक बढ़ रही है। कारण यह है कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी या देश को अपना उत्पाद बेचने के लिए आम आदमी तक पहुंचना होगा और इसके लिए जनभाषा ही सबसे सशक्त माध्यम है। यही कारक हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध हो रहा है। आज पचास से अधिक देशों के पांच सौ से अधिक केंद्रों पर हिंदी पढ़ाई जाती है। कई केंद्रों पर स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी के अध्ययन-अध्यापन के साथ ही पीएचडी करने की सुविधा उपलब्ध है। विश्व के लगभग एक सौ चालीस देशों तक हिंदी किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी है। आज हिंदी के माध्यम से संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर रहा है।

जब सन् 2000 में हिंदी का पहला वेबपोर्टल अस्तित्व में आया तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी जो अब रफ्तार पकड़ चुकी है। नई पीढ़ी के साथ-साथ पुरानी पीढ़ी ने भी इसकी उपयोगिता समझ ली है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन जैसे हिंदी के महत्त्वपूर्ण कवि प्रकाशकों द्वारा उपेक्षित रहे। इंटरनेट ने हिंदी को प्रकाशकों के चंगुल से मुक्त राने का भी भरकस प्रयास किया है। इंटरनेट पर हिंदी का सफर रोमन लिपि से प्रारंभ होता है और फॉन्ट जैसी समस्याओं से जूझते हुए धीरे-धीरे

यह देवनागरी लिपि तक पहुंच जाता है। यूनीकोड, मंगल जैसे यूनीवर्सल फॉन्टों ने देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर नया जीवन प्रदान किया है। आज इंटरनेट पर हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग सत्तर ई-पत्रिकाएं देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाली प्रवासी भारतीय साहित्यप्रेमी पूर्णिमा बर्मन 'अभिव्यक्ति' और 'अनुभूति' नामक ई-पत्रिका की संपादक हैं और 1996 से 'प्रतिबिंब' नामक नाट्य संस्था चला रही है। 'अभिव्यक्ति' हिंदी की पहली ई-पत्रिका है जिसके आज तीस हजार से भी अधिक पाठक हैं। 'अभिव्यक्ति' के बाद 'अनुभूति', 'रचनाकार', 'हिंदी नेस्ट', 'कविताकोश', 'संवाद' आदि ई-पत्रिकाएं इंटरनेट पर अपनी छटा बिखेर रही हैं। इनकी बढ़ती पैठ से घबरा कर हिंदी के अनेक प्रकाशकों-संपादकों ने अपनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के ई-संस्करण जारी किए। फलस्वरूप आज 'हंस', 'कथादेश', 'तद्भव', 'नया ज्ञानोदय' जैसी न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यही नहीं, आज जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं। सभी के ई-संस्करण मौजूद हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में रह कर क्षेत्रीय संस्करण के अखबारों को पढ़ कर अपने क्षेत्र विशेष की जानकारी हिंदी में भी ले सकते हैं।

आजकल स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए ब्लॉग एक महत्त्वपूर्ण साधन बन चुका है जो हर समय सुगमता से ब्लागर और पाठक दोनों के लिए उपलब्ध है। आलोक कुमार हिंदी के पहले ब्लागर हैं जिन्होंने ब्लाग 'नो-दो-ग्यारह' बनाया। आज हिंदी में ब्लॉगों की संख्या एक लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। इनमें से लगभग दस हजार अतिसक्रिय और बीस हजार सक्रिय की श्रेणी में आते हैं। आलोक कुमार ने ही इंटरनेट पर पहली बार 'चिट्ठा' शब्द का इस्तेमाल किया जो अब ख्याति प्राप्त कर चुका है। आज के दैनिक समाचार पत्रों के ई-संस्करण पाठकों के लिए वरदान साबित हुए हैं क्योंकि कोई भी पाठक वेवल एक या दो अखबार खरीद सकता है मगर समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध होने से वह सभी को थेड़े खर्च में देख-पढ़ सकता है।

इंटरनेट पर हिंदी साहित्यिक सीमाओं को लांघ कर अपना प्रसार कर रही है,

वह कहानी, नाटक, उपन्यास से आगे बढ़ कर महापुरुषों की जीवनियों, चिकित्सा, विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की अन्य भाषाओं से कदमताल कर रही है। इसके साथ ही प्रकाशकों ने अपनी-अपनी वेबसाइट बना रखी है जिन पर अनेक रचनाकारों की महत्त्वपूर्ण पुस्तकें पाठकों को घर बैठे मिल जाती हैं। हिंदी पुस्तकों के ई-संस्करण से पाठकों की यह सुविधा उपलब्ध है कि वे अपने काम और रुचि के अनुसार पुस्तकों का चुनाव कर सकते हैं। इस संबंध में अभी तक सबसे सराहनीय प्रयास महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (वर्धा) ने किया है। इसकी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हिंदीसमय डॉट कॉम पर हिंदी के लगभग एक हजार रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्यामसुंदर दास आदि की ग्रंथावलियों के साथ-साथ समकालीन रचनाकारों की रचनाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। कह सकते है कि वर्धा विश्वविद्यालय ने हिंदीप्रेमियों, शिक्षकों, शोधार्थियों को एक चलता-फिरता पुस्तकालय मुहैया कराया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इसके साथ ही भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने भी हिंदी को सर्वजन सुलभ बनाने के लिए छोटे-मोटे प्रयास किए हैं।

आज सभी आवश्यक वेबसाइटों के हिंदी संस्करण मौजूद हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी, बीएसई, एनएसई, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय लघु विकास उद्योग बैंक की वेबसाइटें हिंदी में भी उपलब्ध हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वेबसाइट भी हिंदी में है। जुलाई 2009 में दिया गया रिजर्व बैंक का यह निर्देश महत्त्वपूर्ण है कि हिंदी में लिखे पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी और अनुवादक रखे जाने का निर्देश रिजर्व बैंक ने जारी कर रखा है। राजभाषा अधिनियिम (1976(5) के तहत केंद्र सरकार ने 'क' क्षेत्र के अंतर्गत (बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) आने वाले सभी सरकारी उपक्रमों में हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, बैंकों आदि ने अपनी वेबसाइटों के अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी संस्करण भी चला रखे हैं। हिंदी में काम बढ़ेगा तो हिंदी जानने वालों को आजीविका के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और हिंदी के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी।

आज हिंदी के पंद्रह से भी अधिक सर्च इंजन हैं जो किसी भी वेबसाइट का चंद मिनटों में हिंदी अनुवाद करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। याहू, गूगल और फेसबुक भी हिंदी में उपलब्ध हैं। अब कंप्यूटर से निकल कर हिंदी मोबाइल में न केवल पहुंच चुकी है बल्कि भारी संख्या में लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। मोबाइल तक हिंदी की पहुंच ने देश में देवनागरी लिपि वे समक्ष खड़ी चुनौती को काफी हद तक मिटा दिया है। आज से पंद्रह साल पहले जब हम हिंदी के भविष्य पर विचार करते थे तो अनेक लोग कहते थे कि हिंदी का भविष्य तो उज्ज्वल है लेकिन हमारी लिपि पर बड़ा संकट मंडरा रहा है- चूंकि मोबाइल प्रयोक्ता अपने संदेश भेजने के लिए रोमन लिपि पर निर्भर रहते थे। आज यह समस्या हल हो चुकी हैं अगर आपके भीतर थेड़ी इच्छाशक्ति है और अपनी मातृभाषा के लिए सम्मान भी, तो आप अपनी भावना हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं। चाहे वह कंप्यूटर पर हो या मोबाइल पर।

हिंदी के लिए उत्साहजनक बात इंटरनेट पर आई ट्वीटरों की बाढ़ भी है जिस पर हिंदी का जबर्दस्त प्रयोग हो रहा है। प्रोफेसर, डॉक्टर, राजनेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी आदि सभी ट्वीटर का प्रयोग कर रहे हैं। इनका अनुसरण अन्य लोग करते हैं। यह अनुप्रयोग हिंदी के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा।

हाल ही में हिंदी के इस्तेमाल के दो और नए स्थान देखने को मिले हैं जिन पर आज से पांच साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। डीटीएच और क्रिकेट के स्कोर बोर्ड हमारे सामने हिंदी को नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। डीटीएच ने किसी भी चैनल के हिंदी में अनुवाद की सुविधा दे रखी है। हम जानते हैं कि भारत की अधिकतर आबादी हिंदी में ही अपने विचारों का आदान-प्रदान करती है। भले अंग्रेजी आती हो लेकिन हिंदी या स्थानीय भाषाओं को हम जिस सहज भाव से आत्मसात करते हैं उस भाव से अंग्रेजी को नहीं, चूंकि हिंदी या हमारी प्रादेशिक भाषाएं हमारे अंत:करण में विद्यमान हैं। पहले क्रिकेट की हिंदी में कमेंट्री निश्चित समय तक ही होती थी, लेकिन अब पूरा खेल हम हिंदी में सुन सकते हैं। इसके साथ ही डिसकवरी नेशनल ज्योग्राफिकल और एनीमल प्लानेट जैसे चैनल हिंदी के दर्शकों का ज्ञानवर्द्धन कर रहे हैं।

आने वाला समय हिंदी का है। बस कुछ दकियानूसी और अदूरदर्शी सोच वाले ही हिंदी के प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहे हैं। आज वे समय में न तो हिंदी की सामग्री की कमी है और न ही पाठकों की। हां, विज्ञान और चिकित्सा वे क्षेत्र में अभी और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है जिससे इसका पूर्ण लाभ आम आदमी को मिल सके। हिंदी का एक मजबूत पक्ष यह भी है कि यह बाजार की भाषा बन चुकी है जो अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी है, बस आवश्यकता मजबूत इच्छाशक्ति की है।

(साभार - जनसत्ता)

हिन्दी की प्रतिष्ठा में हमारा योगदान

■ डॉ. ममता तिवारी

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहने के नाते उसे सर्वदा आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है कभी हम कम शब्दों में या वाक्यों द्वारा अपने को प्रकट करते हैं तो कभी सिर हिलाने में हमारा काम चल जाता है। समाज में जहां एक धनी वर्ग निमंत्रण देने के लिए कार्ड छपवाते हैं तो कुछ जातियों में हल्दी, सुपारी देना एवं हल्दी, चावल द्वारा भी निमंत्रण दिया जाता है। जहां स्काउट का विचार विनिमय झंडियों द्वारा होता है तो बिहारी के पात्र ''भरे भवन में करत हैं नयनन की सों बात''। इसी तरह करतल ध्वनि हाथ हिलाकर संकेत करना (पास बुलाने दांये-बांये, हटने) चुटकी बजाना, आंख दबाना, खांसना, मुंह बिचकाना या टेढ़ा करना, उंगली दिखाना, आदि अनेक प्रकार के साधनों द्वारा हमारे विचार विनिमय का कार्य चलता है इन सबके लिए भाषा की आवश्यकता होती है।

हिन्दी भाषा

हिन्दी शब्द मूलतः सिन्धु से सम्बद्ध है। सिन्धु शब्द ईरानी में जाकर हिन्दू और फिर हिंद बनकर देश के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इसी हिन्दी में 'हिन्दीका'। हिंदी का ही परिवर्तित रूप वाला शब्द हिंदी है जो विशेषण से संज्ञा शब्द बन गया।

हिन्दी राष्ट्रभाषा

जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के पश्चात् और अधिक उन्नत होकर महत्वपूर्ण बन जाती है तथा देश के सभी भाषा क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण पद पा जाती है।

हिन्दी की इसी स्थिति के कारण उसे भारत की ''राष्ट्रभाषा'' का पद मिला है।

हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिये सुझाव

- जिस प्रकार किसी भी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार किया जाता है उसी प्रकार हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिये प्रसार की आवश्यकता है हमें हिन्दी में काम करना चाहिये। प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा जहां से अधिक से अधिक हिन्दी का प्रसार संभव है प्रत्येक विषय हिन्दी में पढ़ाया जाए तो गांव में भी जो शिक्षा पहुंचेगी ग्रामीणों को कठिन नहीं लगेगी। इसका प्रसार प्रथम द्वितीय कक्षाओं से कराया जाना होगा।
- द्वितीय क्षेत्र है शासन की कई योजनाओं हिन्दी में हो ताकि भारत जैसे गांवों के देश में लोग अनभिज्ञ न रहें। शासन द्वारा दिये गये निर्देश हो आदेश हो या परियोजना के प्रपत्र हो, नौकरी के आवदेन हो या सौंदर्य के उत्पादन हो कृषि के बीज हो सभी हिन्दी में हो अन्य क्षेत्र भी हैं जिन्हें हिन्दी में लिखकर प्रसारित कराना होगा।
- भारत में कानून भी हिन्दी में समझाया जाए। कानून की भाषा सरल हो, सहज हो आम लोगों की समझ में आए, ऐसे क्षेत्रों में स्वयं आगे बढ़कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कराना होगा। शिक्षा, शासन और विधि ऐसे क्षेत्र है जहां जन सामान्य हर समय आवश्यक रूप से फंसा रहता है।
- हिन्दी स्वभावतः सरल भाषा है जैसे लिखी जाती है वैसी पढ़ी जाती है, जैसी कही जाती है वैसी लिखी जाती है। अन्य भाषाओं की तुलना में बड़ी कही जा सकती है। हमें इसकी व्याकरण लिपि, वर्तनी और उच्चारण का सही नियमानुसार प्रयोग कराना होगा।
- हिन्दी के प्रसार में केवल शिक्षा, साहित्य और कानून ही नहीं बल्कि

साहित्य का संबंध भी जरूरी है। साहित्य निर्माण की शिथिलता का अर्थ है हिन्दी के कार्यान्वयन में विलंब अर्थात् हमें साहित्य निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा।

- हिन्दी को सरल से सरल रूप में हमें अपनाना होगा, कारण संस्कृति निष्ठ हिन्दी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती अर्थात् जो भी साहित्य रचे जाएं वे सरल हिन्दी में हों तो हिन्दी अपनाने में लोगों को सुविधा होगी।
- प्रदेश स्तर और विश्व स्तर पर हिन्दी सम्मेलनों की औपचारिकता न करके हिन्दी प्रेमियों के लिए आवश्यक यह है कि वे हिन्दी के प्रति व्यावहारिक कदम उठाएं।

हिन्दी के प्रति प्रत्येक प्रांत के लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न हो, वे मानसिक दासता की बेड़ियों को काट फेंके तभी हिन्दी के मर्म को समझ पायेंगे।

हिन्दी की प्रतिष्ठा में सरकार के प्रयास भी आवश्यक हैं-

1. **नीतियां :-** सर्वप्रथम सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो हिन्दी में हों, हिन्दी के लिए हो तथा हिन्दी को बढ़ाएं।
2. **पुरस्कार :** हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारियों, साहित्यकारों, अन्य भाषा-भाषी को पुरस्कार दिये जाएं चाहे वे पुरस्कार प्रमाण पत्रों के रूप में क्यों न हों। सरकार द्वारा आदेशित किया जाना चाहिए जो भी हिन्दी को बढ़ाएं उसे पुरस्कृत किया जाए।
3. **सांस्कृतिक कार्यक्रम :** प्रत्येक स्कूलों में महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा हिन्दी को बढ़ाया जाए। हिन्दी में तात्कालिक भाषण, चुटकले, गीत, गजल, कहानी के कार्यक्रम माह में एक बार कराए जाएं जिनमें विद्यार्थी को विषय दिये जाएं। स्वरचित होना आवश्यक है इसमें विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता तो बढ़ेगी साथ ही हिन्दी की उन्नति भी होगी, ये कार्यक्रम सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया जाएं।
4. **लेखनः-** विद्यार्थी की उम्र जैसे 10 से 15 वर्ष के विद्यार्थी कहानी, गज़ल, गीत आदि लिखें तो उन्हें पुरस्कृत किया जाए। 10 से 20 वर्ष में जो भी विद्यार्थी लेखन करते हैं उनकी लेखन कला पर पुरस्कृत करना एवं उसका प्रकाशन कराना सरकार का प्रयास होना चाहिए। 15 से 20 वर्ष के विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा कि वे नाटक, निबंध लिखें। विषय बच्चे अपने मन से लें। सरकार को हिन्दी की उन्नति के लिए ये सब आवश्यक करना चाहिए, तभी देश में अच्छे विचारक, कहानीकार, उपन्यासकार, कवि, निबंधकार, नाटककारों की संख्या बढ़ेगी, और हिन्दी उच्च स्थान पर पहुंचेगी।
5. **संगठन :-** ''राष्ट्रीय हिन्दी योजना'' के नाम से सरकार द्वारा एक संगठन बनाया जा सकता है, जिसका संचालन केन्द्र, फिर राज्य, फिर महाविद्यालय एवं शालाओं में विस्तारित हों। इसके अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियां नियमित एवं विशेष कार्यशालाएं जो स्वयं विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन में करें।

हिन्दी को सरल से सरल रूप में हमें अपनाना होगा कारण संस्कृति निष्ठ हिन्दी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती अर्थात् जो भी साहित्य रचे जाए वे सरल हिन्दी में हो तो हिन्दी अपनाने में लोगों को सुविधा होगी।

हिन्दी की प्रतिष्ठा में हमारा योगदान

- हिन्दी की प्रतिष्ठा में हमारा योगदान अपने घर एवं परिवार से होना चाहिए। नई पीढ़ी के साथ घर में हिन्दी में बात करना होगा, उनसे भी हिन्दी बोलने के लिए कहना होगा। हिन्दी पढ़ने हिन्दी के साहित्य को जानने के लिए प्रेरित करना होगा।
- हिन्दी को स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम हमें अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करने होंगे। कार्यक्षेत्र में जब भी नाम लिखना हो कोई प्रपत्र भरना हो तो उसे हिन्दी में लिखना होगा। बैंक के कार्य, दवा आदि के नाम भी हिन्दी में लिखना होगा।
- मातृभाषा हिन्दी के द्वारा ही हमारा मस्तिष्क विशेष रूप से क्रियाशील होता है। अतः मातृभाषा समस्त मानसिक विकास का आधार है। यह हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। नागरिक में जिन गुणों का होना आवश्यक है उनका सहज, स्वाभाविक विकास मातृभाषा हिन्दी से होता है, अतः चिंतन, विचारों की गंभीरता, स्पष्टता, अभिव्यक्ति आदि गुणों को अपने में विकसित करना होगा।
- प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा कि हम महान हैं हमारी भाषा महान है हम उसे और भी गौरवान्वित करेंगे। तभी हमारी हिन्दी हमें गौरवान्वित बनाएगी।

अब समय आ गया है प्रत्येक भारतीय को मातृभाषा हिन्दी के मर्म को पहचान कर स्वाभिमान की भावनाओं से भरकर, मानसिक दासता के बंधन से मुक्त होकर, एक जुट होकर, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लग जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथः-

1. भाषा विज्ञान-डॉ. भोलानाथ तिवारी
2. हिन्दी भाषा और काव्यांश विवेचन-म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

(लेखिका महिला महाविद्यालय जबलपुर के हिन्दी विभाग में प्राध्यापिका हैं)

हिन्दी पखवाड़ा : सांस्कृतिक यात्रा, पड़ाव, दशा, दिशा और चेतना

■ **बलराम प्रसाद**

भारतीय संस्कृति ऋषि और कृषि पर आधारित है। यह पाश्चात्य संस्कृति की तरह ईंट, कंक्रीट और गारे से निर्मित नहीं है। और यही कारण है कि सभ्यता के आरंभ से भारत एक सनातन यात्रा पर जो निकला है तो निकला ही है बिना पड़ाव के वह आगे बढ़ता आ रहा है। भारत एक नाम है ज्ञान के शिखरों की अनंत यात्रा की ओर चलने का। भारत एक नाम है सत्य का संधान करते हुए मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का। भारत एक सदानीरा अमृतमय नहीं है जो मनीषा और बुद्धि से समाज की प्यास बुझाते हैं। भारत एक महान सभ्यता और संस्कृति का उद्‌घोष है जो हजारों वर्षों से समाज, सभ्यता और विभिन्न देशों को निरंतर मार्गदर्शन देता आ रहा है। यहां भारत है से अर्थ है: 'भा+रत' ''भा: अर्थात् प्रकाश, रत: अर्थात् पर्याप्त, प्रचुर। अत: भारत अर्थात् वह देश जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र को साथ लेते हुए समूची दुनिया को ही अपना घर बनाने की बात कही गई है। अर्थात् धरती का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, जहां भारतीय मूल्यों की छाप न हो और यह छाप संस्कृत एवं हिन्दी भाषा के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व में आज भी व्याप्त है।

वैदिक युग से लेकर आज तक मानवीय सभ्यता के इतिहास में भाषा, इतिहास और संस्कृति का अमूल्य योगदान रहा है। मानव जीवन में भाषा की भूमिका सर्वोपरी एवं अति महत्वपूर्ण है। भाषा जीवन और विकास की धुरी है। इसके बिना जीवन अण-बोले जीव की भांति पशुवत हो जाता है। संस्कृत से निकली तमाम भाषा इसी भारतीय सांस्कृतिक भाषा से निकली एक ऐसी भाषा है जिसने पुरातन काल से आज तक भारतीय और विदेशी सभ्यताओं को जोड़े रखा है।

ईसा पूर्व लगभग ढ़ाई हजार साल पहले भारत वर्ष में आर्य भाषाओं का प्रचलन था और आधुनिक युग में यदि हम वर्ष एक से कैलण्डर बनाकर देखें तो प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, भोजपुरी, मगधी, शौरसेनी, ब्रज, अवधी, उर्दू के रूप में आज हिन्दी हमारे समक्ष अपनी सम्पूर्ण जीवंतता और शक्ति के रूप में विद्यमान है। देश के दक्षिणी हिस्से में बोली जाने वाली भाषाओं में आज भी देवभाषा संस्कृत का काफी पुट हैं, इस नाते दक्षिणी हिस्सों में भी कई शब्द हिन्दी के रूप में इन भाषाओं में देखे जा सकते हैं। इस संबंध में डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का कथन सर्वथा उल्लेखनीय है एवं तर्कसंगत भी है: ''सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का विकास एक नए सिरे से ब्रिटेन के शासनकाल में, स्वतंत्रता-संग्राम के साहचर्य में और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नवोन्मेष के सोपान में हुआ।''

हिन्दी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता-संग्राम के चैतन्य का शंखनाद घर-घर तक पहुंचाया। बाबू भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने सर्वप्रथम 'निज भाषा उन्नति अहे' की अलख जगाई, वह स्वदेश प्रेम और स्वदेशी भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम पहुंचाने में कामयाब रही। इसका व्यापक प्रभाव नवयुग के नवजागरण को राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया।

सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषा-सर्वेक्षण (1903-28) में आधुनिक भारतीय भाषाओं को तीन वर्गों में रखते हुए यह मत प्रतिपादित किया कि खड़ी बोली की उत्पत्ति या जन्मदाता शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। कुछ हद तक आचार्य रामचन्द्र ने भी इसी मत का समर्थन किया है। पुरानी हिन्दी की व्यापक काव्य भाषा का ढ़ांचा शौरसेनी-प्रसूगत अपभ्रंश ब्रज और खड़ी बोली (पश्चिमी हिन्दी) का था।

यदि ग्रियर्सन द्वारा किया गया सर्वे का आधार मानें तो (1903-28) उसके अनुसार संस्कृत और हिन्दी के बीच का आनुवंशिक क्रम इस प्रकार बनता हैं:-

मूल आर्य भाषा

वैदिक संस्कृत
(1500 ई.पू. से 500 ई.पू.)

लौकिक संस्कृत
(1500 ई.पू. से 500 ई.पू.)

पाली
(बौद्ध युग 500 ई.पू. से 1 ई.पू.)

साहित्यिक प्राकृत
(प्राकृत युग 1 ई. से 500 ई.)

अपभ्रंश भाषाएं
(अपभ्रंश युग 500 ई. से 1000 ई.)

आधुनिक भारतीय भाषाएं
(आधुनिक युग 1000 ई. से अब तक)
(जिसमें खड़ी बोली हिंदी भी शामिल है)

आधुनिक हिन्दी भाषा के विकास की प्रक्रिया का आभास तो आदिकाल से ही मिलने लगता है परन्तु वैज्ञानिक रूप से आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास

के साथ-साथ 1000 ई. से प्रारंभ होती है। संभवत: आदिकाल का शुरूआत भी इसी काल से होता है। हिन्दी की पूर्वज खड़ी बोली के प्रमाण हमें तभी से मिलने शुरू हो जाते हैं। हिन्दी भाषा इस विकास प्रक्रिया को हम पांच चरणों में विभक्त कर सकते हैं (ललित मोहन अवस्थी 1977 (के अनुसार):

1. आदिकाल - 1000 ई. से 1200 ई.
2. पूर्व मध्य काल - 1200 ई. से 1500 ई.
3. उत्तर मध्य काल - 1500 ई. से 1800 ई.
4. आधुनिक काल - 1800 ई. से 1947 ई.
5. वर्तमान काल - 1947 ई. से अब तक

कोई भाषा किसी भी निश्चित खांचे में न तो बांधी जा सकती है और न ही उसकी सीमाएं निश्चित की जा सकती हैं; वह तो अपनी सरसता और संवेदना के माध्यम से लोगों के दिल, दिमाग और जुबान पर अपनी जगह बनाती चलती है। इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत प्रमाण 19वीं शताब्दी के आरंभ में मिलता है जब पूरे देश में केवल 0.1 प्रतिशत व्यक्ति ही अंग्रेजी जानते थे जिनमें अंग्रेजी नागरिक भी शामिल थे और इसके विपरीत खड़ी बोली और हिन्दुस्तानी समूचे भारत में बोल-चाल और सम्पर्क की ऐसी भाषा थी जिसमें 99 प्रतिशत भारतीय अपनी अभिव्यक्ति करता था और देश की चेतना तेजी से आगे बढ़ रही थी।

स्वाधीनता के पश्चात देश को वर्ष 1962, 1965, 1971 के तीन भीषण युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सरकार को देश की सुरक्षा, खाद्यान्न, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर ध्यान देना पड़ा ताकि राष्ट्र के समुचित विकास में आ रहे व्यवधानों से निपटते हुए देश को नई दिशा में ले जाया जा सके। फिर भी, भाषा और राजभाषा नीति के विकास की दिशा में जो भी प्रयास किए गए उनसे हिन्दी भाषा के विकास को गति मिलती रही। इस संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 19 जनवरी 1968 को जारी किया गया। इसके मूल में निम्न भाव निहित था।

'जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक सांस्कृतिक के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है।'

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने समस्त मंत्रालय, विभाग, कार्यालय व उपक्रमों के लिए कार्यान्वयन हेतु प्रभावी राजभाषा नीति लागू की गई। इसके अंतर्गत सरकारी तंत्र में यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग, राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, कार्यान्वयन संबंधी निरभ्खण व्यवस्था, हिन्दी में मौलिक वस्तु लेखन हेतु पुरस्कार, संदर्भ सामग्री का निर्माण, कम्प्यूटरीकरण एवं द्विभाषीकरण तथा राजभाषा प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम, राजभाषा संगोष्ठियों का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाएं/दिवस/सप्ताह एवं पखवाड़ा का आयोजन के साथ ही प्रेरणा प्रोत्साहन और सद्भावना के माध्यम से राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

आज समूचे देश में हिन्दी संपर्क भाषा के रूप में जनसाधारण में अपनी पैठ जमा चुकी है। इसे लोकप्रिय बनाने में रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हिन्दी सिनेमा एवं सोशल मीडिया का नि:संदेह विशेष योगदान है। और इस सबसे बढ़कर हिन्दी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्राण आज दूरदर्शन के माध्यम से समस्त देशी-विदेशी चैनलों का हिन्दी में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना है।

प्राय: अब समस्त विज्ञापन आज हिन्दी के माध्यम से दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रत्येक अंग्रेजी पत्र का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। यही नहीं दुनिया के अधिकांश देशों में हिन्दी उनके विश्व-विद्यालयों में एक पाठ्यक्रम का रूप ले चुकी है।

दुनिया के विकसित देश, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चीन, रूस देशों सहित अन्य देशों ने आज यह समझ लिया है कि भारत में अगर उन्हें अपना व्यापार बढ़ाना है तो ऐसा हिन्दी भाषा के माध्यम से ही संभव है। यही वजह है कि आज भारत में विद्यमान अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहे वे मोबाइल, कम्प्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित हों अथवा दिन-प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित हों; एक बात बड़ी स्पष्ट है कि बाजार में उपलब्ध उपयुक्त सामानों/वस्तुओं की जानकारी हिन्दी में प्रकाशित बुकलेट एवं फोल्डर्स के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही है।

पिछले 67 वर्षों से अनन्त यात्रारत रहते हुए स्वत: प्रमाणित होता है कि हिन्दी आज नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुकी है, जो एक भाषा के लिए सम्मानजनक स्थिति होती है।

आने वाले समय में हिन्दी पूरे विश्व में प्रथम भाषा बनने की ओर अग्रसर है क्योंकि सभी देश यह जान चुके हैं और मान चुके हैं कि यदि उन्हें भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित करना है तो उन्हें हिन्दी भाषा के माध्यम से वह रास्ता मिलेगा जो संबंधों को नई दिशा प्रदान कर पाएगा। आज वैश्विक स्तर पर हिन्दी की यह अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात हैं।

हिन्दी की लोकप्रियता का दायरा यानि सिक्के का दूसरा पहलू भी कम भयावह नहीं है। और चिंताजनक स्थिति लिए खड़ी है। आज हमें हिन्दी के अतिबोध से निकलकर यथार्थ बोध के अप्रिय सत्य को भी समझने की जरूरत

है। आज हमारे अंदर जो हीन-मानसिकता है, उससे ऊपर उठना होगा। हमें राष्ट्रीय अवसाद बोध को स्वीकार करना होगा और राष्ट्रभाषा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक नए कर्तव्यबोध की अलख जगाने का अभियान संयोजित करना होगा।

अब राष्ट्रभाषा हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रश्न संविधान और राजनीति तक ही सीमित रह गया है। भाषा का प्रश्न संस्कृति, अस्मिता और विकास का प्रश्न भी है। समग्र भारतीय जनगण की सार्थक चेतना का प्रश्न है और हमारे भविष्य का एक ज्वलंत प्रश्न भी। यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय दिशा बोध का भी प्रश्न है। हिन्दी लेखकों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। हिन्दी प्रान्तों को भी हिन्दी के प्रति चेतना को विकसित करने की जरूरत है। हिन्दी प्रान्तीय के प्रत्येक नागरिकों का पहला कर्तव्य है कि वह सच्चे मन से दृढ़ निश्चय से इसके प्रचार-प्रसार के लिए आगे आएं। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दी लेखकों पर जो टिप्पणी की उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं:

'आत्म आलोचना की हिन्दी में कमी है और आलोचना का स्टैण्डर्ड बहुत नीचा है। एक लेखक और उसके आलोचक के बीच एक-दूसरे के व्यक्तित्व पर गाली-गलौच होना हिन्दी में कोई असाधारण बात नहीं है। यहां तक सारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित और दरबारी-सा है और ऐसा मालूम होता है, मानो हिन्दी का लेखक और पत्रकार एक-दूसरे के लिए और एक बहुत ही छोटे-से दायरे के लिए लिखते हों, उन्हें आम जनता और उसके हितों से मानों कोई सरोकार ही नहीं हैं। हिन्दी का क्षेत्र इतना विशाल और आकर्षक है कि उसमें इन त्रुटियों का होना मुझे अत्यंत खेदजनक और हिन्दी लेखकों के प्रयत्न शक्ति का अपव्यय-सा जान पड़ा...हिन्दी साहित्य का भूतकाल बड़ा गौरवमय रहा है, लेकिन वह सदा के लिए उसी के बल पर जो जिन्दा नहीं रह सकता। मुझे पूरा यकीन है कि उसका भविष्य भी काफी उज्ज्वल है, और मैं यह भी जानता हूं कि किसी दिन देश में हिन्दी के अखबार एक जबरदस्त ताकत बन जाएंगे, लेकिन जब तक हिन्दी के लेखक और पत्रकार पुरानी रूढ़ियों और बंधनों से अपने आपको बाहर नहीं निकालेंगे और आम जनता के लिए लिखना न सीखेंगे, तब तक उनकी अधिक उन्नति न हो सकेगी।' (आत्मकथा : नेहरू : 1936 ई.)

हिन्दी की उपेक्षा ज्यादातर हिन्दी पट्टी के लोग ही करते हैं। उपरोक्त उदाहरण तर्कसंगत है और वैज्ञानिक संगत भी। इनमें सरकारी उपेक्षा और राजनीतिकरण भी जोड़ दिया जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं। नहीं तो क्या कारण है कि हिन्दी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हिन्दी ऐसी सहज और सरल भाषा है, जो देश को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच सेतु बनकर इन क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। किन्तु चिंताजनक पहलू यह है कि इतनी समृद्ध होने के बावजूद हिन्दी अपने ही देश में दोयम दर्जे पर है।

हिन्दी की उपेक्षा ज्यादातर हिन्दी पट्टी के लोग ही करते हैं। उपरोक्त उदाहरण तर्कसंगत है और वैज्ञानिक संगत भी। इनमें सरकारी उपेक्षा और राजनीतिकरण भी जोड़ दिया जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं। नहीं तो क्या कारण है कि हिन्दी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हिन्दी ऐसी सहज और सरल भाषा है, जो देश को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच सेतु बनकर इन क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। किन्तु चिंताजनक पहलू यह है कि इतनी समृद्ध होने के बावजूद हिन्दी अपने ही देश में दोयम दर्जे पर है।

हम समस्त भारतीयों का कर्तव्य है कि इस भाषा को व्यवहार में लाकर इसके उत्थान में सहयोग करें।

सरकार को भी चेतना होगा। उन्हें भारतीय संविधान की धारा 351 के प्रति अपना कर्तव्यबोध एवं जिम्मेदारी को समझना होगा और संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जिसमें यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 साल बाद तक राजभाषा में अंग्रेजी भाषा का तब तक इस्तेमाल किया जाए जब तक हिन्दी भाषा अंग्रेजी का स्थान न ले ले। भारत को ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों से मुक्त हुए 68 साल हो गए है परन्तु हिन्दी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की स्थिति में ही है। इसे राजभाषा का दर्जा अब तक नहीं मिला है। सरकार को आत्म मंथन करने की जरूरत है, और सरकार के साथ-साथ भारतीयों की उपेक्षा भी एक मजबूत कारण है और मूल वास्तविक कारण यह है कि हम इस भाषा के प्रचार-प्रसार और उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से जुटे हुए नहीं हैं। ऊपरी तौर पर हम यह जरूर कह देते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आम बोलचाल और व्यवहार में तो हम ज्यादातर अंग्रेजी की ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस देश की भाषा हिन्दी हो उसी देश में इसके अस्तित्व के लिए निरन्तर संघर्ष हो, हिन्दी कार्यशाला के रूप में,

हिन्दी दिवस के रूप में, हिन्दी सप्ताह के रूप में और पखवाड़ा मनाने की जरूरत आन पड़े, यह इसकी दुर्गति नहीं तो और क्या है? कारण खोजने और अपने मन को टटोलने की जरूरत है, विशेषकर उन लोगों को जो इसके लिए राजनीति करते हैं, उन लेखकों को जो अपनी पहचान बनाते हैं, उन उच्च शिक्षित वर्गों को जो राष्ट्रीय विकास की धुरी को संचालित करते हैं। क्या हम हमारी राष्ट्रभाषा के साथ न्याय कर रहे हैं?

यही इस देश के कतिपय आधुनिक लोगों की हिन्दी के प्रति आसक्ति का भावभूमि है और यही इस देश की विडम्बना भी है, हिन्दी भाषी लोगों की हिन्दी के प्रति श्रद्धाहीनता! यही मानसिकता हिन्दी के विकास में सबसे बड़ा बाधक बनी हुई है। इस लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रभाषा को लेकर राजनीतिकरण किया जाता है, सरकार और संस्थाएं ही हिन्दी को अपने कामकाज में लागू नहीं कर पा रही? ऐसे में कैसे मिलेगी हिन्दी को तवज्जो? लोकसभा, राजसभा, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, बैंक, उद्योग-व्यवसाय, शिक्षण संस्थाओं में जब तक हिन्दी में कामकाज को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा तब तक हिन्दी के उत्थान की बात करना बेमानी ही होगा।

हिन्दी की देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता आज दुनिया की समस्त भाषाओं के समक्ष प्रमाणित हो चुकी है। भाषा-विज्ञान के मुताबिक हिन्दी/भारतीय भाषा की वर्णमाला के वर्ण वैज्ञानिक रूप से मनुष्य के मस्तिष्क/विचार, चिंतन और स्वास्थ्य पर विशिष्ट ध्वनियों के माध्यम से अपना गहन प्रभाव डालते हैं जिससे मनुष्य के शरीर में विद्यमान पांच कोश जागृत होकर निरंतर नई ऊर्जा और नई शक्ति का सृजन करते हैं। वे पांच कोश निम्न हैं:-

1. अन्नमय कोश, 2. मनोमय कोश, 4. प्राणमय कोश, 4. ज्ञानमय कोश एवं 5. आनंदमय कोश।

हिन्दी वर्णमाला के निम्न वर्ण इन कोशों से गहरा संबंध रखते हैं। इन्हें इन वर्गों में विभाजित किया गया है :-

क वर्ग - क ख ग घ ङ
च वर्ग - च छ ज झ ञ
ट वर्ग - ट ठ ड ढ ण
त वर्ग - त थ द ध न
प वर्ग - प फ ब भ म

इन वर्णों का उच्चारण और लेख व्यक्ति के मस्तिष्क के चेतन और अचेतन दोनों हिस्सों को उत्प्रेरित करते हुए मस्तिष्क के उस हिस्से को क्रियाशील बनाए रखता है जो हमारे शरीर में भाषा का नियंत्रण करता है और शब्द शक्ति के माध्यम से व्यक्ति, चिंतन और विचारों की नई ऊर्जा से समाज को नई दिशा और गति प्रदान करता है।

हिन्दी वर्णमाला के ये वर्ण मात्र वर्ण नहीं बल्कि भौतिकी में जिसे उर्जा और 'क्वांटो' कहा जाता है वह शब्दों में निहित शब्द शक्तियों की ध्वनियों का सफोट है, जो समूचे ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, पृथ्वी, पेड़-पौधे, नदियों, पहाड़ों, जीव-जन्तुओं और मनुष्यों सहित समूचे वातावरण में व्याप्त है। यह तमाम तंतु एक निश्चित योजना के तहत बनाई गई सापेक्षता से जुड़कर विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से अपना-अपना कार्य करते हैं और उस कार्य को इन वर्णों के माध्यम से विभिन्न भाषायी और शाब्दिक रूप देकर जनमानस अपनी अभिव्यक्ति को मौखिक और लिखित रूप में प्रगट करता आ रहा है।

इसका प्रमाण विभिन्न विषयों से संबंधित विविध शास्त्रों/पुस्तकों और ज्ञानमय कोशों/पुराणों और साहित्य में मिलता है जो भारत वर्ष में हजारों वर्षो से चली आ रही समृद्ध भाषायी परम्परा को विश्व के सम्मुख खड़ा कर देता है। हिन्दी आज समूची शक्ति के साथ ऐसे ही समृद्ध भाषा मंच पर आसीन है जिससे प्रत्येक सभ्यता संस्कृति अपने लिए जीवन रस प्राप्त कर रही है।

इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दी भाषा न केवल हमारी सभ्यता, संस्कृति और वैचारिक यात्रा की वाहिका है बल्कि यह हमारे राष्ट्र के भीतर विद्यमान हमारी आंतरिक शक्तियों की चेतना का प्रतीक है जिससे हम स्वयं अपना मार्ग तो चुनते ही हैं और साथ में समस्त विश्व को साथ लेकर चलते हैं ताकि समूची दुनिया 'वसुधैव कुटुम्बकम' का भाव अपने भीतर समाहित करते हुए पूरी दुनिया को ही नई दिशाओं की ओर अग्रसर कर सके।

वर्तमान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब अमरीकी दौरे पर गए, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन को हिन्दी में संबोधित कर देश का और हिन्दी का गौरव बढ़ाया है। न्यूयार्क सिटी के मेडिसन स्क्वायर पार्क में भारतीय प्रवासियों को भी हिन्दी में संबोधित किया और भारतीय प्रवासियों ने भी उनसे हिन्दी में बात की तो समस्त संसार ने 'भारत' और ''हिन्दी'' दोनों की महत्ता को देख अचम्भित हुए बिना न रह पाएं।

इस अवसर पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हिन्दी प्रगति के जिस शिखर पर आसीन हो चुकी है हमें उसे और अधिक आगे बढ़ाते हुए सफलता के नए शिखरों की ओर बढ़ाते रहना है। हम सच्चे अर्थ में तभी हिन्दुस्तानी होने का दावा कर पाएंगे, जब हमारे राष्ट्र को एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को दर्जा दे दिया जाए।

इस संबंध में हम सबको यह कोशिश लगातार बनाए रखनी होगी ताकि हिन्दी नई दिशाओं की ओर अपनी उपस्थिति का अहसास कराती रहे। आप जहां कहीं रहें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी को न भूलें और इसके उत्थान में अहम योगदान करें। ■

(लेखक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलूरू में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक हैं)

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित

■ धनंजय कीर

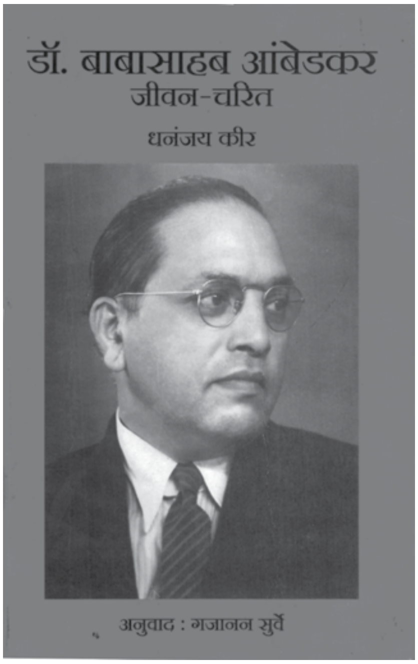

इसमें कोई अचरज नहीं कि अस्पृश्यों को गांधी जी का यह पैंतरा जुल्मी अन्याय लगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों की समस्या के संबंध में फैसला देने के बारे में अल्पसंख्यक समिति के सदस्यों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को जो प्रार्थना-पत्र पेश किया था, उस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किये थे। नैतिक दृष्टि से वह निर्णय उन्हें बंधनकारी था। परन्तु राजनीतिक दृष्टि से पराजित हुए गांधी जी ने विश्व का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हो और विशेषतः अलग मतदाता संघ प्राप्त करने का अम्बेडकर का प्रयास विफल हो, इसलिए आमरण अनशन का मार्ग पकड़ लिया। गांधी जी के चरित्र का सही मर्म, यानी उनका कर्मयोग; उनकी कृति शूरता। उच्च ध्येय से प्रेरित होकर निरन्तर कार्य करते रहने से उन्हें वह प्रचण्ड शक्ति प्राप्त हुई थी। कारागृह में होते हुए भी भारत के भविष्य से संबधित उस फैसले की ओर देखकर वे चुप नहीं बैठे थे। गांधी जी में स्थित राजनीतिज्ञ ने यह आवाहन किया कि भारतीय राष्ट्रवाद और देशाभिमान के नाम पर हिन्दू एकता निर्माण कर एक संघ बने। और ऊपरी तौर पर देखने से वह सचमुच अमूल्य उपदेश था।

यह निश्चय ही था कि गांधी जी के संकल्प से देश में बड़ी खलबली मचे। गांधी जी और सरकार से प्रकट अनुरोध किया गया। राजेन्द्र प्रसाद जैसे नेता ने कहा कि, हिन्दू धर्म की कसौटी का समय आ गया है। हिन्दू समाज में जहां-तहां हाहाकार मच गया। अनेक लोगों को मानसिक तनाव महसूस हो रहा था। लेकिन यह बात सही थी कि हिन्दू समाज में वह हाहाकार इसलिए नहीं मचा था कि स्पृश्य हिन्दुओं को अस्पृश्य समाज के बारे में अपने बर्ताव की लज्जा लग रही थी, बल्कि उनके राजनीतिक तथा देवतालुल्य नेता का, उनके राजनीतिक दास्य विमोचक का जीवन खतरे में पड़ गया था। इसीलिए संकट के समय घबराकर व्याकुल होने वाले हिन्दुओं की इस परंपरागत ऐन मौके पर हिम्मत हारने वाली वृत्ति ने फिर एक बार जोर पकड़ा और वे इधर-उधर भागने लगे।

पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिमला से एक पत्रक प्रकाशित किया कि यह समस्या हल करने की दृष्टि से और गांधी जी के प्राण बचाने के लिए हम बम्बई में 19 सितम्बर को एक परिषद् आयोजित करने वाले हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने अम्बेडकर को भी तार द्वारा सूचित किया। गांधी जी के प्राण बचाना यानी ब्रिटिशों द्वारा अपने निर्णय में परिवर्तन करना। और उसमें परिवर्तन करने का मतलब था, जिन अम्बेडकर ने वे सुविधाएं महती प्रयास से प्राप्त की थी, उनकी सम्मति प्राप्त करना। इस मामले में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में अम्बेडकर की ओर सारे भारत का ध्यान आकृष्ट होना अपरिहार्य ही था। नियति की विचित्र लीला यह थी कि जिन समाचारपत्रों को अब यह स्वीकार किये बिना कोई चारा नहीं था कि अम्बेडकर अस्पृश्यों के प्रतिनिधि नेता और प्रवक्ता हैं। सारे भारत की आंखें अब अम्बेडकर की ओर आकृष्ट हो गईं।

गांधी जी के प्राणान्तमक अनशन से कौन सा संकट खुद पर मंडरा रहा है और उसका महत्व क्या है तथा उसका नतीजा क्या होगा; इसका पूरा एहसास अम्बेडकर को था। गांधी जी ने खुद के प्राण धोखे में डालकर अकारण अस्पृश्य समाज पर पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र का विरोध करने की अम्बेडकर तैयारी कर रहे थे। वे भी राजनीतिक क्षेत्र के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। प्रथमतः पुणे में राज्यपाल से भेंट कर उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि उनकी भूमिका क्या है? तुरन्त बम्बई परिषद् के पहले एक निवेदन कर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, 'मेरी अपनी ओर से कहा जाये तो मैं कोई भी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मगर मेरे अस्पृश्य वर्ग के अधिकारों में कटौती करने को मैं स्वीकृति नहीं दूंगा। मुद्दे की निश्चित जानकारी के बिना परिषद् बुलाने में कोई लाभ नहीं।'

अहमदाबाद के एक प्रतिनिधि मंडल को अम्बेडकर ने अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से बतायी। लखपति सेठ वालचंद के पास भी उन्होंने वही सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि 'गांधी जी को अपनी योजना ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मुख विचारार्थ रखकर उसके बारे में उनके साथ चर्चा करनी चाहिए थी। परन्तु वे वैसा नहीं करते हैं, इसलिए गांधी जी स्वयं इस प्रकरण में दोषी हैं। विभिन्न नेता, मित्र, मेहमान आदि का अम्बेडकर के निवास स्थान पर तांता लग गया। स्टार्ट समिति के उनके एक सहयोगी ठक्करबाप्पा उनमें से एक थे। उन्हें गांधी जी के रुख के संबंध में अम्बेडकर के साथ बहस करनी थी। अम्बेडकर को समय धन की भांति मौलिक लगता था और उसमें भी वे एक फौजदारी मुकदमें में व्यस्त थे। आपका काम कितने समय में समाप्त होगा, ऐसा उनके ठक्करबाप्पा से पूछते ही उन्होंने कहा कि कम-से-कम एक घंटा लग जायेगा। अम्बेडकर ने कहा, 'मैं सिर्फ पांच मिनट का समय निकाल सकूंगा।' ठक्करबाप्पा अधिक समय देने क लिए अनुरोध करने गले। मुलाकात को बीजगणित के संक्षिप्तीकरण न्यायसंक्षेप मिला। अम्बेडकर घर में चले गये। इस तरह का अति संक्षिप्त और निर्भीक व्यवहार किसी राजनीतिक नेता की कीर्ति और कार्य को परिपोषक न होकर, प्राय: हानिकारक ही हुआ होता। अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार की बेलगाम मुहिम शुरू कर दी गईं। शैतान, देशद्रोही, ब्रिटिशों का पिट्ठू इत्यादि चुनिंदा गालियों से उनकी पुनश्च निर्भर्त्सना होने लगी।

'बम्बई क्रॉनिकल' में बी.जी. हॉर्निमन ने एक अत्यंत प्रक्षोभक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने जल-भुनकर कहा, 'अम्बेडकर यह मानकर न चलें मानो समस्त अस्पृश्य वर्ग उनकी मुट्ठी में है। वे यह ध्यान में रखें कि अपने भारी रूखेपन के साथ वे चिपके न रहें।' भारत के इस दत्तक पुत्र ने अम्बेडकर को और यह गंभीर इशारा किया कि अगर ऐसे संकट के समय अम्बेडकर ने अपना अहंकार और रूखापन दूर नहीं रखा, तो उस एकाकीपन में ही उन्हें दिन बिताने पड़ेंगे, यह वे ध्यान में रखें।

तथापि, अम्बेडकर की शांत वृत्ति विचलित नहीं हुई। परिषद् के पहले उन्होंने अपना दूसरा एक निवेदन प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी ने गोलमेज परिषद् में कहा था कि अस्पृश्य वर्ग की समस्या उन्हें विशेष महत्व की नहीं लगती। उन्हें ऐसा लगता था कि संविधान बन जाने पर उसमें अस्पृश्यों के संबंध में एक परिशिष्ट भर देने से काम खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने गोलमेज परिषद् में जिस स्वतंत्रता की मांग का जयघोष किया, उस स्वतंत्रता की मांग के लिए इस तरह के अंतिम उपाय की योजना की होती तो वह न्याय के अनुसार होता। यह बड़े अफसोस और अचरज की बात है कि गांधी जी द्वारा जातीय निर्णय के अनुसार अस्पृश्यों को दिया गया स्वतंत्र प्रतिनिधित्व केवल अपने बलिदान का कारण माना जाए। ऐसी बात नहीं कि अलग मतदाता संघ सिर्फ अस्पृश्य वर्ग को ही दिये गये; यूरोपियन, हिन्दी, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुसलमान, सिख को भी दिये गये हैं। अलग मतदाता संघ मुसलमान और सिख को देने से अगर देश के टुकड़े न होते हों, तो यह कहना उचित नहीं होगा कि अस्पृश्य वर्ग को स्वतंत्र निर्वाचक मंडल देने से हिन्दुस्तान विभाजित होगा। अपने निवेदन के अन्त में उन्होंने कुछ कठोर शब्दों में कहा, 'महात्मा कोई अमरत्व का ताम्रपट्ट लेकर नहीं आये हैं। वही बात कांग्रेस संस्था की भी है। वह दुष्ट बुद्धि की नहीं, यह स्वीकृत किया जाए तो भी वह कोई अमर नहीं है। ऐसे अनेक महात्मा इस देश में हुए हैं जिनका ध्येय अस्पृश्यता नष्ट करना और अस्पृश्यों का सामाजिक दर्जा सुधारकर उनका हिन्दू समाज में समावेश कर लेना था। लेकिन उनमें से हर एक इस संबंध में असफल रहा। महात्मा आये और गये। मगर अस्पृश्य समाज जैसा था वैसा ही रहा।

ब्रिटिश और मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य समाज या संस्था के साथ बर्ताव करते समय, साधु चरित और शिष्टाचार संपन्न गांधी जी अपने व्यवहारी दृष्टिकोण और कूटनीतिज्ञता या विचारधारा का भरसक प्रयोग करते थे। इस कला में वे सिद्धहसत थे। स्वतंत्रता की मांग के लिए या मुसलमानों को मिले अलग मतदाता संघ को रद्द करने के लिए उन्होंने इस तरह का आमरण अनशन शुरू किया होता तो उसका अन्त किस तरह हुआ होता, उसकी गांधी जी को पूरी कल्पना थी। अस्पृश्यता का तुरनत उन्मूलन करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया होता तो उसका भी परिणाम वही हुआ होता। अम्बेडकर ने गांधी जी का यह रहस्य पहचान कर ही उन पर कठोर आघात किये थे। गांधी जी की इस अनशन की घोषणा

ऐसे अनेक महात्मा इस देश में हुए हैं जिनका ध्येय अस्पृश्यता नष्ट करना और अस्पृश्यों का सामाजिक दर्जा सुधारकर उनका हिन्दू समाज में समावेश कर लेना था। लेकिन उनमें से हर एक इस संबंध में असफल रहा। महात्मा आये और गये। मगर अस्पृश्य समाज जैसा था वैसा ही रहा।

से अस्पृश्यों की दुर्गति की ओर लोगों का अधिक ध्यान जाने लगा। इस घोषणा की वजह से अस्पृश्यों की ह्रदय में जो क्रोधाग्नि धधक रही थी, उसकी ओर उनका ध्यान खिंच गया। स्पृश्य हिन्दू, समाचारपत्र और देशभक्त को अपने समाज के ऊपर लगे हुए कलंक का तीव्रतर एहसास होने लगा। राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, राजकीय मंडल इनमें एक ही व्यक्ति का नाम गरज रहा था ओर वह था अम्बेडकर का नाम। अर्थात् उन पर पत्रों की, तारों की, संदेशों की वर्षा होने लगी। कोई सहानुभूति दिखाता, कोई धमकी देता, तो कोई गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए अनुरोध करता था।

नियोजित परिषद् 19 सितम्बर 1932 को इण्डियन मर्चंट्स चेम्बर संस्था के भव्य सभागृह में पूरी तरह से गर्म वातावरण में शुरू हुई। अध्यक्ष के पद पर पंडित मदन मोहन मालवीय विराजित थे। अध्यक्ष के बगल में ही अम्बेडकर और उनके सहयोग डॉ. सोलंकी बैठे थे। उपस्थित महानुभावों में सर्वश्री मनु सूबेदार, सर चिमणलाल सेटलवाड़, वालचंद हीराचंद, राजेन्द्रप्रसाद, कमला नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू, छोटीराम गिडवानी, ठक्करबाप्पा, डॉ. देशमुख, डॉ. सावरकर, माधवराव अणे, के. नटराजन, पी. बालू, पंडित कुंझरू, स्वामी सत्यानंद, एन. शिवराज इत्यादि नेता थे। सेठ वालचंद हीराचंद ने अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध किया कि डॉ. अम्बेडकर को अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। शांत, गंभीर और ठोस आवाज में अम्बेडकर ने कहा, 'यह अफसोस की बात है कि गांधी जी अस्पृश्यों के हित के खिलाफ प्राणान्तम अनशन करें। यह ठीक ही है कि गांधी जी के अमूल्य प्राण बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति भरसक प्रयत्न करें। परन्तु गांधी जी द्वारा दूसरी स्पष्ट योजना न सुझाये जाने के कारण इस घटना से मार्ग निकलना मुश्किल हो गया है। गांधी जी की ओर आप दूसरी वैकल्पिक योजना लाएं, तो उस पर विचार किया जायेगा। परन्तु एक बात अटल है। केवल गांधी जी के प्राण बचाने के लिए मेरे भाइयों के हित के खिलाफ जो योजना होगी, उस योजना में मैं शरीक नहीं हूंगा।'

वे निर्भीक बोल सुनकर कुछ नेता डर से कांपने लगे। कुछ लोगों के ह्रदय को तो जबर्दस्त सदमा पहुंचा। गांधी जी से यरवदा कारागृह में मिलकर आये हुए शिष्ट मंडल का क्या कहना है, इसका विचार-विमर्श करने के लिए दूसरे दिन परिषद् आयोजित की गयी। शिष्टमंडल के नेता चुन्नीलाल ने परिषद् को बताया कि अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटें देने के बारे में गांधी जी का व्यक्तिगत विरोध नहीं हैं परिषद् ने पूछा कि इस पर अम्बेडकर का कहना क्या है? हम दोहरे पेच में जकड़े गये हैं, यह परिषद् को बताकर अम्बेडकर ने कहा, ''मैं इस घटना का खलपुरुष बनूं, यह मेरा नसीब ही सही। लेकिन आप ध्यान रखें कि, मैं अपने पुनीत कर्तव्य से तनिक भी टस से मस नहीं होऊंगा और मेरे अस्पृश्य वर्ग के न्याय और कानूनन अधिकारों का नाश मैं नहीं करूंगा, फिर भले ही आप मुझे नजदीक के बिजली के खम्भे पर फांसी दे दें। इसके बजाय आप गांधी जी से एक सप्ताह अनशन स्थगित करने के लिए प्रार्थना करें और तत्पश्चात् इस समस्या के उत्तर की खोज करें, यह ठीक होगा। 'परिषद् को यह दूसरा भंयकर सदमा पहुंचा। अम्बेडकर की वह गंभीर मुद्रा, तेज से दीप्त आंखें मानों बोल रही थीं- 'अहो पंडित, देशभक्त, वाचाल ध्येयवादी, आप हमें अपनो में से नही मानते। हम पर संयुक्त निर्वाचक मंडल की सख्ती करने का आपको अधिकार नहीं, या आपके धर्म के साथ हमारा मेल कराने का आपको अधिकार नहीं।' परिषद् दूसरे दिन दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हुई। तुरन्त ही प्रमुख नेता बिड़ला-निवास में इकट्ठा हुए। वहां सप्रू ने प्राथमिक और निर्णायक इस प्रकार के दो अंगों वाली एक चुनाव की पद्धति आरक्षित सीटों के लिए बनाई। उस पद्धति के अनुसार अस्पृश्य वर्ग के मतदाताओं के लिए हर एक आरक्षित सीट के लिए कम से कम तीन प्रतिनिधि चुने जाएं और उन तीनों में से कोई भी एक संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाए। उस पर अम्बेडकर ने कहा, 'मैं अपने सहयोगियों की सलाह लेता हूं और दो घण्टे में उनसे विचार-विमर्श करके वापस लौटता हूं।' ऐसे कठिन समय में अम्बेडकर पु.गो. काणेकर जैसे प्रगाढ़ विद्वान की विश्वसनीय सलाह लेते थे। अपने सहयोगियों की सलाह लेकर उस रात उन्होंने अपनी खुद की योजना परिषद् के नेताओं सम्मुख रखी। उसमें प्राथमिक चुनाव का तत्व स्वीकार कर, मगर जातीय निर्णय में अस्पृश्य वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें रखी गई हैं, उससे ज्यादा सीटें उन्हें मिलनी चाहिए और केन्द्रीय विधान मंडल में जनसंख्या के अनुपात में अस्पृश्यों को सीटें मिलनी चाहिए ऐसी पुष्टि उन्होंने जोड़ दी। परिषद् के नेताओं ने अम्बेडकर की मांगें स्वीकार कीं। जयकर, सप्रू, बिड़ला, राजगोपालचारी और राजेन्द्र प्रसाद मध्यरात्रि की गाड़ी से पुणे रवाना हुए।

बुधवार दिनांक 21 को सुबह उपर्युक्त नेताओं ने गांधी जी की यरवदा कारागृह को कार्यालय में भेंट की। गांधी जी ने कहा, 'सोच विचार कर बताऊंगा।' बुधवार दोपहर को गांधी जी को कारागृह के प्रांगण में कारागृह के दरवाजे के पास रखा गया। सरदार पटेल और गांधी जी के सचिव प्यारेलाल को उनकी खाट के पास बैठने की अनुमति दी गई। सप्रू ने दोपहर दूरध्वनि द्वारा तुरन्त पुणे आने के लिए अम्बेडकर को सूचित किया। मध्यरात्रि की गाड़ी से अम्बेडकर बम्बई से पुणे गए। उसी दिन एम.सी. राजा और मालवीय भी पुणे गए। गुरुवार की सुबह डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के साथ गांधी जी ने विचार विमर्श किया। गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्य वर्ग की सभी सीटों को चुनाव की प्राथमिक और

दुय्यम पद्धति लागू की जाए। नेशनल होटल में डॉ. अम्बेडकर को इस बात का संदेशा भेजा गया। वातावरण पुनश्च बहुत ही गर्म हो गया। कतिपय नेता यह सूचना करने लगे कि अस्पृश्य वर्ग के स्वतंत्र निर्वाचक मंडल को रद्द करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार किया जाए। अम्बेडकर ने उन्हें बताया कि, 'मेरे सम्मुख जब तक दूसरी योजना नहीं आ जाती, तब तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये अलग मतदाता संघ का त्याग करने के लिए मैं राजी नहीं हूं। हाथ का छोड़कर मृगजल के पीछे जाने में कोई अर्थ नहीं।' सबके चेहरों पर निराशा की घनी छाया फैलने लगी। दोपहर के समय जयकर, सप्रू और मालवीय ने गांधी जी से कारागृह में भेंट की। उसके बाद पी. बालू और एम.सी. राजा ने गांधी जी से भेंट करके आश्वासन दिया कि हम संतोषजनक समझौता कर लेंगे।

सायंकाल जयकर, बिड़ला, चुन्नीलाल मेथा और राजगोपालचारी के साथ डॉ. अम्बेडकर गांधी जी से मिलने गए। भारतीय राजनीति की वह एक आपातकालीन संकटपूर्ण घटना थी। अम्बेडकर इत्यादि मंडली जब कारागृह में गांधी जी से मिलने गयी, तब वे एक लोहे की खाट पर चटाई डालकर बैठे हुए थे। आम के पेड़ की छाया खाट पर फैल गई थी। सरदार पटेल और सरोजिनी नायडू बगल में बैठे थे। खाट के पास पानी, नमक और सोड़ा की बोतलें थीं। अम्बेडकर खाट की ओर मुड़े। तब आस-पास का वातावरण नि:शब्द और उत्कंठित हो गया। मोह निर्माण करने वाली वह स्तब्धता अम्बेडकर पर कुछ असर डाल सकेगी क्या? जयकर ने यह कहा था कि अम्बेडकर की हठवादिता गांधी जी को देखते ही बर्फ की भांति पिघल जायेगी। मति गूंग बनाने वाले उस संधिप्रकाश में खिन्नता का वह वातावरण अम्बेडकर को मोहित कर सकेगा क्या? जिस गांधी जी के रहस्यवादी और ग्रासित करने वाले व्यक्तित्व ने अनेक कर्तृत्वान और प्रभावी राजनीतिक पुरुषों को मोहित किया था, अपनी रहस्यवादी शक्ति के प्रचंड प्रवाह में प्रवाहित कर दिया था, ऐसी उस अलौकिक शक्ति के सामने अम्बेडकर खड़े थे। कारागृह के बाहर विरोध की प्रचंड आंधी भांय-भांय कर रही थी। तो कारागृह में मोहित करने वाली वह नि:शब्द स्तब्धता ताक लगाकर बैठी थी। उस स्थिति में भी अम्बेडकर शांत और स्थिर-चित्त, धीरगंभीर थे। कम धैर्यशाली व्यक्ति उन झकझोरने वाली घटनाओं के नीचे जिंदा दफन हो गया होता।

अम्बेडकर का अस्पृश्य वर्ग के प्रति अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम था। उनके कल्याण की भी वे अपने प्राणों से ज्यादा चिंता करते थे। स्वभावत: भावुक होने से गांधी जी के आस-पास उस करुणापूर्व दृश्य को देखकर वे फूट-फूटकर रो पड़ते। परन्तु युगों-युगों से अस्पृश्य वर्गियों को भुगतने पड़ रहे अमानुष दु:ख ओर असीम पीड़ा की याद से उनका मन और दिल तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भावनावश होकर वे प्रवाह में बह नहीं सके।

अम्बेडकर का अस्पृश्य वर्ग के प्रति अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम था। उनके कल्याण की भी वे अपने प्राणों से ज्यादा चिंता करते थे। स्वभावत: भावुक होने से गांधी जी के आस-पास उस करुणापूर्व दृश्य को देखकर वे फूट-फूटकर रो पड़ते। परन्तु युगों-युगों से अस्पृश्य वर्गियों को भुगतने पड़ रहे अमानुष दु:ख ओर असीम पीड़ा की याद से उनका मन और दिल तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भावनावश होकर वे प्रवाह में बह नहीं सके। इतना ही नहीं; अम्बेडकर के एक श्रेष्ठ महाराष्ट्रीय होने के कारण आपातकालीन प्रसंग में धीरज न छोड़ने की परम्परा उन्होंने नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग हुए। अपना राजनीतिक जीवन मुट्ठी में रखकर सम्मुख खड़े हुए कठिन समय का, वे धीरज के साथ मुकाबला कर रहे थे।

14 अगस्त, 1931 को शुरू हुए युद्ध का यह दूसरा पर्व आरम्भ हुआ था। विश्व के अत्यंत श्रेष्ठ कर्मवीर नेता के साथ, उस समय के अत्यंत रहस्यवादी और प्रभावी पुरुष के साथ, रूढ़िभंजक, मूर्तिभंजक और क्रांतिकारी अम्बेडकर का सामना हुआ था। गांधी जी के रसायन में बनिया, बैरागी और बैरिस्टर का बेमिसाल घोल हुआ था। और यह घोल बीसवीं शती की एक अद्भुत घटना थी। इस तरह की प्रचंड शक्ति के महापुरुषों में संघर्ष होने पर, उसमें से महाप्रलय का निर्माण होता ही है। गांधी जी के देह बिलकुल थक गयी थी। वे अपनी खाट पर नि:शब्द पड़े थे। अब संभाषण की शुरुआत हुई। सर तेजबहादुर सप्रू ने गांधी जी को सारी हकीकत बताई। मालवीय जी ने हिन्दुओं का पक्ष प्रस्तुत किया।

तुरन्त शान्ति के साथ मंद आवाज में अम्बेडकर ने कहा, 'महात्मा जी, आप हम पर बड़ा ही अन्याय करते आ रहे हैं। यह मेरी तकदीर है कि, मैं अन्यायी दिखाई पड़ूं, इस तरह की नौबत मुझ पर आती है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं।' गांधी जी ने शांति से उत्तर दिया। अम्बेडकर ने गांधी जी को सारी परिस्थिति की पूरी कल्पना देकर उसके बारे में अपना कहना क्या है,

यह बताया। अम्बेडकर की इस सीधी और प्रभावी भाषा का परिणाम गांधी जी के चेहरे पर प्रतिबिम्बित हो रहा था। अम्बेडकर की मांगों की यथार्थता उन्हें महसूस हुई। आखिर में गांधी जी ने अम्बेडकर से कहा, 'आपकी बात पर मेरी पूरी सहानुभूति है। डॉक्टर आप जो कहते हैं उनमें से बहुत-सी बातों से मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु आप ने कहा था कि, मेरे जिन्दा रहने का आपको भी कुछ उपयोग है?' अम्बेडकर ने उत्तर में कहा, 'जी हां, महात्मा जी अगर आपने अपनी जिन्दगी अस्पृश्य वर्ग के कल्याण के लिए व्यतीत की, तो आप हमारे वीर पुरुष बन जायेंगे।' उस पर गांधी जी ने कहा, 'ठीक है, मेरे प्राण कैसे बचाए जाएं, यह तो आप जानते हैं। अत: आप उसके अनुसार मेरे प्राण बचाएं। मैं जानता हूं कि जातीय निर्णय के अनुसार आपके लोगों को प्राप्त हुए अधिकार आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं; आपके द्वारा सुझाई गई 'पैनल' की पद्धति मैं स्वीकारता हूं। परन्तु मेरी यह बात आप स्वीकार करें कि आपकी वह पेनल पद्धति आपकी सभी आरक्षित सीटों पर लागू की जाए। आप जन्म से अस्पृश्य हैं, मैं हृदय से। हम सब एक हैं, अभंग, अविभाज्य हैं। हिन्दू समाज में होने वाली इस फूट को टालने के लिए मैं अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हूं।' अम्बेडकर ने गांधी जी की यह सूचना स्वीकार की। मुलाकात समाप्त हुई। पैनल पद्धति में कितने उम्मीदवार हों, हर एक प्रान्त में अस्पृश्यों को कितनी सीटें मिलें, प्राथमिक चुनाव की पद्धति कितने सालों तक चलायी जाए, आरक्षित सीटों की सहूलियत कितने सालों तक रखी जाएं, अधिकारों के स्थान का बंटवारा कैसे किया जाए इत्यादि बातों पर विचार करने में नेता मग्न हो गए।

शुक्रवार दिनांक 23 सितम्बर का दिन उदित हुआ। पैनल में कितने उम्मीदवार हों, इस मुद्दे पर हुई चर्चा में चार घंटे काफी तगड़ी बहस हुई। उसके बाद अम्बेडकर ने सर्व प्रान्तीय विधानसभा में 197 सीटों की मांग की। समझौता करने वालों ने अम्बेडकर से कहा, 126 सीटें लेकर संतुष्ट रहें। कई घंटे व्यतीत हो गये, फिर भी विचार-विमर्श समाप्त होने का लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा था। दस घंटों के विचार-विमर्श के बाद कुछ मुद्दों पर गांधी जी की सलाह ली गयी। गांधी जी ने अम्बेडकर के बहुत से मुद्दे स्वीकार किये। तथापि, प्राथमिक चुनाव की पद्धति कितने सालों तक चलती रहे और आरक्षित सीटें कब रद्द की जाएं, लेकिन पंद्रह साल बाद आरक्षित सीटों की पद्धति के बारे में अस्पृश्यों का सर्वमत जाना जाए। समझौता करने वालों का यह कहना था कि आरक्षित सीटें और अलग अस्तित्व इन बातों को अगर हम अस्पृश्यों के मत पर अवलंबित रखेंगे, तो ये बातें स्थायी स्वरूप अख्तियार कर लेंगी। पंद्रह साल बाद आरक्षित सीटों के बारे में अस्पृश्यों का सार्वमत लिया जाए, यह अम्बेडकर का आग्रह होने से अस्पृश्य हिन्दुओं के नेता मन में चिंतातुर हुए। अम्बेडकर ने अपना निर्भीक मत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि अगले बीस सालों में अस्पृश्यता का निर्मूलन होगा, इस बात पर अपना विश्वास नहीं, परन्तु इस लटकती तलवार के भय से स्पृश्य हिन्दुओं को अस्पृश्यों के बारे में अपनी निर्दय और कलंकित दृष्टि और कृति में फर्क जरूर करना पड़ेगा।

शाम होने लगी। चार बज गए। इतने में यह खबर आई कि गांधी जी का स्वास्थ्य अत्यंत क्षीण होकर चिंताजनक हो गया है। गांधी जी के चिरंजीव देवदास ने आंखों में आंसू लाकर अपने पिताजी की तबियत बहुत चिन्ताजनक हो गई है, ऐसा अम्बेडकर को निवेदित किया। उन्होंने अम्बेडकर को बड़ी आत्मीयता से यह प्रार्थना की कि सर्वमत के बारे में आग्रह रखकर करार पर हस्ताक्षर करने का विलम्ब न करें। आखिर सर्वमत की समस्या के बारे में निर्णय लेने के लिए अम्बेडकर कुछ चुने हुए नेताओं के साथ गांधी जी से मिलने के लिए कारागृह में गये। सर्वमत की समस्या को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया। परन्तु उन्होंने कहा, 'लेकिन सर्वमत पांच वर्षों के बाद लिया जाए।' गांधी जी की आवाज अब इतनी कमजोर हो गई थी कि वे क्या बोल रहे हैं, यह सुनने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता था। कारागृह के डॉक्टर ने संभाषण बंद करने के लिए कहा। खाट के पास के आम के पेड़ के पत्तों ने भी आवाज न करने की मानों जिद ठान ली थी। सभी ओर गहरा सन्नाटा फैल गया था। मिलने के लिए आये नेता दु:खी होकर वापस लौटे। अम्बेडकर अपना मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी मानसिक शक्ति पर चरम तनाव पड़ गया था। उन्हें हत्या की धमकी देने वाले पत्र लगातार आ रहे थे। लोग उनकी ओर प्रति हिंसक आंखों से देख रहे थे। कुछ नेता तो अम्बेडकर को बेलगाम लाखों गालियां देने में मदहोश हो गये थे।

शुक्रवार की रात गंभीर और भयावह वातावरण में समाप्त हुई। शनिवार सुबह विचार-विमर्श फिर आरम्भ हुआ। यह तय किया गया कि विधानसभा में 148 आरक्षित सीटें और स्पृश्य हिन्दुओं की सीटों में से केन्द्रीय विधानमंडल की 10% सीटें अस्पृश्य वर्ग को दी जाएं। सर्वमत की समस्या पर पुनश्च घंटों चर्चा हुई लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। अपना मत स्वीकृत नहीं होता, यह देखकर पुनश्च कारागृह में गांधी जी से भेंट करना अम्बेडकर ने तय किया। डॉ. सोलंकी और राजगोपालाचारी के साथ अम्बेडकर गांधी जी से मिलने गये। उनहोंने कहा कि अम्बेडकर की मांग तर्कशुद्ध और अकाट्य है, लेकिन कानूनी सुरक्षा दी जाने से, अस्पृश्यता के इस रोग का निर्मूलन होगा ऐसा हमें नहीं लगता। गांधी जी ने अम्बेडकर को आत्मीयता से यह विनती की कि, हिन्दू धर्म को अपने विगत पापों का प्रक्षालन करने के लिए एक बार मौका दिया जाए। अस्पृश्यों का सर्वमत पांच वर्षों में लिया जाए यह कहकर उन्होंने निर्णायक

आवाज में कहा, 'पांच वर्षों के बाद सार्वमत लो, या अभी मेरे प्राण लो।'

यह सुनकर अम्बेडकर विचार-विमर्श की जगह वापस लौटे। सार्वमत कम से कम दस सालों के बाद लिया जाए, अपना यह मुद्दा छोड़ने के लिए अम्बेडकर राजी नहीं हो रहे थे। आखिर में एक घंटे बाद यह तय हुआ कि सर्वमत की मुद्दत का नामनिर्देश न करते हुए करार पूरा किया जाए। दोपहर तीन बजे राजगोपालाचारी ने यह जानकारी गांधी जी को कारागृह में निवेदित की। गांधी जी को वह पूरी तरह से पसन्द आयी। रामकृष्ण भंडारकर रास्ते के शिवलाल पोतीलाल के बंगले पर राजगोपालाचारी तुरन्त वापस लौटे। करार को गांधी जी की आशीष है।, यह कहते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। तुरन्त करार-पत्र का मसौदा तैयार हो गया। मद्रास के नेताओं ने यह हठ किया कि करार पत्र पर एम.सी. राजा के हस्ताक्षर लिए गए तो अम्बेडकर को हम हस्ताक्षर नहीं करने देंगे। उसमें भी समझौता हो गया। शनिवार पांच बजे चाय पीते-पीते गपशप और आनंद से परिपूर्ण वातावरण में दोनों पक्ष के नेताओं ने करार पर हस्ताक्षर किये। यह तय हुआ कि, राजा, मुनि-स्वामी इत्यादि मंडली करार-पत्र की प्रमुख जगह पर हस्ताक्षर न कर सबके हस्ताक्षर होने के उपरान्त नीचे हस्ताक्षर करें। फिर भी हस्ताक्षर करते समय एम.सी. राजा ने अपने हस्ताक्षर की जयकर, सप्रू के हस्ताक्षरों के बीच घुसेड़ ही दिया। यही करार, आगे 'पुणे करार' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अस्पृश्य वर्ग की ओर के करार पर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किये। सवर्ण हिन्दुओं की ओर से पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं में जयकर, सप्रू, बिड़ला, राजगोपालाचारी, राजेन्द्रप्रसाद, श्रीनिवास, राजभोज, श्रीनिवासन, पी. बालू, गवई, ठक्करबाप्पा, सोलंकी, बकले, सी.वी. मेथा, और कामत थे। बम्बई जाने पर इस करार पर और हस्ताक्षर लिये गए। राजगोपालाचारी खुशी से इतने पागल हो गये कि उन्होंने और अम्बेडकर ने कलम की अदली-बदली की।

इस करार के मुद्दों की जानकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल और महाराज्यपाल को तार द्वारा प्रेषित की गयी। बम्बई राज्यपाल के कार्यवाह को दोनों पक्षों के नेताओं ने प्रत्यक्ष रूप से जानकारी दी। दूसरे दिन सुबह सभी नेता करार मंजूर करने के लिए बम्बई आए। दोपहर दो बजे इंडियन मर्चेंट्स चेम्बर सभागृह में सभी नेताओं के भाषण हुए। अपने अध्यक्षीय भाषण में मालवीय जी ने कहा कि किसी को भी जन्म से अस्पृश्य न माना जाए; अस्पृश्यता रूढ़ि का निर्मूलन किया जाना चाहिए ऐसा उन्होंने अपने मर्मस्पर्शी भाषण में हिन्दुओं से अनुरोध किया। मथुरादास वसनजी ने पुणे करार का समर्थन देने से संबंध में प्रस्ताव रखा। सप्रू ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सप्रू ने अम्बेडकर की प्रशंसा की और अपने लोगों के अधिकारों के लिए अम्बेडकर ने जो वीरतापूर्वक संघर्ष किया, उसके प्रति उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया और अम्बेडकर भविष्य काल में देश के एक तेजस्वी नेता बनेंगे, ऐसी भविष्य वाणी की।[4] इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए अम्बेडकर के खड़े होते ही तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट हुई। कल जो बात घटित हुई, वह अपने ध्यान में, मन में और स्वप्न में भी नहीं थी, यह कहकर उन्होंने कहा, 'यद्यपि बहुत समय तक कड़ा वाद-विवाद और काफी शोर मच गया, फिर भी आखिरकार हमने निर्णय किया। मेरी तरह ऐसे भयावह दोहरे संकट में कोई भी व्यक्ति कभी नहीं जकड़ा गया होगा। एक ओर भारत के श्रेष्ठ-पुरुष की जीवन-रक्षा का दायित्व मुझे सता रहा था। परन्तु आखिर में गांधी जी, सप्रू और राजगोपालाचारी के सहयोग से हम निर्णय कर सके। इस तरह की समझौते की वृत्ति गांधी जी ने गोलमेज परिषद् के समय ही क्यों नहीं दिखायी? गांधी जी ने मेरे कहने का विचार उसी समय किया होता तो इस तरह के संकट से गुजरने का प्रसंग उन पर नहीं आता।[5] पुणे-करार को अतिपवित्र करार मानकर उसका पालन अस्पृश्य बंधु सद्भावना और सच्चाई से करें।'

26 सितम्बर को ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने पुणे करार पर ब्रिटिश लोकसभा की मुहर लगवाकर उसे मंजूर करा लिया। उसी दिन हिन्दू महासभा ने अपने दिल्ली के अधिवेशन में पुणे करार को मंजूरी

यह सुनकर अम्बेडकर विचार-विमर्श की जगह वापस लौटे। सार्वमत कम से कम दस सालों के बाद लिया जाए, अपना यह मुद्दा छोड़ने के लिए अम्बेडकर राजी नहीं हो रहे थे। आखिर में एक घंटे बाद यह तय हुआ कि सर्वमत की मुद्दत का नामनिर्देश न करते हुए करार पूरा किया जाए। दोपहर तीन बजे राजगोपालाचारी ने यह जानकारी गांधी जी को कारागृह में निवेदित की। गांधी जी को वह पूरी तरह से पसन्द आयी। रामकृष्ण भंडारकर रास्ते के शिवलाल पोतीलाल के बंगले पर राजगोपालाचारी तुरन्त वापस लौटे।

दी। दिल्ली के अधिवेशन में पुणे करार को मंजूरी दी। पुणे-करार के समाचार की लहरें देश के कोने-कोने में फैल गईं। करार की जानकारी सारे विश्व में विद्युत गति से फैल गई। इस करार से फिर एक बार यह सिद्ध हुआ कि अस्पृश्य वर्ग के एकमेव नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ही हैं। जिन कांग्रेसी नेताओं और समाचारपत्रों ने पुणे करार के पहले अम्बेडकर का नेतृत्व नकारा था, उन्होंने ही अब अम्बेडकर के साथ करार कर अम्बेडकर ही अस्पृश्यों के एकमेव प्रतिनिधि और एकमेव नेता हैं, यह स्वीकार किया। यह करार होते समय दोनों पक्ष की ओर से लेन-देन हुई। जातीय निर्णय के अनुसार अस्पृश्य वर्ग को कुल 71 सीटें मिलने वाली थीं, तो अब स्पृश्य हिन्दुओं ने उन्हें 148 सीटें दी। अपने इच्छित को खुद ही अलग से चुनकर, स्पृश्य हिन्दुओं के प्रतिनिधि भी चुनने का अस्पृश्य वर्ग को जातीय निर्णय के अनुसार जो अधिकार दिया गया था, उस अधिकार से वे अब वंचित हो गये।

इस प्रकार स्पृश्य हिन्दुओं के नेताओं को अपनी ओर झुकाने की शक्ति से अस्पृश्य हिन्दू वंचित हुए, यह सच है। स्पृश्य हिन्दुओं को अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि चुनने का हक प्राप्त हुआ। यह देखकर कम पीड़ादयी और ज्यादा प्रामाणिक, राजा-मुंजे करार का अम्बेडकर ने क्यों विरोध किया, यह अनेक लोगों को अब मालूम पड़ा। यह योजना और वह करार एक सहृदयी, लेकिन दुर्बल पक्ष द्वारा सुझाया गया था, इसीलिए उन्होंने उसे ठुकरा दिया।

इस मामले से और एक बात सिद्ध हुई। वह यह कि गांधी जी में स्थित महात्मा, जब राजनीतिज्ञ गांधी जी पर हावी हो जाता था, तब साधारण बातों को जटिलता और उलझन का स्वरूप प्राप्त होता था। गोलमेज परिषद् के समय गांधी जी में स्थित महात्मा ने राजनीतिज्ञ गांधी जी पर विजय प्राप्त की थी। और गांधी जी में स्थित महात्मा ने विश्व को हिला दिया। लेकिन वहां राजनीतिज्ञ गांधी जी की पराजय हुई। यरवदा में राजनीतिज्ञ गांधी जी की विजय से महात्मा पद की पराजय हुई। परन्तु प्रतिज्ञा की इस विजय से महात्मा पद की पराजय हुई। गांधी जी की यह विजय इतनी परिणामकारी और निर्णायक बनी कि जिस तरह इंद्र ने कर्ण के कवच-कुंडल तरकीब से छीन कर उसे दुर्बल किया; उसी तरह गांधी जी ने अस्पृश्य समाज के अलग मतदाता संघ के कवच-कुंडल निकाल कर अम्बेडकर को दुर्बल किया। गांधी जी राजनीतिज्ञ ठहरे। गोलमेज परिषद् के समय गांधी जी ने अपने मन का बड़प्पन और समझौते की वृत्ति दिखाई होती, तो अस्पृश्य वर्ग के अधिकारों की समस्या वहीं मिट गई होती। अम्बेडकर का यह कहना सही था। अनशन का कठिन प्रसंग गांधी जी ने खुद ही अपने पर लाद लिया और प्रतिज्ञा भंग का पुण्य कमाया।

पुणे करार हो गया! एक और पर्व समाप्त हुआ। लेकिन 14 अगस्त 1931 को बम्बई के मणिभवन में पुकारे गए युद्ध का अन्त हुआ या उस युद्ध का दूसरा पर्व समाप्त हुआ, या तात्कालिक संधि हुई?

संदर्भ

1. जनता, 30 जनवरी, 1932
2. जनता, 25 जून, 1932
3. The Bombay Chronicle, 18 August, 1932.
4. Pyarelal, the Epic Rast, P. 186
5. Pyarelal, the Epic Fast, P. 189.

अध्याय 12

मुक्ति का सच्चा पथ

पुणे करार का तात्कालिक असर अच्छा हुआ। अस्पृश्य वर्ग के बारे में आंदोलन करना जातीय कार्य है, ऐसा मानने वाले राजनीतिक नेताओं का ध्यान मंदिर-प्रवेश की ओर आकृष्ट हुआ। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गांधी जी अस्पृश्यों के खिलाफ थे। अनेक जिलों के मुख्य कांग्रेसी नेताओं ने उस आंदोलन का विरोध ही किया था।

गांधी जी के अनशन के समय में कुछ मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोल दिए जाने की खबरें समाचार पत्र में सुनाई पड़ती थी। खुले हुए मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन प्रत्यक्ष सत्य मात्र निराशजनक था। महात्मा गांधी जी को सहानुभूति दिखाने के लिए गिरे हुए, निर्जन, अस्तित्व में होने वाले मंदिरों को खोला जाना प्रसिद्ध किया गया और इस प्रकार की बढ़ाई हुई सूची में भी गुजरात के मंदिरों के नाम, दवा के रूप में भी नहीं थे। गुजरात गांधी जी का पैतृक स्थान। परंतु सामाजिक सुधार की दृष्टि से कहा जाए तो वह प्रतिक्रियावादियों का मायका था; सामाजिक दृष्टि से पहले की ही भांति लोग सनातनी, निष्ठुर और प्रतिक्रियावादी विचारों से बुरी तरह सने हुए थे।

अम्बेडकर द्वारा शुरू किये गये मंदिर प्रवेश के झगड़े और केलाप्पन द्वारा गुरुवायुर मंदिर के सामने शुरू किये हुए सत्याग्रह की ओर, कांग्रेस नेताओं ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। नासिक का संघर्ष मार्च 1930 से चल रहा था, तो गुरुवायुर का 1931 से। 21 सितम्बर 1931 से केलाप्पन ने मंदिर-प्रवेश के पक्ष में अनशन शुरू किया। परंतु गांधी जी द्वारा उन्हें अनशन छोड़ देने के लिए तार द्वारा अनुरोध करने पर उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। गांधी जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि अस्पृश्यों के लिए 1 जनवरी 1933 तक मंदिर खोला नहीं गया तो केलाप्पन के साथ वे भी अनशन करेंगे। केलाप्पन के अस्पृश्यों के मलबार प्रदेश के समर्थक होने और केलाप्पन का जीवन मंदिर-प्रवेश की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा अम्बेडकर को लगने से उन्होंने केलाप्पन को अनशन छोड़ने के लिए अनुरोध किया।

अस्पृश्य-वर्गीयों को मोक्ष की प्राप्ति हो इसलिए देव-देव करते रहने के लिए अम्बेडकर को मंदिर-प्रवेश नहीं चाहिए था। अस्पृश्यों को मानवीय अधिकारों का एहसास हो और उनमें उसके लिए संघर्ष करने की इच्छा और जिद निर्माण हो,

इसलिए उन्होंने मंदिर-प्रवेश का संघर्ष शुरू किया था। उस समय गांधी जी एकदम चुप बैठे थे। अस्पृश्य समाज शिक्षा से समुन्नत और राजनीतिक अधिकार से संपन्न हुआ, तो वह एक राष्ट्र का सबल घटक बन जायेगा; इसलिए पिछले कुछ सालों से जो अम्बेडकर मंदिर-प्रवेश के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने ही अब अपने रवैए में अचानक परिवर्तन कर दिया। उन्होंने अपने आंदोलन की नौका अलग दिशा की ओर मोड़ दी। वे आग्रहपूर्वक ऐसा प्रतिपादन करने लगे कि अपने लोग राजनीतिक अधिकारों की ओर ही अधिक ध्यान दें। 23 सितम्बर 1932 की रात को बंबई के वरली में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, आज यत्र-तत्र तुम्हारे लिए मंदिरों के द्वार खोलने का प्रयास चल रहा है। यह प्रयास करने वालों के प्रयोजन में शक नहीं। किंतु यह बिलकुल नहीं भूलना चाहिए कि मंदिर में प्रवेश मिलने से तुम्हारा उद्धार होने वाला है। मंदिर की मूर्ति के इर्द-गिर्द खेलने वाली पारमार्थिक भावना की अपेक्षा, पेट का सवाल कैसे हल होगा, इसकी चिंता तुम्हें अधिक करनी चाहिए। खाने के लिए भरपेट अन्न नहीं। तन ढंकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं, पैसे के अभाव में दवा-दारू नहीं ली जा सकती; इस तरह की दीन अवस्था में हमारा समाज अटका हुआ है। प्राप्त राजनीतिक अधिकारों का उपयोग, जीवन की सुख-सुविधाओं को भोगने के लिए कैसे हो सकता है इस ध्येय से, दिशा से आपको करना चाहिए।

इसी सभा में दलित वर्ग के सभी आंदोलनों के केन्द्र के रूप में एक इमारत बनाने के लिए अम्बेडकर ने दो लाख रुपये की निधि इकट्ठा करने का संकल्प व्यक्त किया।

अम्बेडकर ने इसी प्रकार का उपदेश बंबई के बेलासीस रोड पर अक्तूबर 1932 में किया। मरणोत्तर मोक्ष प्राप्ति के लिए तड़पने वाली वृत्ति काल्पनिक है। स्वर्गीय नंदनवन पर केंद्रित दृष्टि आज की परिस्थिति में कितनी आत्मघातक है, इहलोक में जीवितक्रम कितना मुश्किल हो गया है, अंधश्रद्धायुक्त कल्पनाओं के कारण वह कितना कष्टमय हो गया है, इसका मर्मस्पर्शी चित्र उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने श्रोताओं को यह अच्छी तरह से समझा दिया कि स्वपराक्रम से दाना-पानी प्राप्त करने, ज्ञानार्जन के साधन अंकित कर लेने, जीवितक्रम सुखकर बनाने जैसी मौलिक समस्याओं की ओर सर्वसाधारण समाज से विमुख होने से सारे देश की उन्नति रुक गई है। ''गले में पड़ी तुलसी का मालाएं तुम्हें मारवाड़ी की कैंची से मुक्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम राम नाम का जप करते हो, इसलिए मकान मालिक किराये में छूट नहीं देता या वणिक अपने पैसे कम नहीं करता। तुम पंढरी के वारकरी हो, इसलिए तुम्हारा मालिक तुम्हारी तनख्वाह में वृद्धि नहीं करता। समाज के अत्यंत बड़े हिस्से के इन रहस्यवादी कल्पनाओं में डूब जाने से कुछ स्वार्थी व्यक्तियों का षड्यंत्र सफल हो जाता है और वे धोखेबाजी से अपना हेतु साध्य कर लेते हैं। 'येरे माइया मागल्या आणि ताक कण्या चांगल्या' कहावत के अनुसार अगर तुम बर्ताव करोगे, तो तुम्हें कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं होगी। मुझे बड़ी आशंका यही है कि आज हम में जो जाग्रति हो रही है, वह क्षणिक तो नहीं ठहरेगी? जिस गुलामी को समूल नष्ट करने के लिए आज हम तैयार हुए हैं, उसका प्रभाव तुम पर फिर से तो नहीं पड़ेगा?''

अम्बेडकर ने इसी प्रकार का उपदेश बंबई के बेलासीस रोड पर अक्तूबर 1932 में किया। मरणोत्तर मोक्ष प्राप्ति के लिए तड़पने वाली वृत्ति काल्पनिक है। स्वर्गीय नंदनवन पर केंद्रित दृष्टि आज की परिस्थिति में कितनी आत्मघातक है, इहलोक में जीवितक्रम कितना मुश्किल हो गया है, अंधश्रद्धायुक्त कल्पनाओं के कारण वह कितना कष्टमय हो गया है, इसका मर्मस्पर्शी चित्र उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने श्रोताओं को यह अच्छी तरह से समझा दिया कि स्वपराक्रम से दाना-पानी प्राप्त करने, ज्ञानार्जन के साधन अंकित कर लेने, जीवितक्रम सुखकर बनाने जैसी मौलिक समस्याओं की ओर सर्वसाधारण समाज से विमुख होने से सारे देश की उन्नति रुक गई है।

सावंतवाड़ी में हत्या का मुकदमा चलाने के लिए जाते समय बीच में यरवदा कारागृह में उन्होंने गांधी जी से भेंट की। अस्पृश्यता विध्वंसक समिति के सदस्य कौन होंगे; इसके बारे में चर्चा हुई। अम्बेडकर ने कहा, 'उस संस्था में बहुसंख्य सदस्य अस्पृश्य होने चाहिए।' जनगणना की आवश्यकता के बारे में अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ बातचीत की। अम्बेडकर ने गांधी जी को स्पष्ट रूप से बताया कि 'अस्पृश्यता निवारण के आन्दोलन में उदासीनता फैल गई है। सहभोजन और मंदिर-प्रवेश के कार्य में अपनी शक्ति खर्च न करते हुए, अस्पृश्यता विध्वंसक मंडल को अपनी शक्ति पूर्णतः अस्पृश्यों और आर्थिक,

शैक्षिक और सामाजिक उन्नति के लिए लगानी चाहिए। अस्पृश्यों की राजनीतिक आकांक्षाओं और अधिकारों को वह संस्था धक्का नहीं लगायेगी, इसका भरोसा हुए बिना मैं उस संस्था की केंद्रीय समिति में काम करने के लिए राजी नहीं होऊंगा।

सावंतवाड़ी के पडवे मामले में आरोपी की ओर से मुकदमा चलाने के लिए अम्बेडकर ने न्यायालय में तीन दिन काम किया। 19 अक्तूबर का काम शुरू हुआ। चौथे दिन अम्बेडकर ने मराठा बोर्डिंग को भेंट देकर 20 रुपए दानस्वरूप दिए। उन्हें लोगों की ओर से वाचनालय में उपहार दिया गया। कारागृह के नजदीक के महारवाड़े में बड़ी सभा हुई। उस समय अम्बेडकर ने कहा, 'केवल स्वार्थ और आत्मरक्षा की दृष्टि से ही सही प्रगतिशील लोग अस्पृश्यता नष्ट करें।' बम्बई वापस लौटते ही 28 अक्तूबर 1932 को ऋषि समाज ने उन्हें बंबई में मानपत्र अर्पित किया। सभा में भाषण करते हुए जिणाभाई राठौर ने कहा, 'अपने अस्पृश्य वर्ग में भी हम ऊंच-नीच का भाव रखते हैं। लेकिन अम्बेडकर सागर की भांति हैं। वे किसी को भी ऊंच या नीच नहीं मानते।' उत्तर के रूप में भाषण करते हुए अम्बेडकर ने कहा, 'दुनिया में मनुष्य को जो सुख-दुख भुगतने पड़ते हैं, वे ईश्वरी इच्छा के अनुसार ही आते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि दरिद्रता अपने लिए ही है। खुद को इस तरह नीच समझने की वृत्ति छोड़ दें। सहभोज और मंदिर-प्रवेश को मेरा विरोध नहीं है, लेकिन इस मामले से हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके आगे जो कानून बनाये जायेंगे, वे अस्पृश्य वर्ग की सम्मति से ही बनाये जायेंगे। यह एक सामाजिक क्रांति है। हमें गृहस्थी चलाने की आवश्यकता है। रोटी, तन पर पूरा कपड़ा, रहने के लिए अच्छी जगह हमें मिलनी चाहिए। अस्पृश्य वर्ग के अंदर का जातिभेद मिटा दो।' 4 नवम्बर 1932 को गोलमेज परिषद् के तीसरे अधिवेशन के लिए लंदन जाने से पहले, अम्बेडकर को और एक मान पत्र गुजराती मेघवाल समाज की ओर से दिया गया। उस सभा में अम्बेडकर ने कहा, 'मन्दिर-प्रवेश का आंदोलन क्षणिक है। वह कभी भी नष्ट हो जाएगा। हमें सामाजिक दर्जा समानता की नींव पर प्राप्त करना है। अपनी आर्थिक गुलामी नष्ट करनी चाहिए।' वालपारवाड़ी में उसी दिन और एक सभा हुई। उसमें उन्होंने कहा, गांधी जी उनके अनुयायियों ने गलत रास्ता दिखाया। अब गांधी कहते हैं कि अम्बेडकर के पीछे अस्पृश्यों का प्रचण्ड जनसमुदाय है, ऐसा मेरा विश्वास होता तो मैं उनकी मांगों का विरोध नहीं करता। तुम एकता कायम रखो। फूट मत होने दो। जातिभेद, वर्गभेद, जिलाभेद मत बढ़ाओ।' 7 नवम्बर 1932 को अम्बेडकर ने प्रयाण किया। जहाज पर चढ़ने से पहले दी गई मुलाकात में उन्होंने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता की संस्थापना केंद्रीय सरकार में दी जाने वाली जिम्मेदारी के अभाव में बुद्धिमानी नहीं सिद्ध होगी। केंद्र सरकार में दी जाने वाली जिम्मेदारी को संघराज्य की संस्थापना पर निर्भर रखना, यह कल्पना हमें पसंद नहीं।' गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, 'जिस अर्थ से वह आंदोलन ब्रिटिश नौकरशाही को पराभूत नहीं कर सका, उस अर्थ से वह आंदोलन विद्रोह था ही नहीं।'

लंदन जाते समय अम्बेडकर अत्यंत उत्साही दिखाई दे रहे थे। अलौकिक कर्तृव्य से शोभायमान होकर वे अब अस्पृश्यों के प्रति-परमात्मा बन गये थे। भारत के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ पुरुषों के साथ संघर्ष करके वे अब यश और तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। उस समय जगमगाते हुए जाने वाला विक्टोरिया जहाज भी उन्हें भा गया। केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही नहीं, सुख-सुविधा की दृष्टि से देखने पर भी वह जहाज उन्हें इतना अच्छा लगा कि अन्य कंपनियों के जहाज मानों केवल कूड़े के बड़े पीपे ही हों। उस समय 'ब्रेमेन' और 'यूरोपा' गतिशील जहाज के रूप में जगप्रसिद्ध थे। यह जहाज उनके साथ होड़ कर सकता है, ऐसा उन्हें लगा। हिन्द महासागर भी प्रसन्न और शांत दिखाई पड़ा। वह कांच के विशाल पृष्ठभाग की भांति स्थिर और चमकीला दिखाई दे रहा था। तप्त लाल सागर भी उनके प्रसन्न मन को प्रक्षुब्ध न करते हुए साथ दे रहा था। क्योंकि लाल सागर में उस मौसम में सफर करना यानी आग की भट्ठी में से निकल जाने जैसा लगता था। लाल सागर के ऊपर के आसमान ने शीतल वायु के झोंके का छत्र उनके सिर पर पकड़ रखा था। अम्बेडकर के जहाज पर चढ़ने से पहले हुए गगनभेदी जयघोष के कारण उनका आगमन उस जहाज के यात्रियों के लिए एक कोतूहल का विषय बन गया था। सबका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया था। 'ये जयजयकार के प्रदर्शन मुझे बेचैन करते हैं। इन जयजयकारों द्वारा व्यक्त की जाने वाली विभूतिपूजा की भावना मेरी लोकसत्तात्मक प्रवृत्ति को व्यथित और व्यग्र कर छोड़ती है। अपने लोगों को मेरे बारे में लगने वाली अपेक्षा और उस संबंधी कर्तव्य का तीव्र स्मरण वे मुझे करा देते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जगत में अकेला रहना चाहिए। शांत और स्वतंत्र जीवनचर्या भोगने को मिले। इस तरह के सुशांत, अलिप्त और बिना झंझट के जीवनचर्या का लगाव जितना मुझे है, उतना बहुत ही कम लोगों को होगा। इस तरह के शांत और सुखदायी जीवनचर्या पर मुझ से ज्यादा अधिकार भी अन्य किसका हो सकता है? 'दुख के बाद सुख' या 'कष्ट के बाद विश्राम' का सिद्धान्त अचूक और सबको समान रूप से लागू होने वाला होता, तो मुझे आवश्यक ऐसा शांत, स्वतंत्र, अलिप्त जीवनचर्या इससे पहले ही प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यह सिद्धांत मुझ पर लागू होने वाला नहीं, यह अब मैं समझ चुका हूं। शोरगुल का जीवनक्रम मेरी घुट्टी में पड़ा हुआ है और मुझे इसके आगे भी आखिर तक साथ देकर शेष होने वाला है।[1]

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमशः शेष अगले अंक में)

महापुरुषों के सद्विचार - राष्ट्रभाषा हिन्दी

■ भेरु सिंह राव 'क्रान्ति'

'भारत जननी एक हृदय हो,
एक राष्ट्रभाषा हिन्दी में,
कोटि कोटि जनता की जय हो।
स्नेह सिक्त मानव की वाणी
गूंजे गिरा यही कल्याण।'

मां भारती की कोटि-कोटि संतानें और उनका वसुधैव कुटुम्बकम् भाव से ओतप्रोत मानस जिस वाणी से विश्व को गूंजित कर रहा है, वह सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्, गिरा राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है।

यह राष्ट्र एवं राष्ट्रीय एकता की बुनियाद है। इसकी सरलता, सुबोधता, सम्पन्नता, व्यापकता, प्राञ्जलता एवं प्रामाणिकता बेजोड़ है। समन्वित सांस्कृतिक विकास एवं सम्पर्क भाषा/ बोलचाल की भाषा के रूप में यह श्रेष्ठतम है।

हिन्दी भाषा को महापुरुषों ने किस-किस वैशिष्ट्य में देखा है आइए इसे हम जानें-

- **स्वराज एवं समन्वित संस्कृति:**

'चूंकि भारतीय एक होकर समन्वित संस्कृति का विकास करना चाहते हैं इसलिए सभी भारतीयों का परम कर्तव्य हो जाता है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा समझकर अपनाएं।'

-बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

- **राष्ट्र एवं राष्ट्रीय एकता की बुनियाद :**

'राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से बलशाली कोई तत्व नहीं है। मेरे विचार में हिन्दी ही ऐसी भाषा है।'

-लोकमान्य तिलक

'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।'

-महात्मा गांधी

'देश भर को बांधने के लिए, भारत के भिन्न-2 हिस्से एक दूसरे से सम्बन्धित रहें, इसके लिए हिन्दी की जरूरत है।'

-जवाहरलाल नेहरू

'राजनीति, वाणिज्य एवं कला के क्षेत्र में देश की अखण्डता के लिए हिन्दी की महत्ता की ओर सभी भारतीयों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले और अपनी-2 प्रान्तीय भाषा बोलने वाले हों।'

-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

'एक भाषा यानी हिन्दी, एके की भाषा यानी हिन्दी, एकता की आधारशिला यानी हिन्दी।'

-गोपाल प्रसाद व्यास

'हिन्दी को यदि भारतवर्ष में एक मात्र भाषा स्वीकार कर लिया जाए तो सहज में एकता सम्पन्न हो सकती है।'

-केशव चन्द्र सेन

'हिन्दी के माध्यम से सारे भारत को एकता के धागे में पिरोया जा सकता है।'

-दयानन्द सरस्वती

'हिन्दी केवल भाषा ही नहीं देश को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हिन्दी भाषा का असली उद्देश्य देश की एकता को मजबूत रखना है। केवल हिन्दी ही देश को एक राष्ट्र के रूप में बनाए रख सकती है'

-शंकर दयाल शर्मा

'देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिन्दी ही हो सकती है।'

-लालबहादुर शास्त्री

'भारतीय एकता का सर्वाधिक प्रचार भक्ति आन्दोलन में हुआ। भक्ति आन्दोलन का माध्यम थी हिन्दी।'

-संजीव

'राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है। नदी, पहाड़ और समुद्र राष्ट्र नहीं बनाते। भाषा ही वह बन्धन है, जो चिरकाल तक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखती है और उसकी संरचना बिखरने नहीं देती।'

-मुंशी प्रेमचन्द

'हमने अपने देश का राजनीतिक एकीकरण सम्पन्न किया है। राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही एक दूसरे के नजदीक आएंगे।'

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

'हमें अपनी प्रान्तीय भाषाओं से भी उतना ही प्रेम है, जितना हिन्दी से। परन्तु हिन्दी अखिल भारत की राष्ट्रभाषा होने के लिए सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है।'

-विनायक दामोदर सावरकर

'देश की अखण्डता को बनाये रखने के लिए हिन्दी सबसे अधिक सहायक है।'

-ज्ञानी जैल सिंह

- **सरलता, सम्पन्नता, व्यापकता एवं प्राञ्जलता:**

'सरलता से सीखी जाने वाली भाषाओं में हिन्दी सर्वोपरि है।'

–तिलक

'अस्पष्ट एवं अधूरी अंग्रेजी से सरल, सुगम हिन्दी बेहतर है।'

–के. कामराज

'अगर आज हिन्दी भाषा मान ली गई तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की भाषा है, बल्कि वह इसलिए कि वह अपनी सरलता व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा है।'

–नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

'हिन्दी ऐसी हो कि उसमें सब तरह की बुद्धियां खिलें। भाषा सटीक हो, रंगीन हो, अलग-अलग मतलब को बता सके यानी पारिभाषिक हो और ठेठ जोरदार और रोचक। सम्पन्न भाषा के और कोई मतलब नहीं होते।'

–डॉ. राममनोहर लोहिया

'हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।'

–राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन

- **सम्पर्क एवं बोलचाल की भाषा:**

'हिन्दी पूरे भारत की भाषा है।'

–एडवर्ड टेरी

(भारत यात्रा विवरण (1655)

'हिन्दी देश के बड़े हिस्से में बोली जाती है। हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए।'

–रवीन्द्रनाथ टैगोर

'जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रान्त के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसे प्रत्येक गांव में थोड़ा बहुत अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिन्दी है।'

–हेनरी थॉमस कोलबुक–1782

'भाषा के भेद से और बाधा नहीं पड़ेगी, सब लोग अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करके हिन्दी को साधारण भाषा के रूप में पढ़कर इस भेद को नष्ट कर देंगे।'

–महर्षि अरविन्द

'भावों की सुन्दरतम अभिव्यक्ति हमेशा अपनी भाषा में ही हो सकती है, विदेशी भाषा के सहारे नहीं।'

–गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर

'हिन्दी देश के लोगों की बीच बोलचाल की भाषा के रूप में समृद्ध हुई है।'

–बालकृष्ण चतुर्वेदी

'अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी विद्या अपने स्वभाव से ही हमारे मन की सहवर्तिनी होकर नहीं चल सकती। यही कारण है कि इसमें से अधिकांश लोगों को जितनी शिक्षा मिलती है, उतनी विद्या नहीं मिलती।'

–गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर

'अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने मेरे व मेरे परिवारजनों के बीच एक ऐसा अवरोध खड़ा कर दिया है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। मैं अपने घर में ही अजनबी हो गया हूं क्योंकि मेरे परिवारीजनों ने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा नहीं पाई है।'

–महात्मा गांधी

'जब तक इस देश का राजकाम अपनी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।'

–मोरारजी देसाई

'विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से बच्चों का मानसिक विकास रुकता है और मौलिक चिन्तन में बाधा पड़ती है।'

–धीरेन्द्र वर्मा

- **देवनागरी अधिक वैज्ञानिक, निर्दोष एवं पूर्ण वर्णमाला :**

'मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है।'

–जॉन गिलक्राइस्ट

'आदर्श लिपि की सभी शर्तों को देवनागरी लिपि पूर्ण करती है। अन्य लिपि की तुलना में वह निःसंदेह अधिक वैज्ञानिक तथा निर्दोष है।'

–डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा

अपनी भाषा अपनी ही होती है। हिन्दी के महान प्रणेता भारतेन्दु हरिशचन्द्र के शब्दों में–

'निज भाषा उन्नति अहै,
सब उन्नति को भूल'

अन्त में यही चाह है–

'जाति धर्म, भाषा विभिन्न स्वर,
एक राग हिन्दी में सजकर,
झंकृत करे हृदय तंत्री को,
स्नेह भाव प्राणों में लय हो।
भारत जननी एक हृदय हो।।''

'चूंकि भारतीय एक होकर समन्वित संस्कृति का विकास करना चाहते हैं इसलिए सभी भारतीयों का परम कर्तव्य हो जाता है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा समझकर अपनाएं।'

–डॉ. भीमराव अम्बेडकर

भौजी

■ बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'

रामचरन ओ रामचरन कहां हैं रे तू जल्दी आ हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।

''आया बाबू जी।'

रामचरन तू तो जानता है इस घर में मैं नहीं चाहता था कि मेरे जीते जी तुम्हारे और शिवचरन में घर का बंटवारा हो जाए। जगर जब से शिवचरन दुबई से कमा कर तीन साल के बाद घर आया है तभी से हमसे कह रहा है बाबू जी आप जीते जी घर का बटवारा कर दीजिए। अब मैं रामचरन के साथ एक में नहीं रहना चाहता हूं। उसकी बीवी भी यही चाहती है।

''तुम क्या चाहते हो, मैं घर का बंटवारा कर दूं?' बाबू जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। बड़े भईया और भौजी की बातों को मैं काट भी नहीं सकता हूं। आप जो उचित समझे वही करें।

''तो ठीक है, कल मैं प्रधान जी को घर बुला कर घर का बंटवारा करा देता हूं।

घर के बंटवारे में-दोनों भाईयों को मकान का आधा-आधा हिस्सा और चार बीधा खेत में दो-दो बीधा खेत तथा दोनों बेटों को चांदी के एक एक किलो गहना और सोने का चार चार तोला गहना मिल गया।

बंटवारे के बाद प्रधान जी ने पूछा कि शिवचरन तुम तो जानते हो रामचरन अभी बेरोजगार उसके बच्चे भी नहीं हैं। उसके पास कमाई भी नहीं है ऐसे में बाबू जी और माई की कौन परवरिश करेगा। वह किसे पास रहेंगे? इसका भी फैसला हो जाना चाहिए।

शिवचरन बोला मैं बाबू जी और माई का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। हमारे वैसे ही तीन बच्चे हैं। इसलिए बाबू जी और माई का मैं बोझ नहीं उठा पाऊंगा।

भैया ठीक कह रहे हैं। बाबू जी और माई हमारे साथ रहेंगे मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रामचरन प्रधान जी से बोल पड़ा।

प्रधान जी ने अगले दिन घर के

बंटवारे का कागज भी कचहरी से बनवा कर दोनों भाईयों को दे दिया।

रामचरन मेहनत मजदूरी कर के घर का सारा खर्च चलाने लगा।

रामचरन बी.ए. तक पढ़ा था। वह किसी सरकारी नौकरी की तलाश में था। वह सरकारी नौकरी का वांट भरता रहता था। ताकि एक दिन उसे नौकरी मिल जाए।

रामचरन की किस्मत ने उसका साथ दिया और रामचरन को पुलिस में दरोगा की नौकरी मिल गई। छः महीने की ट्रेनिंग के बाद रामचरन की देवरिया में पहली पोस्टिंग हुई। नौकरी ज्वाइन करने के बाद रामचरन पर आया तो सबसे पहले रामचरन अपनी भौजी के पास पहुंच कर मिठाई का एक किलो का डिब्बा पकड़ा कर बोला भौजी पहले तू अपना मुंह मीठा कर। जानती हो मैं दरोगा बन गया हूं। मुझे तू आर्शीवाद दे भौजी। ताकि मैं जहां भी रहूं तुम्हारे आर्शीवाद से सही सलामत रहूं।

भौजी मिठाई खा कर बोली देवर जी आप जहां भी रहे सही सलामत रहें। मेरी यही दुआ है। भौजी कह कर हंस पड़ी।

तभी भौजी के दोनों बेटे और बिटिया हमारे पैर छूकर बोले चाचा जी नमस्ते। आप को यह पुलिस का पोशाक कहां से मिल गया? क्या मुझे पुलिस की पोशाक पहनने को नहीं मिलेगी?

मोनू और बिट्टू और प्यारी बिटिया पिंकी तुम्हें पता है मैं दरोगा बन गया हूं।

वाह चाचा वाह अब तो आप से गांव के सारे गुंडे बदमाश डरेंगे। अगर

कोई मुझे आंख दिखाएगा तो मैं कह दूंगा, खबरदार जो मुझे आंख दिखाया। मेरा चाचा दरोगा हैं उनसे कह कर मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगा।

शाबस बेटे तुम अब किसी से मत डरना। मैं चलता हूं। भौजी, अभी हमें गांव के प्रधान जी और कई लोगों से हमें मिलना है। मैं दो दिन की छुट्टी पर घर आया हूं। परसों वापस ड्यूटी पर चला जाऊंगा।

रामचरन सबसे मिल कर जाते वक्त अपनी पत्नी से बोला सीता तू बाबू जी और माई का पूरा ख्याल रखना और हां बड़े भैया के बच्चे मोनू बिट्टू और पिंकी घर में आए तो उन्हें भगाना मत उन्हें घर में बिस्कुट टाफी जो भी जरूर खाने को देना। और हां अगर भौजी तुम्हारे पास कुछ मांगने आये तो उसे देने से इंकार मत करना। भौजी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। भौजी ने ही हमें पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बनाया है। सीता हमारे पास बीस हजार रुपया है इसे अपने पास रखो इससे तुम घर का खर्च चलाना और बाबू जी और माई तुमसे खाने पीने के लिए रुपया मांगे तो देने से मना मत करना। अब मैं तीन महीने के बाद होली पर घर आऊंगा। तुम फोन पर रोज हमसे बातें जरूर करना। अपना और आने वाले बच्चे का भी पूरा पूरा ख्याल रखना। अच्छा तो अब मैं चलता हूं। बाहर गाड़ी का ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा है।

इतना कह कर रामचरन घर से निकल कर बाहर आया और सरकारी जीप में बैठकर शहर की ओर चल दिया।

इधर शिवचरन की कम्पनी बंद हो गई। उसे दुबई से वापस घर आ जाना पड़ा। कम्पनी ने एक साल का वेतन भी नहीं दिया। बस किसी तरह हवाई जहाज का टिकट देकर कम्पनी में काम करने वाले सारे मजदूरों को भारत वापस भेज दिया।

कुछ महीने तो शिवचरन के आराम से कट गए। मगर होली के आने से दो महीना पहले शिवचरन का एक्सीडेंट हो गया दोनों पैर की हड्डी टूट गई। दवा दारु में घर का सारा रुपया खर्च हो गया। शिवचरन पर मानों मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा।

रामचरन सबसे मिल कर जाते वक्त अपनी पत्नी से बोला सीता तू बाबू जी और माई का पूरा ख्याल रखना और हां बड़े भैया के बच्चे मोनू बिट्टू और पिंकी घर में आए तो उन्हें भगाना मत उन्हें घर में बिस्कुट टाफी जो भी जरूर खाने को देना। और हां अगर भौजी तुम्हारे पास कुछ मांगने आये तो उसे देने से इंकार मत करना। भौजी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। भौजी ने ही हमें पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बनाया है। सीता हमारे पास बीस हजार रुपया है इसे अपने पास रखो इससे तुम घर का खर्च चलाना और बाबू जी और माई तुमसे खाने पीने के लिए रुपया मांगे तो देने से मना मत करना। अब मैं तीन महीने के बाद होली पर घर आऊंगा।

एक रोज शिवचरन के तीनों बच्चे अपनी मम्मी से बोले मम्मी स्कूल के प्रिसिंपल ने हमें कहा है कि अगर कल तक तुम सब का तीन महीने का फीस तीन हजार नहीं जमा होगा तो तुम सब का नाम काट कर स्कूल से निकाल दिया जाएगा।

मम्मी जब तक तुम हमारे स्कूल का फीस नहीं जमा करोगी तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे।

शिवचरन के तीनों बच्चे दो दिन से जब स्कूल नहीं गए तो तीसरे दिन रामचरन की पत्नी सीता तीनों बच्चों को अपने घर में बुलाकर पूछ पड़ी–''तुम सब दो दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो?''

चाची हमारी मम्मी ने तीन महीने से स्कूल का फीस नहीं जमा किया है। प्रिंसिपल साहब का कहना है जब तीन महीने का फीस तीन हजार रुपया जमा हो जाए तभी स्कूल आना। चाची–मेरी मम्मी के पास रुपये नहीं है तो कहां से जमा करेगी। इसलिए हम स्कूल नहीं जा रहे हैं।

''ठीक है, कल से तुम सब स्कूल जाना। आज फीस जमा हो जाएगा। लेकिन चाची रुपये कौन देगा? तीनों बच्चे पूछ पड़े।

मैं जमा करूंगी। अब हर महीने तुम सब को फीस मैं जमा कर दूंगी। चिन्ता करने की कोई बात नहीं।

वाह चाची तुम कितनी अच्छी हो कितनी प्यारी हो। तीनों बच्चे एक साथ बोल पड़े।

घर आकर तीनों बच्चे बोल पड़े मम्मी–मम्मी चाची ने हमारे स्कूल का फीस जमा कर दिया है। अब हम कल से स्कूल जाएंगे। चाची बड़ी अच्छी है। हमें खाने को बिस्कुट टाफी भी देती हैं मम्मी तुम चाची के घर क्यों नहीं जाती हो? चाची के घर कल जरूर जाना।

''ठीक है चली जाऊंगी। मम्मी बोल पड़ी। अगले दिन मोनू बिट्टू पिंकी तीनों बच्चे पूछ पड़े मम्मी दो दिन से घर में हमें चाय नाश्ता दूध कुछ भी नहीं मिल

रहा है, क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ''अगर होता तो तुम्हें भूखा रखती, कल तेरे पापस मेरे कान सोने का झुमका सोनार के दुकान पर बेच कर खाने-पीने का सामान ले आएंगे। थोड़ा और सब्र करो तुम सब।

मम्मी यह बात मुझे पहले से पता होता तो मैं चाची के पास जाकर उधार मांग लाता। मम्मी ठहर मैं अभी चाची के घर से होकर आता हूं। इतना कहकर मोनू चाची के घर को चल दिया।

चाची-चाची-चाची हमारे बच्चे तो दिन राम चाची की रट लगाए रहते हैं। हे भगवान हमें कब इस गरीबी से उबारोगे। शिवचरन की पत्नी पार्वती सर पकड़ कर बोल पड़ी।

तभी चौकी पर लेटा शिवचरन बोल पड़ा पार्वती, मुसीबत में हमारा कोई तो साथ दे रहा है। एक दो महीने में मैं चलने फिरने लायक हो जाऊंगा तो मैं कमा कर सबका कर्जा भर दूंगा। तू किसी बात की चिन्ता मत कर। ''हां, मम्मी पापा ठीक तो कह रहे हैं।''

''बिट्टू और पिंकी बोल पड़े।''

उसी वक्त मोनू एक झोले में खाने पीने का ढेर सारा सामान और पांच हजार रुपया मम्मी को पकड़ाते हुए बोला यह सब हमें चाची ने दी है। चाची ने तुम्हें कल अपने घर बुलाया है, किसी जरूरी काम से। तुम जाओगी न मम्मी! सभी बच्चे एक साथ पूछ पड़े।''

''हां जरूर जाऊंगी।'' मम्मी हंस कर बोल पड़ी।

अगले दिन पार्वती सीता के घर पहुंच कर बोली-सीता तुमने तो हमारे तीनों बच्चों का दिल ही जीत लिया है। घर में हमारे बच्चे तुम्हारी खूब तारीफ करते नहीं थकते हैं।

''अच्छा बताओ तुमने हमें किस काम से बुलाया है।'' दीदी आप को पता है मेरा दसवां महीना चल रहा है। मेरी डिलवरी का वक्त नजदीक आ गया है तथा दो दिन से पेट में दर्द भी हो रहा है। अगर आप हमारी डिलवरी में एक दो दिन हमारे साथ रह जाती तो बढ़िया रहता। डिलवरी के बार अपने घर चले जाना।

''ठीक है सीता, मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक तुम्हारी डिलवरी नहीं हो जाती।''

अगले दिन सीता के पेट में जोर का दर्द उठा तो पार्वती ने सीता को टैम्पू से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दी।

दोपहर बाद दिन में दो बजे सीता ने एक बेटे को जन्म दिया।

पार्वती ने बेटा होने की खुशी में नर्स और दाई तथा डाक्टराईन को पांच पांच सौ रुपया मिठाई खाने को अपनी ओर से दिया। पार्वती ने बेटा होने की सूचना जब अपने देवर रामचरन को मोबाइल से दी तो - रामचरन खुशी से हंस पड़ा और फोन पर बोला भौजी सीता और बच्चा ठीक ठाक है न?

'हां देवर जी, मैं हूं न किसी बात की चिनता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। मैं घर पहुंच कर सीता से आप की बात कराऊंगी। इतना कहकर पार्वती ने फोन काट कर मोबाइल को अपनी ब्लाउज में डाल लिया।

पार्वती ने एक महीने तक सीमा की पूरी देखभाल की। जब सीता पूरी तरह स्वस्थ हो गई तब जाकर पार्वती अपने घर आ गई।

इधर शिवचरन भी ठीक हो कर चलने फिरने लगा। और काम कर के कुछ कमाने लगा।

होली के दो दिन पहले रामचरन ने फोन किया भौजी मैं होली पर घर आ रहा हूं। तुम बच्चों के लिए अपने बड़े भैया के लिए कुछ मत खरीदना मैं सबके लिए कपड़े रंग पिचकारी अवीर और खाने-पीने की सारी चीजें लेकर आ रहा हूं।

भौजी इस साल तो मैं तुम्हारे साथ ही होली खेलूंगा। खूब खेलिएगा हमारे साथ होली मैं कहा मना कर रही हूं देवर जी, यह पल तो हमें पांच साल बाद मिलने वाला है। इस साल हम पूरे परिवार के साथ मिलकर होली खेलेंगे। पार्वती ने इतना कहर फोन काट कर मेज पर रख दिया।

होली के दिन रामचरन घर आते ही सबसे पहले भौजी का पैर छूकर आर्शीवाद लिया। फिर सीता के गोद में खेल रहे अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर बोला भौजी इसका नाम तुम क्या रखोगी?

देवर जी मैं तो इसका गोपाल रखूंगी। क्यों देवर जी और सीता बहन तुम दोनों को यह नाम पसंद है न? हां भौजी तुमने तो बड़ी ही प्यारा नाम चुन कर रखा है। हमारे बेटे का। सीता को भी यह नाम बहुत प्यारा लगा।

सीता बोली बड़ी दीदी आज होली पर सबका खाना हमारे घर में बने तो कैसा रहेगा?

यह तो बहुत बढ़िया रहेगा सीता। क्यों देवर जी मैंने ठीक कहा न। हां भौजी तुमने तो ठीक कहा मगर बड़े भैया से पूछ लो वह राजी है या नहीं।

तभी शिवचरन बोल पार्वती मुझे कोई एतराज नहीं है। इतना कहकर शिवचरन रामचरन को अपने गले से लगा कर बोला रामचरन मैं दौलत के मोह में आकर अंधा हो गया था। और तुमसे अलग हो गया। मगर तुम्हारी पत्नी सीता ने हम पर हमारे बच्चों पर वह एहसान किया है जिसका मैं कभी बदला नहीं चुका सकता हूं।

तभी बाबू जी बोल पड़े-बेटे हमारी भी इच्छा है कि आज से तुम दोनों एक हो जाओ और एक साथ रहो। हां बाबू जी हम दोनों भाई आप की इस बात को मानने को तैयार है। पार्वती और सीता ने भी एक साथ रहने की हामी भर दी।

तभी मोनू, बिट्टू, पिंकी, बोल पड़े आप लोग बातें करते रहेंगे तो होली कब खेलेंगे। इतना सुन रामचरन ने बच्चों को रंग पिचकारी और अवीर देकर बाहर होली खेलने भेज दिया। और थोड़ा सा अवीर हाथ में लेकर भौजी के गाल पर पोत कर बोल उठा होली है। ■

(लेखक जाने माने लघु कथाकार व टिप्पणीकार हैं।)

हिन्दी राष्ट्रभाषा

■ अनूभूति गुप्ता

1.

जब अक्षरों का तिरस्कार होता है,
तो राष्ट्रभाषा का अपमान होता है,
एक धागे में ही पिरो सब भाषाएं,
ऐसा हमारा हिन्दी सदैव कहता है।

बिना व्याकरण कविता खंडित है,
शब्दों से खिलवाड़ मूलता भंग है,
अर्थहीन हो सर्वनाम, संज्ञा, उपनाम,
तब भाषा का मरण संभव होता है।

2.

शब्दकोष कहलाये शब्दों का भंडार,
अनेकों अक्षरों से बनते शब्द हजार,
हिन्दी मात्रभाषा के स्वरूप अनेकों,
गत गत नमन करे है सारा संसार।

संज्ञा को संस्करण प्रिय समझना,
कर्ता का आधार मूलरूप समझना,
मुक्तक, दोहे, छंद या गजल हो,
हिन्दी का मान अनवरत बनाना।

3.

लेखनी का सम्मान अर्थ का ज्ञान,
व्याख्या या उद्धरण का रखे ध्यान,
उपसर्ग, विराम, अर्द्धविराम है जरूरी,
क्रिया विशेषण को न कराये आराम।

वर्णमाला में पिरोकर रखे जो अक्षर,
हिन्दी पवित्र पावन सौम्य से परिपूर्ण,
जनकवि स्याही से लज्जित न करे,
जनहितैषी बनकर हिन्दी की रक्षा करें।

4.

हिन्दी की शुद्धता अब भंग होती जा रही,
लेखक, बुद्धिजीवी के संग होती जा रही,
कुरूप रूप जो दे रही अंग्रेजी अपना,
नेता के सपूतों की चौखट रंगती जा रही।

राष्ट्र की यह बड़ी विडम्बना जो है बनी,
युवा पीढ़ी हिन्दी से मोह जो त्याग रही,
विशालकाय हिन्दी साहित्य कहीं खो रहा,
ये पाश्चात्य भाषाओं की आधिन हो रही।

5.

हिन्दी की बोली में भावों के सुमन,
विशाल अंबर तले महकता उपवन,
अलकों के जंगल में खिलता कमल,
मीठा सा लगता कहा हर कथन।

कर्म-श्रम से नये स्तर पर ले जाए,
अपनी सूझ-बूझ से इसे श्रेष्ठ बनाए,
शब्दों के आचरण को ऐसे न बदले,
हिन्दी साहित्य की गरिमा को बनाए।

6.

हिन्दी एकजुटता का स्वर साधती है,
ये विभाजित हुए क्षेत्रों को बांधती है,
भावनाओं के रेशम से बुनी हुई है,
मन में सौम्यता की तरंग भरती है।

साधना और श्रम से निर्माण हुआ है,
ये भारतीय संस्कृति को सहेजती है,
सभ्यता के महासागर से सरावोर है,
आदर्श का पारदर्शी दर्पण दिखाती है।

7.

हिन्दी में उज्ज्वल स्वरूप का ज्ञान,
गुणवता, क्षमता, शिल्प-कौशल और,
सौन्दर्य का सही-सही आकलन है,
सहजता और सरलता से परिपूर्ण है।

इसकी जड़ें अथाह गहरी या अनंत हैं,
यह सबसे व्यवस्थत एवं लचीली है,
भारत देश की संपर्क एवं राजभाषा है,
हमारे जीवन मूल्यों को झलकाती है।

इसमें सरस्वती की वीणा का वास है,
इसमें भगवत गीता का अनंत ज्ञान है,
और तुलसीदास के छंदों का समावेश है,
इसे कोटि कोटि नमन और प्रणाम हैं।

8.

आक्रोश जनित आग भड़के की जब,
अंग्रेजी के परिवेश से बचेगा हिन्द,
भारत की युवा पीढ़ियों में पनपती,
ये असभ्यता होगी एक दिन खंडित।

हिन्दी के अस्तित्व की रक्षा करना ही,
हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है,
साहस एवं कौशल से अधिकार मिले,
ये विश्वभाषा में हो जाए चयनित है।

(लेखिका)

सम्पादक के नाम पत्र

पूज्य साहू जी महाराज के जन्म दिन की बधाई

सम्पादक महोदय,

आपको धन्यवाद के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि यूनियन बैंक रेवाड़ी शाखा और रेवाड़ी शहर के जिन साथियों को पत्रिका नहीं पहुंच पा रही थी वह उन्हें प्राप्त होना शुरू हो गई है। पत्रिका की सामग्री, क्वालिटी दोनों पहले से बेहतर है। आपका अथक प्रयास सराहनीय है। तथागत और बाबासाहेब की कृपा आप पर और आपके फाउण्डेशन परिवार पर सदैव बनी रहे, और आप निरन्तर बाबासाहेब के सपनों का भारत गढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

एम.एल. संजय
रेवाड़ी (हरियाणा)

प्यारे प्यारे लेख पढ़ने को मिलते है

सम्पादक महोदय,

मैं सामाजिक न्याय पत्रिका का कुछ समय पहले ही सदस्य बना हूं। यह पत्रिका मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं क्योंकि इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बातें बतायी गई है। इस पत्रिका के माध्यम से हमारे महान पुरुषों की विस्तृत जानकारी मिलती है तथा समाज में एक संदेश जाता है जो समाज में फैली कुरीतियों तथा आडम्बरों को दूर करने में सक्षम है। इस पत्रिका में ओजस्वी भाषण तथा प्यारे-प्यारे लेख पढ़ने को मिलती है।

सम्पादक महोदय आप प्रशंसा एवं बधाई के पात्र है। सामाजिक न्याय पत्रिका एवं आपके लिये शुभ कामनाएं।

राम स्वरूप
नई दिल्ली

गहरी छाप छोड़ रही है पत्रिका

सम्पादक महोदय,

सम्पादकीय से निखरी सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका पाठकों पर गहरी छाप छोड़ जा रही है। वर्तमान में पत्रिका पाठको को खूब पसंद आ रही है।

मार्च 2015 के अंक की संपादकीय में हिन्दू कोड बिल पर समीक्षा अति जानकारी पूर्ण लगी। पुस्तक अंश गांधी एवं अछूतों का उद्धार की 17वीं कड़ी पढ़ी। गांधी जी और नेहरू जी ने चाहा होता तो दलितों और अछूतों का तभी उद्धार हो गया होता।

लेख-भारतीय स्त्रियों के उन्नायक डॉ. अम्बेडकर, बेटी पढ़ाओ एक आन्दोलन, समकालीन स्त्री विमर्श, महादेवी वर्मा स्त्री चिंतन और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, जीवन चरित्र की नवीं किस्त बहुत ही प्यारी और जानकारी पूर्ण लगी। पत्रिका का नियमित प्रकाशन अति जरूरी है। पत्रिका में नियमित कहानी, कविताएं प्रकाशित की जाएं। हो सके तो लेखकों का पूरा पता भी प्रकाशित करें।

बद्री प्रसाद 'अनजान'
गोरखपुर (उ.प्र.)

पत्रिका ज्ञानवर्धक जानकारी देती है

सम्पादक महोदय,

मैं सामाजिक न्याय पत्रिका का सदस्य हूं तथा इस पत्रिका को मैं नियमित रूप से पढ़ता हूं। यह पत्रिका बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के साथ-साथ हमारे सभी महापुरुष तथा समाज सुधारकों जिन्होंने हमारे लिये जीवन भर संघर्ष किया तथा जिनकी बदौलत हम अपनी आवाज उठा सकते है उनके बारे में महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है। भगवान बुद्ध तथा बौद्ध-धर्म की भी जानकारी मिलती है। यह पत्रिका धार्मिक पाखण्ड और अन्धविश्वास को दूर भगाने में सहायक सिद्ध होगी।

मैं इस पत्रिका से जुड़े सभी महानुभावों को बधाई देते हुए इसकी सफलता की कामना करता हूं।

मदन मोहन भास्कर
नई दिल्ली

'भवतु सब्ब मंगलमं'

सम्पादक महोदय,

आपके द्वारा संपादित 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका के मई अंक का अध्ययन मेरे द्वारा किया गया जोकि 'भवतु सब्ब मंगलम्' यानी सभी का मंगल हो चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। बुद्ध जाति-पांति को नहीं मानते थे। वह सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे। इसी प्रकार कबीर ने भी समाज के भीतर फैली छुआछुत, ऊंच-नीच की बीमारी, जोकि कई हज़ार साल पहले से चली आ रही थी। उसको अपनी वाणी के द्वारा दूर करने का प्रयास किया। इसी प्रयास के कारण वह समाजसुधारक के रूप में जाने जाते हैं। यही काम डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'भारत का संविधान' लिखते समय किया था और वर्तमान में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका के माध्यम से आपके द्वारा किया जा रहा है।

रीना आर्य
इन्द्रपुरी, नई दिल्ली

सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुनः आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में सामाजिक न्याय संदेश की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-, का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा।

– सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर...दिनांक......................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन ....

फोन/मोबाईल न...............................ई.मेलः ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के. द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन